



भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन



धारा 115जेबी के विशेष प्रावधानों के अंतर्गत
कतिपय कम्पनियों द्वारा कर का भुगतान

संघ सरकार
राजस्व विभाग-प्रत्यक्ष कर
2017 की प्रतिवेदन संख्या 30

**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन**

मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए

**धारा 115जेबी के विशेष प्रावधानों के अंतर्गत
कतिपय कम्पनियों द्वारा कर का भुगतान**

**संघ सरकार
राजस्व विभाग-प्रत्यक्ष कर
2017 की प्रतिवेदन संख्या 30
(निष्पादन लेखापरीक्षा)**

लोकसभा/राज्यसभा के पटल पर को प्रस्तुत

विषय-सूची

अध्याय	विषय	पृष्ठ
	प्राक्कथन	
	कार्यकारी सार	i-vi
	सिफारिशों का सार	vii-ix
	अध्याय 1 : प्रस्तावना	1-5
1.1	परिचय	1
1.2	हमने यह शीर्षक क्यों चुना	1-2
1.3	लेखापरीक्षा उद्देश्य	2
1.4	वैधानिक रूपरेखा	2
1.5	लेखापरीक्षा कार्य क्षेत्र और नमूना आकार	3
1.6	लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली	3-4
1.7	रिकॉर्ड प्रस्तुत न किया जाना	4-5
	अध्याय 2 : विशेष प्रावधानों में संदिग्धता/कमी सहित प्रणालीगत मुद्दे	7-36
2.2	संदिग्धता/कमी का स्वरूप	7
2.3	अधिनियम के प्रावधानों में संदिग्धताएं	8
2.4	लेखाओं में उनके समाधान संबंधी विशिष्ट प्रावधानों के न होने के कारण अंकित लाभ की गणना हेतु मानी न गई आय	8
2.4.1	सामान्य प्रावधान के अंतर्गत कर हेतु प्रस्तुत किंतु मैट के अंतर्गत अप्रस्तुत आय	9-10
2.4.2	मैट के अंतर्गत कर हेतु प्रस्तुत नहीं की गई असाधारण/विशिष्ट मर्दे	11-12
2.4.3	समामेलक कंपनी के दीर्घावधि निवेश की बिक्री पर लाभ/हानि का समाधान	13-15
2.5	“आरक्षित निधि” और “अभिनिश्चित देयता के लिए प्रावधान” दोनों के घटक वाली मर्दों का समाधान	15-18
2.6	अंकित लाभ के प्रयोजनार्थ मूल्यहास की विधि में परिवर्तन का प्रभाव	18-20

2.7	विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत लेखा बहियों के अनुसार अंकित लाभ की गणना में अग्रेनीत कारोबार हानि/अनावशोषित मूल्यहास का समाधान	20
2.7.1	लाभ और हानि लेखे के अनुसार अग्रेनीत लाभ और अनावशोषित मूल्यहास के अनुपात में लाभ का विभाजन	20-21
2.7.2	अग्रेनीत कारोबार हानि/अनावशोषित मूल्यहास की संचयी स्थिति के बजाय उनकी पूर्व वर्ष की स्थिति को हिसाब में लेना	21-23
2.7.3	लेखा बहियों के अनुसार चालू वर्ष सहित आगामी वर्षों में अग्रेनीत कारोबार हानि/ अनावशोषित मूल्यहास की समान राशि का दावा	23-24
2.8	अधिनियम के प्रावधानों में कमियां	24
2.8.1	अंकित लाभ की संगणना में वास्तव में बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋण को कम करने के लिए प्रावधान न होना	25-27
2.8.2	सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत कराधान हेतु फर्जी खरीद/अघोषित आय/अलेखांकित आय के कारण हुई वृद्धियों पर अंकित लाभ की संगणना में विचार नहीं किया जाना	27-28
2.8.3	मैट के अन्तर्गत लाभ एवं हानि खातों पर सीधे असर वाली मदों पर अन्तरंग मूल्य निर्धारण समायोजनों पर विचार न करना	29
2.8.4	आय की विवरणी दाखिल करने की नियत तारीख के भीतर भुगतान नहीं की गई वैधानिक देयताओं पर मैट के अन्तर्गत वृद्धि हेतु विचार न करना	29-30
2.8.5	निगमित समाजिक उत्तरदायित्वो (सीएसआर) पर व्यय पर मैट के अन्तर्गत अननुमति हेतु विचार न करना	30-31
2.8.6	समामेलन के उपरान्त समामेलित कंपनी द्वारा अपने कारोबार को बन्द करने पर समामेलक कंपनी के मैट क्रेडिट की अननुमति की आवश्यकता	32-33
2.9	संक्षिप्त मामलों में मैट क्रेडिट के समंजन में आईटीडी द्वारा एक समान दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया	33
2.10	निष्कर्ष	33-34
2.11	सिफारिशें	34-36

	अध्याय 3: मेट प्रावधानों के अननुपालन की सीमा	37-58
3.2	अंकित लाभ की गणना में निवल लाभ में नहीं जोड़ी गईं मदें	37
3.2.1	अंकित लाभ के लिए प्रदत्त अथवा देय आयकर और उसके प्रावधान को शामिल न करना	38-39
3.2.2	अंकित लाभ के लिये किसी भी छूट प्राप्त आय से सम्बद्ध व्यय को शामिल न करना	40-41
3.2.3	अंकित लाभ की संगणना हेतु माने न गए किसी परिसम्पत्ति के मूल्य में कमी के प्रावधान के रूप में अपास्त की गई राशि को शामिल न करना	41-43
3.2.4	अनिश्चित देयता के प्रावधान के रूप में अपास्त की गई राशि को न जोड़ना	43-44
3.3	अंकित लाभ की गणना में निवल लाभ से गलत कटौती	44
3.3.1	छूट प्राप्त आय या अनुवर्ती संशोधन के कारण ऐसी आय जो अब छूट-प्राप्त नहीं है को गलत रूप से कम किया गया	44-45
3.3.2	लाभ एवं हानि लेखे में क्रेडिट की गई राशियों की कटौती का गलत दावा	46-47
3.4	मैट क्रेडिट की गलत अनुमति	47-48
3.4.1	मैट क्रेडिट का गलत अग्रनयन	48-50
3.4.2	मैट क्रेडिट का अनियमित समंजन	50-51
3.5	लेखा बहियों के अनुसार अग्रणीत कारोबारी हानि/अनवशोषित मूल्यहास की गलत अनुमति	52-53
3.6	आरक्षित निधि से आहरित राशि की गलत कटौती	53-54
3.7	अंकित लाभ की गणना से रूग्ण औद्योगिक कम्पनियों को छूट अनुमत करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का अननुपालन	55
3.8	संवीक्षा के लिए मामले का चयन न करना	56
3.9	मैट के विशेष प्रावधानों के अननुपालन की अन्य घटनाएं	57-58
3.10	निष्कर्ष	58
3.11	सिफारिशें	58

	अध्याय 4 : कर आधार में शून्य कर कम्पनियों को शामिल करना	59-64
4.2	निगमित निर्धारितियों द्वारा आय की रिटर्न फाइल करने की स्थिति	59-60
4.2.1	निगमित गैर फाइलकर्त्ताओं पर आईटीडी द्वारा की गई कार्रवाई	60-63
4.3	संवीक्षा निपटान के विवरणों में असमानता	63
4.4	निष्कर्ष	64
4.5	सिफारिशें	64
	अध्याय 5: मैट का प्रभाव	65-71
5.2	शून्य कर कम्पनियों की पहचान करना	65
5.2.2	मैट से संबंधित प्रावधानों के तहत शून्य कर का भुगतान कर रहीं कम्पनियों की जांच	65-67
5.3	मैट के तहत कर के भुगतान की दायी कम्पनियाँ मैट के उद्ग्रहण से अपवंचन	67-69
5.4	मैट क्रेडिट के प्रावधानों के कारण मैट योजना का उद्देश्यहीन होना	69-70
5.5	निष्कर्ष	71
	परिशिष्ट	73-129

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में 2012-13 से 2015-16 तक संघ सरकार के राजस्व विभाग प्रत्यक्ष कर के अन्तर्गत “धारा 115 जेबी के विशेष प्रावधानों के अंतर्गत कतिपय कम्पनियों द्वारा कर का भुगतान” की निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में उन उदाहरणों का उल्लेख किया गया है जो जुलाई 2016 से नवम्बर 2016 की अवधि के दौरान आयोजित 2012-13 से 2015-16 की अवधि के लिए लेखापरीक्षा जांच में देखे गए।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।

लेखापरीक्षा विभाग, लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के प्रत्येक स्तर पर राजस्व विभाग केंद्रीय बोर्ड, प्रत्यक्ष कर से प्राप्त सहयोग के लिये आभार व्यक्त करता है।

कार्यकारी सार

अनेक कंपनियां जो व्यवसाय से बड़े लाभ प्राप्त कर रही थीं और लाभांश के रूप में अपने शेयर धारकों को आय का पर्याप्त हिस्सा वितरित कर रही थीं, अधिनियम में उपलब्ध विभिन्न कटौतियों और छूटों का लाभ उठाकर अपनी कर देयता को कम कर रही थीं। "शून्य कर कंपनियों" के रूप में सन्दर्भित ऐसी कंपनियों को वित्त अधिनियम 1987 द्वारा धारा 115 जे लागू कर दायरे में लाने के प्रयास किये गये थे। इस प्रावधान को वित्त अधिनियम 1990 द्वारा वापस ले लिया गया था। इसे वित्त अधिनियम 1996 द्वारा, धारा 115 जेए के रूप में पुनः लागू किया गया था। 01 अप्रैल 2001 से धारा 115 जेए को पुनः संशोधित कर एक नई धारा 115 जेबी को लागू किया गया था जिससे कंपनियों को सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर पर उनके अंकित लाभ/मानी गयी आय पर कर का भुगतान करना था। आगामी वर्षों में धारा 115 जेए/115 जेबी के तहत कंपनियों द्वारा भुगतान किये गये कर के क्रेडिट की अनुमति हेतु धारा 115 जेए में प्रावधान किया गया।

'धारा 115 जेबी के विशेष प्रावधान के तहत कतिपय कंपनियों द्वारा कर के भुगतान' जिसे न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) के रूप में भी सन्दर्भित किया गया की निष्पादन लेखापरीक्षा यह जांच करने के उद्देश्य से की गई कि क्या:

- (i) विशेष प्रावधानों में कोई अस्पष्टता और कमी सहित किसी प्रकार की प्रणालीगत मुद्दे हैं जिसके परिणामस्वरूप कर देयताएं शून्य/कम हो गईं;
- (ii) आयकर विभाग (आईटीडी) द्वारा मैट से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया जा रहा था और, यदि नहीं, निर्धारण में चूकों के कारण राजस्व के अवनिर्धारण/हानि और अन्य अनियमितताओं का निर्धारण करना;
- (iii) आईटीडी ने कर विवरणी फाइल नहीं करने वाली कंपनियों की पहचान करने और उनको कर दायरे के अन्तर्गत लाने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं;

- (iv) शून्य कर भुगतान करने वाली कंपनियों को कर दायरे में लाने के लिए विशेष प्रावधान लागू करने का उद्देश्य प्राप्त हो गया है;

वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2015-16 के दौरान पूर्ण की गई निष्पादन लेखापरीक्षा में संवीक्षा निर्धारण, अपील और परिशोधन के मामले शामिल किए गए। हमने चयनित मामलों के संबंध में उन संक्षिप्त निर्धारण अभिलेखों की जांच की जहां लेखापरीक्षा की तिथि तक संवीक्षा निर्धारण पूरा नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा में 150 चयनित सीआईटी प्रभारों में 877 निर्धारण ईकाइयों में 15,677 अभिलेखों की मांग की गयी थी, जिनमें से आईटीडी ने केवल 11,293 अभिलेखों को ही उपलब्ध कराया था जिनकी इस निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा की गई थी।

निष्पादन लेखापरीक्षा करते समय, हमने 195 निर्धारण मामलों की पहचान की जहां अधिनियम की धारा 115 जेबी के प्रावधानों में अस्पष्टता/कमी सहित प्रणालीगत मुद्दे देखे गये थे। उनमें से कुछ आगामी पैराग्राफों में दर्शाए गये हैं:

[पैरा 2.2]

आईटीडी ने मैट के तहत कर के लिए 22 निर्धारण मामलों में आय को शामिल नहीं किया यद्यपि सामान्य प्रावधान के तहत कर के लिए इसे शामिल किया गया था। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 74.10 करोड़ का कर प्रभाव बना।

[पैरा 2.4.1]

16 निर्धारण मामलों में आईटीडी ने अंकित लाभ की संगणना के लिए असाधारण/अपवादात्मक मदों* पर विचार नहीं किया था। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 23.13 करोड़ के कर प्रभाव वाली ₹ 126.57 करोड़ की कुल आय का अवनिर्धारण हुआ।

[पैरा 2.4.2]

* प्राप्तियों/भुगतानों में अतिविशिष्ट मदे जोकि कंपनियों के व्यवसाय के सामान्य नियम के माध्यम से प्राप्त नहीं किये जा रहे हैं। शामिल हैं उन्हें इन मदों से पहले और बाद में कंपनी की आय को पृथक शीर्ष के अन्तर्गत प्रदर्शित करके लेखांकित किया जाता है।

तीन निर्धारण मामलों में यद्यपि, आईटीडी द्वारा समामेलन की अनुमोदित योजना में निर्धारित निर्देशों के अनुसार सामान्य रिजर्वों के प्रति लाभ/हानि को समायोजित किया गया परन्तु निर्धारिती की सुविधा के अनुसार मैट के उद्देश्य के लिए उनका समाधान भिन्न था। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 99.39 करोड़ के अंकित लाभ की कम संगणना हुई जिसमें ₹ 15.36 करोड़ का कर प्रभाव बनता था।

[पैरा 2.4.3]

आईटीडी द्वारा आठ निर्धारण मामलों में ₹ 331.14 करोड़ के कर प्रभाव वाले मैट के तहत अंकित लाभ की संगणना में निर्धारिती द्वारा दावा किये गये 'विनियोजन लेखे' के प्रभारित डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व/लोन रिडम्पशन रिजर्व के संबंध में कटौती की अनुमति दी गयी थी।

[पैरा 2.5]

आईटीडी ने एक तरफ तो आठ निर्धारण मामलों में अंकित मूल्य की संगणना में लाभ और हानि लेखाओं के लिए मूल्यहास क्रेडिट की प्रणाली में परिवर्तन के कारण पूर्व वर्षों से संबंधित अधिक मूल्यहास को कम किया था। दूसरी ओर छः निर्धारण मामलों में, आईटीडी ने लेखांकन पद्धति परिवर्तित होने के कारण मूल्यहास में कमी को नहीं जोड़ा था। इसमें ₹ 5.16 करोड़ का कर प्रभाव बनता था।

[पैरा 2.6]

अग्रेणित हानि या अनावशोषित मूल्यहास की राशि लेखा बही के अनुसार, जो भी कम हो, उसे अंकित लाभ की संगणना में कुल लाभ से घटाया जाता है। इस निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा में अग्रेणित हानि और अनावशोषित मूल्यहास की संगणना में कुछ अनियमितताएं पायी गयी जिन्हें नीचे दिया गया है:

- (i) अग्रेणित हानि और अनावशोषित मूल्यहास के अनुपात में लाभ और हानि लेखाओं के अनुसार लाभ का आवंटन किया गया।
- (ii) पिछले वर्षों की अग्रेणित हानि/अनावशोषित मूल्यहास की अद्यतन संचयी स्थिति के स्थान पर उनकी विगत वर्षों की स्थिति को कमी के लिए लिया गया था।

- (iii) चालू वर्ष सहित बाद के वर्षों में लेखा बहियों के अनुसार कारोबारी हानि/अनावशोषित मूल्यहास की समान राशि का दावा किया गया।

[पैरा 2.7]

आईटीडी ने छः निर्धारण मामलों में सामान्य प्रावधानों के तहत आय की संगणना में वास्तव में बढ़े खाते डाले गए अशोध्य ऋणों को कटौती के रूप में अनुमति दी थी। तथापि, धारा 115 जेबी के तहत अंकित लाभ की संगणना करते समय, बढ़े खाते डाले गये अशोध्य ऋणों को कम नहीं किया गया था।

[पैरा 2.8.1]

आईटीडी ने 18 निर्धारण मामलों में, सामान्य प्रावधानों के तहत फर्जी खरीदों/अप्रकट आय/अलेखांकित आय के कारण अननुमतियाँ की और मैट के विशेष प्रावधानों के तहत नहीं, क्योंकि विशेष प्रावधानों के तहत इन मदों के संवर्धन के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

[पैरा 2.8.2]

आईटीडी ने सामान्य प्रावधानों के तहत आय की संगणना के दौरान 36 निर्धारण मामलों में लाभ और हानि लेखाओं के अनुसार लाभ पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालने वाली मदों के संबंध में अन्तरित मूल्य निर्धारण समायोजन किये, परन्तु मैट के तहत अंकित लाभ की संगणना के लिए उन पर विचार नहीं किया। इसमें ₹ 93.05 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था।

[पैरा 2.8.3]

आईटीडी ने सामान्य प्रावधानों के तहत आय की संगणना के दौरान 39 निर्धारण मामलों में करों के रूप में सांविधिक देयताओं को अननुमत किया परन्तु उन पर मैट के तहत विचार नहीं किया। मैट की संगणना में सांविधिक देयों की अनुमति से ₹ 75.89 करोड़ का राजस्व प्रभाव शामिल था।

[पैरा 2.8.4]

आईटीडी ने 12 निर्धारण मामलों में मैट के तहत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्ययों को आय में नहीं जोड़ा हालांकि इसे लाभ और हानि लेखाओं में डेबिट किया गया था जिसमें ₹ 15.49 करोड़ का कर प्रभाव बनता था।

[पैरा 2.8.5]

आईटीडी द्वारा एक निर्धारण मामले में समामेलन के बाद समामेलित इकाई के व्यवसाय के बंद होने के बावजूद समामेलित कंपनी को मैट क्रेडिट की अनुमति प्रदान की गयी थी। **[पैरा 2.8.6]**

लेखापरीक्षा द्वारा 589 निर्धारण मामलों में अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के अननुपालन के अनेक मामले/उदाहरण पाए गए थे। इनमें से कुछ को आगामी पैराग्राफों में दर्शाया गया है: **[पैरा 3.1]**

आयकर विभाग द्वारा 28 निर्धारण मामलों में सामान्य प्रावधान के तहत भुगतान किये गये आयकर को अननुमत किया गया, परन्तु अंकित लाभ की संगणना के लिए इन पर विचार नहीं किया गया। इसमें ₹13.28 करोड़ का कर प्रभाव बनता था। **[पैरा 3.2.1]**

आईटीडी ने 84 निर्धारण मामलों में ऐसे खर्चों जो कुल आय का हिस्सा नहीं थे अंकित लाभ में नहीं जोड़ा जिसमें ₹ 102.03 करोड़ का कर प्रभाव बनता था। **[पैरा 3.2.2]**

आईटीडी ने 47 निर्धारण मामलों में अंकित लाभ की संगणना करते समय परिसंपत्तियों के मूल्य में कमी के प्रावधान के रूप में अलग रखी गयी राशि को नहीं जोड़ा था जिसमें ₹ 1827.86 करोड़ के कर प्रभाव बनता था। **[पैरा 3.2.3]**

आईटीडी द्वारा 22 निर्धारण मामलों में अंकित लाभ की संगणना में अनिश्चित देयता के प्रावधानों पर विचार नहीं किया था। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 50.02 करोड़ का कर प्रभाव बनता था। **[पैरा 3.2.4]**

आईटीडी ने 28 निर्धारण मामलों में कटौतियों द्वारा अंकित लाभ कम किया था जो अधिनियम में निर्धारित नहीं हैं, जिसमें ₹ 48.60 करोड़ का कर प्रभाव बनता था। **[पैरा 3.3]**

आईटीडी द्वारा 277 निर्धारण मामलों में निर्धारण अभिलेखों के सन्दर्भ में आईटीआर में निर्धारिती द्वारा किये गये दावों की अद्यतन स्थिति की पुष्टि किये बिना ₹ 1,559.21 करोड़ के मैट क्रेडिट के गलत समंजन/अग्रोनयन/गैर समंजन की अनुमति दी गयी। [पैरा 3.4]

आईटीडी ने 37 निर्धारण मामलों में अंकित लाभ की संगणना में लेखा बहियों के अनुसार अग्रनीत हानि और अनावशोषित मूल्यहास, को उचित ढंग से नहीं घटाया जिसमें ₹ 22.97 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। [पैरा 3.5]

43 निर्धारण मामलों में अंकित लाभ की संगणना में विभिन्न प्रकार की त्रुटियां थी इसके परिणामस्वरूप ₹ 88.91 करोड़ के कर का कम उदग्रहण हुआ। [पैरा 3.9]

वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2015-16 के दौरान रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) के पास कार्यकारी पंजीकृत कंपनियों और डीजीआईटी (रसद, अनुसंधान एवं सांख्यिकी) द्वारा बताई गई कंपनियों की संख्या के बीच 2.94 लाख (33.3 प्रतिशत) से 3.94 लाख (36.4 प्रतिशत) तक का अन्तर था जो कंपनियों द्वारा आय की विवरणी की नॉन-फाइलिंग/स्टॉप फाइलिंग की सीमा को इंगित करता है। आरओसी के पास पंजीकृत कंपनियों में से एक तिहाई आईटीडी के डाटाबेस में नहीं थी। [पैरा 4.2]

नॉन-फाइलर्स मॉनीटरिंग सिस्टम (एनएमएस) के माध्यम से पहचाने गये 12,750 नॉन-फाइलरो में से आईटीडी ने केवल 9013 (70.69 प्रतिशत) मामलों में ही नोटिस जारी किये थे। उनमें से, केवल 29.73 प्रतिशत कॉर्पोरेट नॉन-फाइलरो की पहचान आईटीडी द्वारा की गयी जिन्होंने आईटीडी द्वारा जारी किये गये नोटिसों के जवाब में अपनी आय विवरणी फाइल की थी जबकि शेष 6,208 मामलों में कोई भी विवरणियां फाइल नहीं की गयी थी। [पैरा 4.2.1]

34 निर्धारण मामलों में आईटीडी द्वारा अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के तहत कर उदग्रहीत किया गया था यद्यपि कर विशेष प्रावधानों के तहत उदग्रहण था। चूक के परिणामस्वरूप ₹127.86 करोड़ के कर का कम उदग्रहण हुआ। [पैरा 5.3]

सिफारिशों का सार

विशेष प्रावधानों में अस्पष्टता/कमी सहित प्रणालीगत मामले

- (क) सीबीडीटी अंकित लाभ संगणना में निम्नलिखित मदों पर कार्रवाई को स्पष्ट करते हुए धारा 115जेबी की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण (1) के तहत समर्थकारी प्रावधान सम्मिलित करे,
- (i) सरकार आदि से प्राप्त अग्रिमों में से किए गए आईसीडी और सावधि जमा पर प्रोदभूत ब्याज जो सामान्य प्रावधानों के तहत कराधान के लिए ली गई थी;
 - (ii) प्रत्यक्ष रूप से तुलन-पत्र में ले जाए गए सहायता अनुदान आदि जैसे लाभ और हानि के माध्यम से नहीं ले जाया गया;
 - (iii) समामेलित कंपनी के दीर्घकालीन निवेश की बिक्री पर लाभ/हानि
 - (iv) अवनिर्धारित देयता के साथ-साथ रिजर्व के संघटक सहित इसकी जटिलता को ध्यान में रखते हुए डिबेंचर रिडेम्प्शन रिजर्व/लोन रिडेम्प्शन रिजर्व;
 - (v) मूल्यहास की पद्धति में परिवर्तन के कारण अधिक/कम मूल्यहास

(पैरा 2.4.1 से 2.4.3, 2.5 और 2.6)

- (ख) सीबीडीटी अंकित लाभ की संगणना में अग्रणीत व्यवसाय हानि/अनावशोषित मूल्यहास के संमजन के तरीके को स्पष्ट करे।

(पैरा 2.7.1 से 2.7.3)

- (ग) सीबीडीटी अंकित लाभ की संगणना में लेखा बहियों में वास्तव में बड़े खाते में डाले गये अशोध्य ऋणों को कम करने के लिए एक समायोजन निर्धारित करे क्योंकि इसे सामान्य प्रावधानों के तहत कमी के लिए माना जाता है।

(पैरा 2.8.1)

- (घ) सीबीडीटी अंकित लाभ की संगणना में निम्न मदों को जोड़ने के लिए एक समायोजन निर्धारित करे जो कि सामान्य प्रावधान के तहत संयोजन के लिए लिए गये थे;

- (i) फर्जी खरीद/अप्रकट आय/अलेखांकित आय
 - (ii) लाभ और हानि लेखा पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालने वाली मदों पर अंतरण मूल्य निर्धारण समायोजन
 - (iii) आय की विवरणी फाइल करने की देय तिथि के अन्तर्गत भुगतान नहीं की गई सांविधिक देयताएं
 - (iv) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर व्यय।
- (पैरा 2.8.2 से 2.8.5)

- (ड) सीबीडीटी सामामेलन के बाद सामामेलित कंपनी द्वारा अपने व्यवसाय समाप्ति पर सामामेलित कंपनी के मैट क्रेडिट की अननुमति के लिए अधिनियम में एक प्रावधान लागू करे। (पैरा 2.8.6)

सीबीडीटी एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान उपरोक्त सभी मुद्दों की जांच के लिए सहमत हो गया और कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो एक परिपत्र/स्पष्टीकरण जारी करने की व्यवहार्यता का पता लगाया जायेगा।

मैट प्रावधानों के अननुपालन की सीमा

सीबीडीटी कंपनी अधिनियम के साथ साथ फॉर्म 29बी/कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/ आईटीआर 6 के अनुसार कारबार हानि और अनावशोषित मूल्यहास के विवरणों का वर्ष वार अलग-अलग ब्यौरा दर्शाने वाला एक अनुबंध और एक परिशिष्ट संलग्न करे ताकि निर्धारण के समय उनकी अद्यतन स्थिति पर विचार किया जा सके। (पैरा 3.5)

सीबीडीटी ने एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान कहा कि एक पृथक अनुबंध/अनुसूची बनाना कठिन हो सकता है परन्तु वह निर्धारण सूचना प्रणाली (एएसटी) पर ध्यान देने के लिए सहमत था जहां कंपनी अधिनियम के अनुसार अग्रणीत हानि और अनावशोषित मूल्यहास के विवरण भी दृश्यमान होंगे।

शून्य कर कंपनियों को कर आधार में लाना

(क) आईटीडी जवाबदेही के लिए एक रूपरेखा तैयार करे जहां एओ कॉर्पोरेट और गैर-कॉर्पोरेट नॉन-फाइलरों, दोनों की पृथक पहचान करने के लिए नॉन-फाइलर्स मानीटरिंग सिस्टम के प्रभावपूर्ण प्रयोग के लिए जवाबदेह हो सकते हैं ताकि नॉन-फाइलरों को कर दायरे में लाने के लिए प्रभावपूर्ण रूप से कार्रवाई की जा सके। **(पैरा 4.2.1)**

सीबीडीटी, एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान इस संबंध में एक उपयुक्त रूपरेखा बनाने के लिए सहमत हो गया। **(पैरा 4.2.1)**

सीबीडीटी, एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान इस विषय पर ध्यान देने के लिए सहमत हो गया।

(ख) जहां आईटीआर नहीं भरे गये उनको कर दायरे में लाने के लिए आईटीडी उन मामलों पर कार्रवाई करे। **(पैरा 4.2.1)**

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान सीबीडीटी इस मामले को जांच करने के लिए सहमत थे।

अध्याय I : प्रस्तावना

1.1 अनेक कंपनियों जो कारोबार से बड़े लाभ प्राप्त करती हैं और अपने शेयर धारकों को लाभांश के रूप में आय का पर्याप्त हिस्सा वितरित करती हैं, वे अधिनियम में उपलब्ध विभिन्न कटौतियों और छूट आदि का लाभ उठाकर अपनी कर देयता कम कर रही थीं। ऐसी कंपनियों को "शून्य कर कंपनियों" के रूप में सन्दर्भित कर वित्त अधिनियम, 1987 द्वारा लागू की गई धारा 115जे द्वारा कर दायरे में लाने का प्रयास किया गया था, जिसे वित्त अधिनियम, 1990 द्वारा वापस ले लिया गया था। इसे वित्त अधिनियम, 1996 द्वारा धारा 115जेए प्रारंभ करके 1 अप्रैल 1997 पुनः लागू किया गया था, जिसे नई धारा 115जेबी लागू करके 01 अप्रैल 2001 से फिर संशोधित किया गया था, जिसके द्वारा कंपनियों को सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दर से उनके अंकित लाभ/मानी गयी आय पर कर का भुगतान करना था। धारा 115जेए/115जेबी के तहत कंपनियों द्वारा भुगतान किये गये कर के क्रेडिट को आगामी वर्षों में समंजन के लिए भी धारा 115जेए के प्रावधानों को बनाया गया था।

सामान्यतः न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) के रूप में संदर्भित विशेष प्रावधानों को, विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक विकास जैसे- बैंकिंग, बीमा और वित्त आदि को ध्यान में रखते हुए, कर आधार बढ़ाने के लिए समय-समय पर संशोधित किया गया। वित्त अधिनियम 2016 द्वारा नवीनतम संशोधन किया गया जो 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी है, जिसके द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थित इकाइयां और जो कि केवल परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में आय अर्जित करती हैं को भी मैट के दायरे में लाया गया था।

1.2 हमने यह शीर्षक क्यों चुना

कॉर्पोरेट निर्धारितियों को उनके आय स्तर पर ध्यान दिए बिना, अपनी वार्षिक आयकर विवरणी फाइल करना अनिवार्य रूप से अपेक्षित हैं। यद्यपि, कंपनियों के रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत कंपनियों की संख्या की तुलना में आईटीडी¹ के पास विवरणी फाइल करने वाले कॉर्पोरेट निर्धारितियों की कुल संख्या काफी कम थी। ऐसे निर्धारितियों को कर दायरे में लाने के लिए आईटीडी के प्रयासों की लेखापरीक्षा में जांच किया जाना आवश्यक था।

¹ आय कर विभाग

लेखापरीक्षा में अंकित लाभ की संगणना के लिए लाभ और हानि लेखा के अनुसार निवल लाभ या हानि के संबंध में वैधानिक प्रावधानों/समायोजनों की व्याख्या में कुछ अस्पष्टताएं देखी गई हैं जिसके लिए अस्पष्टता को हल करने और निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए आईटीडी के निर्देशों की जांच करने की आवश्यकता थी।

हमने पहले भी इस विषय पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा की थी और इसके परिणाम/निष्कर्षों को भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के 2004 के प्रतिवेदन संख्या 13 के अध्याय 1 में वर्णित किया था। यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी कि क्या पूर्व में इंगित कमियों का सीबीडीटी द्वारा उचित रूप से समाधान किया गया था।

1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा करने का उद्देश्य यह जांच करना था कि क्या:

- (i) विशेष प्रावधानों में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता और कमी सहित किसी प्रकार की प्रणालीगत समस्याएं हैं जिसके परिणामस्वरूप कर देयताओं को समाप्त/कम किया गया;
- (ii) आयकर विभाग (आईटीडी) द्वारा मैट से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया गया और यदि नहीं, निर्धारण में चूकों के कारण कम निर्धारण/राजस्व की हानि और अन्य अनियमितताओं का निर्धारण करना;
- (iii) आईटीडी ने विवरणी फाईल न करने वाली कंपनियों की पहचान करने और उनको कर दायरे में लाने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं;
- (iv) शून्य कर भुगतान करने वाली कंपनियों को कर दायरे में लाने के लिए विशेष प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्य प्राप्त किए गए थे।

1.4 वैधानिक रूपरेखा

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115 जेबी के तहत मैट के अन्तर्गत कराधान की योजना को शामिल किया गया है जबकि मैट को अग्रनयन और समंजन करने से संबंधित प्रावधान धारा 115 जेए में उल्लिखित हैं। प्रासंगिक प्रावधानों का एक संक्षिप्त विवरण **परिशिष्ट-1** में दिया गया है।

1.5 लेखापरीक्षा कार्य क्षेत्र और नमूना आकार

निष्पादन लेखापरीक्षा में वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2015-16 के दौरान पूरे किए गए संवीक्षा निर्धारण, अपील और परिशोधन के मामले शामिल हैं। हमने चयनित मामलों के संबंध में संक्षिप्त निर्धारण अभिलेखों की भी जांच की जहां लेखापरीक्षा की तिथि तक संवीक्षा निर्धारण पूरे नहीं किये गये थे। हमने निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए आयकर महानिदेशक (डीजीआईटी) (प्रणाली), नई दिल्ली द्वारा निर्धारण अधिकारी (एओ) वार उपलब्ध कराए गए कुल आंकड़ों में से ए श्रेणी के प्रत्येक राज्यों² में निर्धारित आय के आधार पर शीर्ष 12 सीआईटी प्रभारों और श्रेणी बी राज्यों³ में से प्रत्येक के लिए शीर्ष 5 सीआईटी प्रभारों का चयन किया था। चयनित सीआईटी प्रभारों में, 100 प्रतिशत डीसीआईटी/एसीआईटी प्रभारों और 20 प्रतिशत आईटीओ प्रभार लेखापरीक्षा के लिए चयनित किये गये थे। अंततः हमने 150 चयनित सीआईटी प्रभारों में लेखापरीक्षा के लिए 877 निर्धारण इकाईयों का चयन किया (**परिशिष्ट 2**)।

1.6 लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली

सीबीडीटी के साथ एन्ट्री कॉन्फ्रेंस 9 अगस्त 2016 को आयोजित की गयी जिसमें हमने लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, लेखापरीक्षा के कार्य क्षेत्र और निष्पादन लेखापरीक्षा के मुख्य ध्यान देने वाले क्षेत्रों को स्पष्ट किया था।

हमने डीजीआईटी (प्रणालियां) से कॉर्पोरेट निर्धारितियों से संबंधित विवरणों की मांग की। आईटीडी ने आरम्भिक रूप से सीआईटी स्तर का समग्र डाटा उपलब्ध कराया था (जुलाई 2016)। बाद में वही डाटा निर्धारण अधिकारी स्तर पर समग्र रूप में उपलब्ध कराया गया था (सितम्बर 2016) जिससे हमें निर्धारण इकाईयों के नमूना चयन में सहायता प्राप्त हुई परन्तु यह चयनित निर्धारण इकाईयों के अन्तर्गत मैट से संबंधित व्यक्तिगत मामलों का पता लगाने के उद्देश्य को पूर्ण नहीं करता था। इसलिए हमने निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए चयनित निर्धारण यूनिटों में उपलब्ध मांग और वसूली रजिस्ट्रों से आंकड़ों का संकलन किया। हमने इन चयनित युनिटों में कॉर्पोरेट निर्धारितियों के निर्धारण रिकॉर्डों की जांच की।

² आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश

³ असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, केरल, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड और यूटी चंडीगढ़

हमने कंपनियों के क्षेत्रीय रजिस्ट्रार (आरओसी)/कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली (नवम्बर 2016) से उनके पास पंजीकृत कंपनियों के विवरण और सक्रिय कंपनियों के विवरण के साथ घोषित लाभ के आंकड़े प्राप्त करने के लिए संपर्क किया ताकि प्राप्त आंकड़ों का मिलान दो स्रोतों से किया जा सके। संबंधित निर्धारण अधिकारियों की टिप्पणियां प्राप्त करने हेतु, लेखापरीक्षा जांच के परिणाम सूचित किए गए थे।

हमने दिनांक 10 अप्रैल 2017 को सीबीडीटी से टिप्पणियां प्राप्त करने हेतु निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट का मसौदा जारी किया। दिनांक 1 जून 2017 को आयोजित एग्जिट कॉफ्रेंस में लेखापरीक्षा द्वारा की गई सिफारिशों तथा उन पर सीबीडीटी की प्रतिक्रिया पर विचार-विमर्श किया गया। एग्जिट कॉफ्रेंस में हुए विचार-विमर्श पर आधारित निष्कर्षों/निर्णयों को समुचित प्रकार से इस रिपोर्ट में शामिल कर लिया गया है।

1.7 रिकॉर्ड प्रस्तुत न किया जाना

हमने आयकर रिटर्न दाखिल करने वाली कम्पनियों, विभिन्न प्रभारों के अंतर्गत चयनित वित्तीय वर्षों के दौरान मैट के अंतर्गत निर्धारित कंपनियों, पहचान किए गए रिटर्न न भरने वाले और उन पर की गई कार्रवाई तथा सामान्य के साथ-साथ मैट प्रावधानों के अंतर्गत शून्य कर भरने वाली कंपनियों के विवरण प्रस्तुत करने के लिए आयकर विभाग से संपर्क किया।

आयकर विभाग द्वारा विस्तृत आंकड़ों की अपेक्षा सारभूत आंकड़ों⁴ प्रदान किए गए, जिसके परिणामस्वरूप, हमें लेखापरीक्षा के लिए प्रत्येक चयनित वित्तीय वर्षों के लिए प्रत्येक निर्धारण प्रभार में मांग और वसूली रजिस्ट्रारों से मामलों का चयन स्वयं करना पड़ा। इस कार्य में बहुत अधिक समय लगा और इसने लेखापरीक्षा करने में अवरोधक का कार्य किया।

लेखापरीक्षा द्वारा 15,677 रिकॉर्ड की मांग की गई थी, जिसमें से आयकर विभाग द्वारा केवल 11,293 मामले उपलब्ध कराए गए। उपलब्ध नहीं कराए गए रिकॉर्ड का प्रतिशत 27.96 था। गुजरात, कर्नाटक, गोआ, दिल्ली, महाराष्ट्र तथा हिमाचल प्रदेश में, 27.93 प्रतिशत से 62 प्रतिशत तक रिकॉर्ड उपलब्ध

⁴ "प्रोफॉर्म बी_टैक्स 115 जे बी_जी ई_जीटीएल_एओ_1433_1"; "प्रोफॉर्म बी_टैक्स 115 जे

बी_एलटी_जीटीएल_एओ_1433_1";

"प्रोफॉर्म बी_टैक्स 115 जे बी_जी ई_जीटीएल_एओ_1";

"प्रोफॉर्म बी_टैक्स 115 जे बी_एलटी_जीटीएल_एओ_1";

नहीं कराए गए। इसके अतिरिक्त बार-बार मांगे जाने पर भी आयकर विभाग द्वारा मुंबई⁵ तथा दिल्ली⁶ प्रत्येक में चार निर्धारण प्रभारों में से कोई भी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया। **परिशिष्ट-3** में अनुपलब्ध रिकॉर्डों का विवरण दर्शाया गया है।

जनवरी 2017 में डीजीआईटी (प्रणाली) द्वारा ऐसी 60,227 कंपनियों के आंकड़े उपलब्ध कराए गए जो मैट तथा सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत वि.व 2012-13 से 2015-16⁷ की अवधि के अंतर्गत लाभ और हानि लेखा के अनुसार लाभ अर्जित करने के बावजूद भी शून्य कर का भुगतान कर रही थी। ये आंकड़े इतने विलंब से उपलब्ध कराए गए जिसके कारण बहुत सीमित प्रयोजन पूरा हुआ, क्योंकि उस समय तक निष्पादन लेखापरीक्षा का अधिकांश फील्ड कार्य संपन्न हो चुका था।

⁵ डीसीआईटी 4(1)(1), डीसीआईटी 4(1)(2), आईटीओ 10(1)(1) तथा आईटीओ 10(1)(2)

⁶ सर्कल 25(1), सर्कल 25(2), सर्कल 5(1) तथा वार्ड 25(3)

⁷ एडी (एस), कार्यालय एडीजी (सिस्टम) 3, नई दिल्ली से डीजीएसीआर, नई दिल्ली को दिनांक 17.01.2017 का ई-मेल

अध्याय 2 : विशेष प्रावधानों में संदिग्धता/कमी सहित प्रणालीगत मुद्दे

2.1 इस अध्याय में आयकर अधिनियम के संगत आयकर नियमों के विशेष प्रावधानों, में संदिग्धता या कमी सहित प्रणालीगत मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है।

2.2 संदिग्धता/कमी का स्वरूप

निष्पादन लेखापरीक्षा करते समय, हमने 195 निर्धारण मामलों की पहचान की जिसमें अधिनियम की धारा 115 जेबी के प्रावधानों में संदिग्धता/कमी के साथ प्रणालीगत मुद्दे शामिल थे। इन मामलों का सार नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 2.1 संदिग्धता तथा कमी की प्रकृति			
पैरा सं.	संदिग्धता/कमी की प्रकृति	निर्धारण मामलों की सं.	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)
2.4	लेखाओं में उनके समाधान संबंधी विशिष्ट प्रावधानों के न होने के कारण अंकित लाभ की गणना हेतु आय पर विचार न करना	41	112.59
2.5	“आरक्षित” और “अवनिर्धारित देयता के लिए प्रावधान” दोनों घटकों वाली मदों का समाधान।	8	331.14
2.6	अंकित लाभ के उद्देश्य हेतु भिन्न प्रकार माने गए मूल्यहास की विधि में परिवर्तन का प्रभाव।	14	5.16
2.7	विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत अंकित लाभ की गणना में बहियों के अनुसार अग्रोषित व्यवसाय हानि और अनावशोषित मूल्यहास का समाधान।	10	28.14
2.8.1	अंकित लाभ की संगणना में वास्तव में बड़े खाते में डाले गए अशोध्य ऋण कम करने के प्रावधान का अभाव।	9	0
2.8.2	अंकित लाभ की संगणना हेतु विचार नहीं किए गए सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत कराधान हेतु फर्जी खरीद/अघोषित आय/अलेखांकित आय के कारण किए गए संवर्धन	19	41.34
2.8.3	मैट के अंतर्गत लाभ और हानि लेखा पर प्रत्यक्ष प्रभाव वाली मदों पर अंतरण मूल्य निर्धारण समायोजन पर विचार न करना	36	92.05
2.8.4	मैट के अंतर्गत अस्वीकरण हेतु विचारित नहीं गई आय की रिटर्न फाईल करने की नियत तिथि में भुगतान नहीं किए गए सांविधिक प्राप्य।	39	75.89
2.8.5	मैट के अंतर्गत अस्वीकरण हेतु विचारित नहीं किए गए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) पर व्यय	12	15.49
2.8.6	समामेलन के पश्चात समामेलित कंपनी द्वारा उनके व्यवसाय के समाप्त होने पर समामेलन कंपनी के मैट क्रेडिट के अस्वीकरण की आवश्यकता।	1	0
2.9	सारांश मामलों में आयकर विभाग द्वारा मैट क्रेडिट के समंजन के लिए युनिफॉर्म स्टैंड न अपनाया जाना।	6	0
	कुल	195	701.8

उपरोक्त मुद्दों पर लेखापरीक्षा आपत्तियां आगामी पैराग्राफों में दी गई है।

2.3 अधिनियम के प्रावधानों में संदिग्धताएं

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारण अधिकारी की शक्तियां यह निर्णय⁸ देकर सीमित कर दी कि किसी निर्धारण अधिकारी को अधिनियम की धारा 115जेए के विशेष प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित समायोजन के उपरांत अंकित लाभ को पुनर्व्यवस्थित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। इसके परिणामस्वरूप निर्धारिती ने कुछ मर्दों को इस प्रकार प्रयोग किया कि वे लाभ और हानि लेखा में दर्ज नहीं किए गए और इस प्रकार वे विशेष प्रावधानों के अंतर्गत अंकित लाभ की गणना में समायोजन से बच गए। इसके पूर्ववर्ती निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट में, धारा 115जेबी के विशेष प्रावधान के उद्देश्य के लिए निवल लाभ की गणना में हुई त्रुटियों को सुधारने हेतु निर्धारण अधिकारी को सक्षम बनाने हेतु अधिनियम में समुचित प्रावधान शामिल करने की सिफारिश लेखापरीक्षा⁹ में की गई थी। तथापि अब तक इस प्रकार का समर्थकारी प्रावधान लाया नहीं गया है। इसके परिणामस्वरूप धारा 115जेबी के विशेष प्रावधानों से संबंधित विवाद तथा मुकदमेबाजी, निर्धारितियों द्वारा विभिन्न लेखांकन उपचारों के जोड़-तोड़ के कारण, अभी भी जारी है।

2.4 लेखाओं में उनके समाधान संबंधी विशिष्ट प्रावधानों के न होने के कारण अंकित लाभ की गणना हेतु मानी न गई आय

अग्रिमों/इंटर कॉरपोरेट डिपोजिट (आईसीडी)/सावधि जमा पर ब्याज तथा वापिस किया गया अतिरिक्त ब्याज, प्राप्त सहायता अनुदान, समामेलन के पश्चात समामेलक कंपनी का लाभ, दीर्घ अवधि निवेश पर लाभ, पूंजीगत परिसंपत्तियों से संबंधित शुल्क फिरती प्रतिदाय जिन्हें न तो आय के रूप में प्रस्तुत किया गया और न ही लेखाओं में से परिसंपत्तियों की कीमत में से घटाया गया, पूर्ववर्ती वर्षों के लेखाओं में दावा की गई रॉयल्टी से छूट, बिक्री कर, विद्युत प्रभार आदि, नकद आय लेखाकरण की जगह लेखाकरण की वाणिज्यिक प्रणाली के प्रयोग के कारण अधिशेष आय ऐसी आय हैं, जिन पर लेखाओं के शोधन के संबंध में विशिष्ट प्रावधानों के अभाव के कारण मैट के अंतर्गत कराधान हेतु विचार नहीं किया गया।

⁸ सीआईटी बनाम अपोलो टायर्स लिमिटेड (एससी) (2002) 255 आईटीआर 273

⁹ 2004 की सीएजी निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं. 13 का पैरा सं. 1.5.3

2.4.1 सामान्य प्रावधान के अंतर्गत कर हेतु प्रस्तुत किंतु मैट के अंतर्गत अप्रस्तुत आय

नौ राज्यों¹⁰ में 22 निर्धारण मामलों में हमने देखा कि आयकर विभाग द्वारा ₹ 337.86 करोड़ की आय पर मैट के अंतर्गत विचार नहीं किया गया यद्यपि इस आय पर सामान्य प्रावधान के अंतर्गत कर के लिए विचार किया गया था। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 74.10 करोड़ का कर प्रभावित हुआ। (परिशिष्ट-4)

बॉक्स 2.1 सामान्य प्रावधान के अंतर्गत कर हेतु प्रस्तुत किंतु मैट के अंतर्गत अप्रस्तुत आय के निदर्शी मामले

(क) प्रभार: प्र-सीआईटी-सेंट्रल, बंगलूरु

निर्धारिती: मैसर्स राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड

निर्धारण वर्ष: 2013-14 तथा 2014-15

पैन: AAACR8642N

निर्धारण अधिकारी ने सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत क्रमशः दो वित्तीय वर्षों के दौरान आईसीडी¹¹ पर प्राप्त ब्याज के कारण ₹ 43.72 करोड़ तथा ₹ 45.02 करोड़ की राशि की वृद्धि की, जिस पर मैट के अंतर्गत अंकित लाभ की गणना के दौरान विचार नहीं किया गया। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 88.74 करोड़ के अंकित लाभ की गणना कम हुई, जिसमें ₹ 18.16 करोड़ का कर प्रभाव शामिल है। आयकर विभाग से उत्तर प्रतीक्षित है।

(ख) प्रभार: प्र सीआईटी-2 हैदराबाद

निर्धारिती: मैसर्स ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश लि०

निर्धारण वर्ष: 2010-11 तथा 2011-12

पैन- AABCT0088P

निर्धारण अधिकारी ने क्रमशः दो वर्षों के दौरान लिफ्ट इरिगेशन स्कीम कार्यों के लिए आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से प्राप्त अग्रिमों से किए गए सावधि जमा तथा आकस्मिक कोष से किए गए निवेश पर प्राप्त ब्याज के कारण सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत ₹ 46.31 करोड़ तथा ₹ 38.66 करोड़ की अनुवृद्धि की जिस पर मैट के अंतर्गत अंकित लाभ की गणना के दौरान विचार नहीं किया गया। इस चूक के कारण ₹ 84.97 करोड़ के अंकित लाभ

¹⁰ आंध्र प्रदेश व तेलंगाना (2), असम (3), गुजरात (1), हरियाणा (2), कर्नाटका (3) मध्य प्रदेश (1), महाराष्ट्र (7) तथा पश्चिम बंगाल (3)

¹¹ इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट

की कम गणना हुई जिसमें ₹ 21.39 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। आयकर विभाग द्वारा इस आपत्ति (नवंबर 2016) को यह कहते हुए अस्वीकृत कर दिया गया कि धारा 115जेबी में इस प्रकार के समायोजन का उल्लेख नहीं है। यह उत्तर इस न्यायिक निर्णय¹² की दृष्टि से तर्कसंगत नहीं है, कि जहां लेखा पुस्तकें आवश्यक लेखांकन मानकों के साथ पठित कंपनी अधिनियम की अनुसूची VI के भाग II और भाग-III के अनुरूप तैयार नहीं की गई हो वहां निर्धारण अधिकारी अधिनियम की धारा 115जेबी के प्रयोजनार्थ अंकित लाभ को पुनः संगणित करने तथा लाभ और हानि लेखा में बदलाव करने के लिए सक्षम है।

(ग) प्रभार: सीआईटी-2, मुंबई

निर्धारिती: मैसर्स टाटा रिएलटी तथा इंफ्रास्ट्रक्चर लिमि.

निर्धारण वर्ष: 2012-13 तथा 2013-14

पैन: AACCT6242L

एओ ने निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत की गई आय की संगणना स्वीकार की। निर्धारिती ने दो वर्षों के लिए क्रमशः ₹ 12.80 करोड़ तथा ₹ 12.73 करोड़ इंटरनेशनल एमयूजमेंट लिमि. को दिए गए अग्रिम पर ब्याज के रूप में प्रस्तुत किए, जो न तो लेखा पुस्तकों में लेखांकित किए गए और न ही उन पर एओ द्वारा मैट के अंतर्गत अंकित लाभ की संगणना में विचार किया गया। चूक के कारण ₹ 25.53 करोड़ के अंकित लाभ की कम संगणना हुई जिसमें ₹ 4.53 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। आयकर विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है।

ऊपर की गई चर्चा के अनुसार आईसीडी तथा सरकार आदि से प्राप्त अग्रिमों से किए गए सावधि जमा आदि से प्राप्त आय पर अर्जित ब्याज पर सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत विचार किया गया है, लेकिन एओ द्वारा उन पर अंकित लाभ की संगणना हेतु विचार नहीं किया गया।

¹² मैसर्स विकायल इन्वेस्टमेंट कं. (प्रा.) लिमि. बनाम सीआईटी (249 आईटी आर 597 बॉम्बे एचसी 200) मैसर्स विश्वनाथ फिन कैंप बनाम सीआईटी (2007-टीआईओएल-आईटीएटी दिल्ली)

2.4.2 मेट के अतर्गत कर हेतु प्रस्तुत नहीं की गई असाधारण/विशिष्ट मदें

कंपनी अधिनियम, 1956 सभी असाधारण/विशिष्ट मदों¹³ को लाभ-हानि लेखा के माध्यम से लाने का प्रावधान करता है, जिनका लेखा पुस्तकों में निम्नानुसार समाधान होता है:

- (i) अधिकांश कंपनियां इन्हें लाभ और हानि लेखा के माध्यम से आगे ले जाते हैं और मेट के अन्तर्गत अंकित लाभ की संगणना के दौरान उन पर विचार करती हैं। तथापि कुछ कंपनियां मेट के अतर्गत अंकित लाभ की संगणना के लिए विशिष्ट मदों से पहले लाभ और हानि लेखा के अनुसार निवल लाभ का तरीका अपनाती हैं और इस प्रकार मेट के अतर्गत कर के उदग्रहण से ऐसी मदें बच जाती हैं।
- (ii) कुछ कंपनियां मेट लगाने से बचने के लिए असाधारण/विशिष्ट मदों को लाभ और हानि लेखा में दर्ज किए बिना तुलन पत्र में सीधे तौर पर ले लेती हैं।

हमने सात राज्यों¹⁴ में 16 निर्धारण मामलों में देखा कि अंकित लाभ की संगणना के लिए एओ द्वारा असाधारण/विशिष्ट मदों पर विचार नहीं किया। इस चूक के परिणामतः ₹ 126.57 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 23.13 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था (परिशिष्ट-5)। तथापि, महाराष्ट्र में 4 अन्य निर्धारण मामलों¹⁵ में, अंकित लाभ की संगणना हेतु असाधारण/विशिष्ट मदों को शामिल किया गया था।

¹³ असाधारण मदों में वे प्राप्तियां/भुगतान शामिल होते हैं, जो कंपनियों के व्यापार की सामान्य कार्यप्रणाली के माध्यम से नहीं आते हैं। इनके पहले और बाद में कंपनी की कमाई दर्शाने हेतु इनका लेखांकन पृथक शीर्ष में किया जाता है।

¹⁴ आंध्र प्रदेश और तलंगाना (5), छत्तीसगढ़ (1), गुजरात (3), केरल (1), महाराष्ट्र (2), तमिलनाडू (3) तथा उत्तर प्रदेश(1)

¹⁵ मै. टाटा संस लि. (नि.व 2011-12), मै.एचपीसीएल (नि.व 2012-13 और 2013-14) तथा मै. गोदरेज एवं बॉचस मैन्यु. कं.लि. (नि.व. 2012-13)

बॉक्स 2.2: मेट के लिए प्रस्तुत नहीं की गई असाधारण/विशिष्ट मद के सोदाहरण मामले।

(क) प्रभार: प्र. सीआईटी-3, बड़ौदा
निर्धारिती: मै. नर्मदा क्लीन टेक लिमि.
निर्धारण वर्ष: 2013-14
पैन: AABCB4070D

वर्ष के दौरान सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त ₹ 18.12 करोड़ की राशि को निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारिती को आरक्षित और अधिशेष शीर्ष के अन्तर्गत तुलन पत्र को सीधे ले जाने की अनुमति प्रदान की गई। प्राप्ति असाधारण मद बनती थी, जिसे लाभ और हानि लेखा में दर्ज किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इस चूक के कारण ₹ 17.65 करोड़ के अंकित लाभ का कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 3.53 करोड़ का कर प्रभाव भी शामिल था। आयकर विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था।

(ख) प्रभार: सीआईटी-1, कोयम्बटूर
निर्धारिती: मै. सीमा टैक्सटाईल प्रोसेसिंग सेंटर लिमि.
निर्धारण वर्ष 2015-14
पैन: AAJCS5062N

वर्ष के दौरान इंटिग्रेटेड टैक्सटाईल पार्क स्कीम के अंतर्गत सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त ₹ 12 करोड़ की राशि एओ द्वारा निर्धारिती को आरक्षित और अधिशेष शीर्ष के अन्तर्गत तुलन पत्र को सीधे रखने की अनुमति दी गई। प्राप्ति असाधारण मद बनती थी, जिसे लाभ और हानि लेखा में दर्ज किया जाना चाहिए था किंतु ऐसा नहीं किया गया। इस चूक के कारण ₹ 12 करोड़ के अंकित लाभ की कम संगणना हुई जिसमें ₹ 3.22 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। आयकर विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है।

लेखा बहियों में सहायता अनुदान आदि जैसी आय के समाधान संबंधी विशिष्ट प्रावधानों की अनुपस्थिति में लाभ और हानि लेखा के बजाए इनको तुलन पत्र में सीधे ले जाया गया, इस प्रकार अंकित लाभ की संगणना में वे समायोजन से बच गए।

2.4.3 समामेलक कंपनी के दीर्घावधि निवेश की बिक्री पर लाभ/हानि का समाधान।

संबंधित उच्च न्यायालय से अनुमोदित समामेलन योजना के अनुसार समामेलन पर परिसंपत्ति (समामेलक कंपनी में निवेश) की बिक्री से हुए लाभ/हानि का समायोजन तुलन पत्र में 'सामान्य आरक्षित निधि' शीर्ष के अंतर्गत किया जाता है। एएस 14¹⁶ भी इस निर्णय की पुष्टि करता है, जबकि एएस 13¹⁷ के अनुसार ऐसे लाभ/हानि को सामान्य रूप से लाभ और हानि लेखा में दर्ज किया जाना चाहिए। एएस13 के अनुसार लेखांकन समाधान के उल्लंघन से संबंधित समुचित प्रकटीकरण वार्षिक लेखा की टिप्पणियों में दिया जाता है। अधिनियम में ऐसे किसी विशिष्ट प्रावधान की अनुपस्थिति में निर्धारण अधिकारी के लिए मैट के अंतर्गत अंकित लाभ की संगणना में ऐसी आय/हानि के समाधान के संबंध में किसी निर्णय पर पहुंचना बहुत ही कठिन होता है।

तीन राज्यों¹⁸ में तीन निर्धारण मामलों में हमने देखा कि यद्यपि समामलेन की अनुमोदित योजना में निर्धारित निर्देशों के अनुसार लाभ/हानि का समायोजन सामान्य आरक्षित निधि के प्रति किया गया था, फिर भी मैट के उद्देश्य हेतु उनका समाधान निर्धारिती की सुविधानुसार भिन्न-भिन्न था। अंकित लाभ की संगणना करते समय, निर्धारिती द्वारा आय/लाभ पर विचार नहीं किया गया, जबकि ऐसे लेन-देन में हुई हानि को उनके द्वारा हिसाब में लिया गया लेकिन इसे लाभ और हानि लेखा को डेबिट नहीं किया गया। इस चूक के कारण ₹ 99.39 करोड़ के अंकित लाभ की संगणना कम हुई जिसमें ₹ 15.36 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। (परिशिष्ट-6)

¹⁶ समामेलन योजना में समामेलन पर समामेलक कंपनियों के निवेश की बिक्री के संबंध में हुए लाभ/हानि के समाधान हेतु दिए गए निर्देशों का पालन किया जाना है।

¹⁷ किसी निवेश के निपटान पर, आवर्ती राशि और निवल निपटान प्राप्ति के बीच का अंतर लाभ और हानि लेखा में या तो भारित होगा या क्रेडिट किया जाएगा।

¹⁸ आंध्र प्रदेश और तेलंगाणा (1) और महाराष्ट्र (2)

बॉक्स 2.3: समामेलक कंपनी के दीर्घावधि निवेश की बिक्री पर हुये लाभ/हानि के समाधान के सौदाहरण मामले।

प्रभार: प्र. सीआईटी-3, मुंबई

निर्धारिती: मै. दलजीता फाईनेशियल एंड टेक्नीकल सर्विसेज प्रा.लि.

निर्धारण वर्ष: 2013-14

पैन: AABCD1297L

एओ ने निर्धारिती द्वारा यथा प्रस्तुत आय की गणना को स्वीकार किया था। निर्धारिती ने समामेलित कम्पनी के दीर्घावधि निवेश की बिक्री पर लाभ को पूंजीगत रिजर्व में क्रेडिट किया जिस पर एओ द्वारा मैट के तहत कर हेतु विचार नहीं किया गया। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 31.73 करोड़ के अंकित लाभ की कम गणना हुई जिसमें ₹ 5.21 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। आयकर विभाग ने यह कहते हुए आपत्ति को स्वीकार नहीं किया (जनवरी 2017) कि (i) समामेलन के कारण ऐसा संव्यवहार अधिनियम की धारा 47(vi) के अनुसार अन्तरण नहीं था और इसलिए ऐसे संव्यवहार पर कोई पूंजीगत लाभ नहीं हुआ (ii) मै. अपोलो टायर लि. के मामले में शीर्ष न्यायालय के निर्णय के दृष्टिगत निर्धारित समायोजनों से परे कोई समायोजन करने की एओ के पास शक्ति नहीं थी और (iii) इस मामले में एएस 13 नहीं लगाया गया था और समामेलन के कारण अंतरण एएस-14 द्वारा अच्छी तरह से कवर किया गया था। उत्तर न्यायिक निर्णय¹⁹ कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 391 और 394 के तहत संस्वीकृत किसी योजना का कम्पनी अधिनियम सहित किसी अन्य कानून के प्रावधानों के साथ कोई अधिभावी प्रभाव नहीं था या उससे अलग प्रभाव नहीं होगा, के दृष्टिगत मान्य नहीं था। कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत समझौते/प्रबंधन की योजना के आधार पर बनाए गए किसी लेखाकरण के प्रभाव का निर्धारण और अनुवर्ती कार्रवाईयों में आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्र रूप से निर्णय देना होगा। अंकित लाभ की गणना करते समय एओ का प्रमुख कर्तव्य था कि वह देखे कि क्या लेखों का अनुरक्षण कम्पनी अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुरूप किया गया था, जिसे वह लेखापरीक्षक के मत के बावजूद निष्पादित करने में विफल रहा। मै. अपालो टायर के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को लागू न करने के बारे में भी उपरोक्त न्यायिक निर्णय में चर्चा की गई थी।

¹⁹ मै. जे के लक्ष्मी सीमेंट बनाम एसीआईटी-आईटीएटी कोलकाता (दिनांक 30.08.2011, की आईटीए सं. 1275, 1417 और 2009 की 1470)

इसके अलावा, इसके विपरीत पीसीआईटी-2, हैदराबाद प्रभार में निर्धारित मै. गति लि.²⁰ (नि.व. 2013-14, पैन AABCG3709Q) के एक दूसरे मामले में आयकर विभाग ने मै. गति शिप लि. (समामेलित कम्पनी) से संबंधित शेयरों की बिक्री पर ₹ 64 करोड़ की हानि के लिए निर्धारिती का दावा स्वीकृत किया, जो कि मैट के तहत अंकित लाभ की संगणना में मै. जे के लक्ष्मी सीमेंट लि. बनाम एसीआईटी के निर्णय पर भरोसा करते हुए लाभ और हानि लेखे में डेबिट नहीं किया गया था।

आयकर विभाग ने ऊपर सोदाहरण मामलों में विरोधाभासी निर्णय लिया। पहले मामले में, समामेलित कम्पनी के दीर्घावधि निवेश की बिक्री पर लाभ को लाभ और हानि खाते में दर्ज किये बिना पूंजीगत रिजर्व में क्रेडिट किया गया, परन्तु उसका मैट के लिए विचार नहीं किया गया जबकि दूसरे मामले में समामेलित कम्पनी के शेयरों की बिक्री पर हानि को भी "पूंजीगत रिजर्व" के प्रति समायोजित किया गया था, जो यद्यपि लाभ और हानि लेखे में डेबिट नहीं किया गया था, परन्तु उसका दावा किया गया और उसे मैट के तहत अंकित लाभ की संगणना में अनुमत किया गया। आयकर विभाग द्वारा विरोधाभासी/असंगत किन्तु प्रावधानों के सुविधाजनक कार्यान्वयन/ समाधान के परिणामस्वरूप निर्धारितियों को अनुचित लाभ मिला और सरकार को राजस्व की हानि हुई। आयकर विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था।

2.5 "आरक्षित निधि" और "अभिनिश्चित देयता के लिए प्रावधान" दोनों के घटक वाली मदों का समाधान

अधिनियम की धारा 115जेबी (2)(बी) के अनुसार अंकित लाभ की संगणना के दौरान "किसी भी नाम से पुकारे जाने वाली किसी भी राशि को आरक्षित निधि में ले जाने" की अस्वीकृति दी जानी चाहिए थी जबकि धारा 115जेबी (2)(सी) में अभिनिश्चित देयताओं को पूरा करने के लिए किए गए प्रावधानों हेतु राशियों या अपास्त की गई राशियों की अननुमति का प्रावधान है।

डिबेंचर रीडेम्पशन रिजर्व (डीआरआर) ऐसे आरक्षित²¹ निधियों में से एक है जिसमें लाभ तथा हानि लेखे को प्रभारित किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय

²⁰ पैरा 3.6, परिशिष्ट 5.11

²¹ आईसीएआई द्वारा जारी कम्पनी अधिनियम, 1956 की संशोधित अनुसूची VI पर मार्गदर्शन नोट 'आरक्षित निधियां और अधिशेष' को (क) पूंजीगत रिजर्व (ख) पूंजीगत रीडेम्पशन रिजर्व (ग) प्रतिभूति प्रीमियम रिजर्व (घ) डिबेंचर रीडेम्पशन रिजर्व (ङ.) पुनर्मुल्यांकन रिजर्व या अन्य रिजर्व के रूप में वर्गीकृत करता है।

और बॉम्बे उच्च न्यायालय ने निर्णय²² दिया था कि डीआरआर 'अभिनिश्चित देयता के लिए प्रावधान है' और अतः अधिनियम की धारा 115जेबी(2)(सी) के तहत अनुमति योग्य है। दिल्ली उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण²³ यह मानते हुए भिन्न था कि यदि डीआरआर विनियोजन लेखे को प्रभारित होता है तो इसे अभिनिश्चित देयता के लिए प्रावधान के रूप में माने जाने के बजाय रिजर्व के रूप में माना जाएगा और इसे धारा 115जेबी (2)(बी) के तहत अननुमत किया जाएगा।

अवनिर्धारित देयता के माध्यम से लाभ और हानि लेखे को डेबिट करने के डिबेंचर रिडेम्पशन/लोन रिडेम्पशन रिजर्व इत्यादि के प्रावधान में पूंजी के साथ-साथ ऋण (ब्याज) के राजस्व अंश का घटक मौजूद रहता है। आरक्षित निधि का सृजन पूंजी और ब्याज दोनों के परिशोधन के लिए किया जाता है। इसका सामान्य प्रावधानों के तहत आय की संगणना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि अवनिर्धारित के साथ-साथ अनिश्चित देयता के लिए प्रावधान अननुमत किया जाता है। मैट के तहत अंकित लाभ की संगणना में ऐसे आरक्षित निधि की अनुमति पूंजीगत व्यय की अनुमति के समान होगी।

हमने दो राज्यों²⁴ में आठ निर्धारण मामलों में पाया कि एओ ने 'विनियोजन लेखे' में डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व/लोन रिडेम्पशन रिजर्व के रूप में प्रभारित ₹ 2,163.47 करोड़ की कटौती अनुमत की थी जैसा कि निर्धारिती द्वारा मैट के तहत अंकित लाभ की संगणना में दावा किया गया था, इसमें ₹ 331.14 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था (परिशिष्ट-7)। हमने महाराष्ट्र में अन्य तीन निर्धारण मामलों²⁵ में आगे पाया कि निर्धारिती ने उसे विनियोजन लेखे में प्रभारित किया था किन्तु उसे मैट के तहत कर हेतु प्रस्तुत किया था।

²² सीआईटी बनाम नेशनल रेयान कारपोरेशन (एससी) [1997] 227 आईटीआर 764 और सीआईटी बनाम रेमण्ड लि. (बोम ह.को) [2012] 21 taxmann.com60

²³ अतिरिक्त सीआईटी बनाम एसआरआईआई इंफ्रास्ट्रक्चर (दिल्ली हाई कोर्ट) (2015) 2012 की सिविल अपील सं. 371

²⁴ महाराष्ट्र (6) और पश्चिम बंगाल (2)

²⁵ रिलायन्स इंडस्ट्रीज लि., टाटा सन्स लि. और टाटा पावर लि.

**बॉक्स 2.4: “आरक्षित निधि” और “अभिनिश्चित देयता के लिए प्रावधान”
दोनों के घटक वाली मदों के समाधान पर सोदाहरण मामले**

**(क) प्रभार: प्र. सीआईटी (सेन्ट्रल)-3, मुम्बई
निर्धारिती: मै. हाऊसिंग डेवलपमेंट एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
निर्धारण वर्ष: 2008-09 से 2010-11 और 2012-13
पैन: AAACH5443F**

एओ ने नि.व. 2008-09 से 2010-11 और नि.व. 2012-13 से डीआरआर के लिए कुल ₹ 1,917.12 करोड़ की कटौती अंकित लाभ की संगणना में अनुमत की थी जैसा दावा किया गया था हालांकि उसे विनियोजन लेखे को प्रभारित किया गया था। मैट के तहत अंकित लाभ की संगणना के लिए निवल लाभ विनियोजन से पहले लाभ और हानि लेखा के अनुसार लिया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1,917.12 करोड़ के अंकित लाभ की कम संगणना हुई जिसमें ₹ 285.63 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। आयकर विभाग से उत्तर प्रतीक्षित था।

**(ख) प्रभार: प्र. सीआईटी-2, कोलकाता
निर्धारिती: मै. केशोराम इंडस्ट्रीज लि.
निर्धारण वर्ष: 2010-11
पैन: AABCK2417P**

एओ ने मैट के तहत अंकित लाभ की संगणना करते समय डिबेंचर रीडेम्पशन रिजर्व को अंतरित लाभ और हानि लेखे को डेबिट किए गए ₹ 101.25 करोड़ को नहीं जोड़ा। डिबेंचर रीडेम्पशन रिजर्व कम्पनी के लाभ से बनाया²⁶ गया था। अतः यह लाभ का विनियोजन होने पर रिजर्व के रूप में माना जाना अपेक्षित था और अभिनिश्चित देयता के लिए प्रावधान के रूप में नहीं। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 101.25 करोड़ के अंकित लाभ की कम संगणना हुई जिसमें ₹ 17.21 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। आयकर विभाग से उत्तर प्रतीक्षित था।

“अभिनिश्चित देयता” को पूरा करने के लिए बनाया गया डिबेंचर रीडेम्पशन रिजर्व/लोन रीडेम्पशन रिजर्व एक ऐसा “रिजर्व” है जिस ने अंकित लाभ की संगणना के प्रयोजनार्थ के लिए इसके समाधान को और अधिक जटिल बना दिया क्योंकि धारा 115जेबी(2)(सी) में उसके नाम पर विचार किए बिना बनाए

²⁶ लाभ और हानि खाते की अनुसूची 17 का नोट 19.3

गए किसी भी रिजर्व को जोड़े जाने का प्रावधान है जबकि धारा 115जेबी(2)(बी) के अनुसार एक "अभिनिश्चित देयता" का कोई प्रावधान अंकित लाभ की संगणना में जोड़ा जाएगा। मामले पर स्पष्टता के अभाव से मुकदमेबाजी हो सकती है।

एग्लिट कान्फ्रेंस में, लेखापरीक्षा ने डीआरआर/एलआरआर के मामले में बताया, कि उच्च न्यायालय के दो विरोधाभासी निर्णय हैं जिसकी जांच और उचित कार्रवाई के लिए सीबीडीटी सहमत हो गया।

2.6 अंकित लाभ के प्रयोजनार्थ मूल्यहास की विधि में परिवर्तन का प्रभाव

मूल्यहास²⁷ की विधि में परिवर्तन की स्थिति में, एक कम्पनी को अपनाई गई नई विधि के तहत परिसम्पत्ति की स्थापना के वर्ष से मूल्यहास की गणना करनी होगी और कमी/आधिक्य लाभ और हानि लेखे में डेबिट/क्रेडिट होगा और तदनुसार²⁸ अंकित लाभ की संगणना में उसका प्रभाव दिया जाएगा।

हमने पाँच राज्यों²⁹ में 14 निर्धारण मामलों में से कर्नाटक और महाराष्ट्र में आठ निर्धारण मामलों³⁰ में मूल्यहास की विधि में परिवर्तन के कारण पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित ₹ 38.50 करोड़ के अत्यधिक मूल्यहास के मामले देखे, जिसे लाभ और हानि लेखे में क्रेडिट किया गया था और अंकित लाभ की संगणना में कम किया गया था। बाकी छः निर्धारण मामलों³¹ में विधि में परिवर्तन के कारण ₹ 124.31 करोड़ के मूल्यहास में कमी को लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया गया था किन्तु अंकित लाभ की संगणना में जोड़ा नहीं गया था, जिसे आयकर विभाग द्वारा अनुमत किया गया था। मूल्यहास की विधि में परिवर्तन के कारण लाभ और हानि लेखे को क्रेडिट मूल्यहास में वृद्धि को अंकित लाभ की गणना में कमी के कारण ₹ 5.16 करोड़ का कर प्रभाव बनता था (परिशिष्ट-8)।

²⁷ भारत के सनदी लेखाकारों के संस्थान द्वारा जारी एस 6 के पैरा 21 के अनुसार स्ट्रेट लाइन विधि से अवलेखित मूल्य, विधि और प्रतिलोमतः

²⁸ एस 6 का पैरा 15

²⁹ फेयर एक्सपोर्ट इंडिया प्रा. लि. नि.व. 2011-12, रिदम सिंथेटिक्स प्रा. लि. नि.व. 2013-14, जेनिथ इंडस्ट्रीयल रबड प्रोजेक्टस प्रा. लि. नि.व. 2013-14, माइंड ट्री वायरलेस प्रा. लि. नि.व. 2010-11, कोगनिजेंट ग्लोबल सर्विसेस प्रा. लि. नि.व. 2008-09, 2009-10, मुख्तार मिनरल्स प्रा. लि. नि.व. 2012-13 और सितरिक्स आर एंड डी इंडिया प्रा. लि. नि.व. 2011-12

³⁰ कर्नाटक (5), केरल (1), महाराष्ट्र (5), मध्य प्रदेश (2) और तमिलनाडु (1)

³¹ लक्ष्मी मिल्स क. लि; नि.व. 2013-14, पेट्रोनेट सीसीके लि. नि.व. 2013-14, एवीआई एग्री बिज़नेस प्रा. लि. नि.व. 2011-12, एचडी वायर्स प्रा. लि. नि.व. 2011-12, सौराष्ट्र कंटेनर्स प्रा. लि. नि.व. 2012-13 और द वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लि. नि.व. 2010-11

बॉक्स 2.5: अंकित लाभ के प्रयोजनार्थ मूल्यहास की विधि में परिवर्तन के प्रभाव के सोदाहरण मामले

(क) प्रभार: प्र. सीआईटी-14, मुम्बई

निर्धारिती: मै. फेयर एक्सपोर्ट इंडिया प्रा. लि.

निर्धारण वर्ष: 2011-12

पैन: AAACF3799A

एओ ने निवल लाभ के नीचे शीर्ष "असाधारण तथा पूर्वावधि मर्दे" के अन्तर्गत लाभ एवं हानि लेखे को मूल्यहास की विधि में परिवर्तन के कारण पूर्व वर्षों से संबंधित अधिक मूल्यहास के प्रति ₹ 8.86 करोड़ क्रेडिट करने के लिए निर्धारिती को स्वीकृति दी परन्तु विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत अंकित लाभ में शामिल करने के लिए इस पर विचार नहीं किया गया। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 8.82 करोड़ के अंकित लाभ की कम संगणना हुई जिसमें ₹ 1.76 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। आयकर विभाग से उत्तर प्रतीक्षित था।

(ख) प्रभार: प्र. सीआईटी-1, मुम्बई

निर्धारिती: मै. जेनिथ इंडस्ट्रीयल रबड प्रोडक्ट्स प्रा. लि.

निर्धारण वर्ष: 2013-14

पैन: AAACA3874D

एओ ने मूल्यहास की विधि में परिवर्तन के कारण पूर्व वर्षों से संबंधित अधिक मूल्यहास के लिए निर्धारिती को ₹ 7.20 करोड़ लाभ और हानि लेखे में क्रेडिट करना अनुमत किया जिसे मैट के अंतर्गत अंकित लाभ की संगणना में कम कर दिया गया था। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 7.20 करोड़ के अंकित लाभ की कम संगणना हुई जिसमें ₹ 1.11 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। आयकर विभाग से उत्तर प्रतीक्षित था।

(ग) प्रभार: प्र. सीआईटी-1, कोच्ची

निर्धारिती: मै. पेट्रोनेट सीसीके लि.

निर्धारण वर्ष: 2013-14

पैन: AABCP9197R

एओ ने मूल्यहास की विधि में परिवर्तन के कारण पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित मूल्यहास में कमी के लिए लाभ और हानि लेखे में निर्धारिती को ₹ 61.40 करोड़ का डेबिट अनुमत किया किन्तु मैट के अन्तर्गत अंकित लाभ की संगणना में उसे नहीं जोड़ा। आयकर विभाग से उत्तर प्रतीक्षित था।

इस प्रकार मैट के तहत अंकित लाभ की गणना में निर्धारिती को लाभ देने के लिए मूल्यहास की विधि में परिवर्तन के कारण अधिक मूल्यहास और मूल्यहास में कमी पर अलग-अलग कार्रवाई हुई जिसके परिणामस्वरूप मूल्यहास की या तो कम या अधिक अनुमति दी गई।

2.7 विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत लेखा बहियों के अनुसार अंकित लाभ की गणना में अग्रणीत कारोबार हानि/अनावशोषित मूल्यहास का समाधान

बही खातों के अनुसार अग्रणीत हानि या अनावशोषित मूल्यहास की राशि, जो भी कम हो, को अंकित लाभ³² की संगणना में निवल लाभ से कम कर दिया जाता है। इस निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, हमने अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों से कुछ विचलन पाए जैसे कि निम्नलिखित उप पैराग्राफों में चर्चा की गई है:

2.7.1 लाभ और हानि लेखे के अनुसार अग्रणीत लाभ और अनावशोषित मूल्यहास के अनुपात में लाभ का विभाजन

हमने महाराष्ट्र में तीन निर्धारण मामलों में पाया कि अंकित लाभ के उद्देश्य से अग्रणीत हानि या अनावशोषित मूल्यहास के आंकड़े पाने के लिए एओ ने निर्धारिती को उसके लाभ को लाभ और हानि लेखे में अग्रणीत हानि और अनावशोषित मूल्यहास के अनुपात में बांटने की अनुमति दी और फिर विशेष प्रावधानों के तहत अंकित लाभ की संगणना के लिए लाभ की आबंटित राशि का समायोजन अग्रणीत हानि या अनावशोषित मूल्यहास, जो भी कम हो, के प्रति लाभ के समायोजन के बजाय घटाई गई हानि के प्रति किया। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 101.33 करोड़ के अंकित लाभ की कम संगणना हुई जिसमें ₹ 8.15 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था (परिशिष्ट-9)।

³² अधिनियम की धारा 115जेबी (2) का स्पष्टीकरण (i)(iii)

बॉक्स 2.6: लाभ और हानि लेखे के अनुसार अग्रणीत हानि और अनावशोषित मूल्यहास के अनुपात में लाभ के विभाजन पर सोदाहरण मामला

प्रभार: प्र. सीआईटी-8, मुम्बई

निर्धारिती: मै. वोडाफोन लि.

निर्धारण वर्ष: 2004-05 और 2005-06

पैन: AAACH5332B

एक अपीलीय आदेश³³ (फरवरी 2013) को लागू करते समय एओ ने दो निर्धारण वर्षों के लिए क्रमशः ₹ 185.88 करोड़ और ₹ 348.54 करोड़ के अंकित लाभ पर मैट के तहत कर का उद्ग्रहण किया जिसे निर्धारिती द्वारा नि.व. 1996-97 से 2000-01 से संबंधित कारोबार हानि/अनावशोषित मूल्यहास के लिए ₹ 59.66 करोड़ और ₹ 39.20 करोड़ कम करने के बाद आकलित किया गया था। निर्धारिती ने अपने लाभ को लाभ और हानि लेखे में अग्रणीत हानि और अनावशोषित मूल्यहास के अनुपात में बांट दिया था और फिर उसे विशेष प्रावधान के तहत अंकित लाभ की गणना में अग्रणीत हानियों या अनावशोषित मूल्यहास, जो भी कम हो, के प्रति लाभ के समायोजन के बजाय क्रमशः हानियों/मूल्यहास के प्रति लाभ की आवंटित राशि को समायोजित किया। एओ द्वारा गलत अभिगम चूक के परिणामस्वरूप ₹ 59.66 करोड़ और ₹ 39.23 करोड़³⁴ के अनावशोषित कारोबार हानि/मूल्यहास का अधिक निर्धारण हुआ जिसमें क्रमशः ₹ 4.59 करोड़ और ₹ 3.08 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। आयकर विभाग से उत्तर प्रतीक्षित था।

2.7.2 अग्रणीत कारोबार हानि/अनावशोषित मूल्यहास की संचयी स्थिति के बजाय उनकी पूर्व वर्ष की स्थिति को हिसाब में लेना

हमने दो राज्यों³⁵ में पाँच निर्धारण मामलों में पाया कि अंकित लाभ की संगणना करते समय एओ ने अग्रणीत कारोबार हानि या अनावशोषित मूल्यहास की संचयी स्थिति के स्थान पर निर्धारिती को तुरन्त पूर्ववर्ती वर्ष की हानि या अनावशोषित मूल्यहास जो भी कम हो को घटाने की अनुमति दी। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 22.25 करोड़ की अनावशोषित हानि/मूल्यहास का

³³ धारा 260ए के तहत पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित

³⁴ एओ ने गलती से नि.व. 2005-06 के लिए अंकित लाभ की संगणना में दोबारा ₹ 3.92 लाख का मूल्यहास कम कर दिया।

³⁵ महाराष्ट्र (2) और तमिलनाडु (3)

अनियमित समंजन हुआ जिसमें ₹ 4.43 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। (परिशिष्ट 10)।

बॉक्स 2.7: अग्रणीत कारोबार हानि/अनावशोषित मूल्यहास की संचयी स्थिति के बजाय उनकी पूर्व वर्ष की स्थिति को हिसाब में लेने पर सोदाहरण मामले

(क) प्रभार: प्र. सीआईटी-10, मुम्बई
निर्धारिती: मै. जेसन इन्डस्ट्रीज़
निर्धारिती वर्ष: 2010-11
पैन: AAACJ7659P

एओ ने निर्धारिती द्वारा नि.व. 2010-11 के लिए अंकित लाभ की संगणना में नि.व. 2009-10 से संबंधित अनावशोषित मूल्यहास (जो कम था) के रूप में ₹ 2.18 करोड़ की कटौती स्वीकार की और पूर्व वर्षों के ₹ 17.36 करोड़ के संचित लाभ की अनदेखी की। वस्तुतः नि.व. 2010-11 के लिए कोई हानि अथवा मूल्यहास उपलब्ध नहीं था। अनावशोषित मूल्यहास की अनियमित कटौती के परिणामस्वरूप ₹ 2.18 करोड़ के अंकित लाभ की कम संगणना हुई जिसमें ₹ 37.06 लाख का कर प्रभाव शामिल था। आयकर विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था।

(ख) प्रभार: प्र. सीआईटी-2, चेन्नई
निर्धारिती: मै. ईआईएच एसोसिएट्स होटल्स लि.
निर्धारण वर्ष: 2012-13
पैन: AAACE2125M

एओ ने अंकित लाभ की संगणना करते समय जैसा कि दावा किया गया था समामेलित कम्पनी से संबंधित ₹ 18.29 करोड़ का अनावशोषित मूल्यहास कम किया। इसके अलावा, निर्धारिती ने समामेलित कम्पनी की ₹ 50.53 करोड़ की हानि को सामान्य आरक्षित निधि और अधिशेष में उपलब्ध ₹ 69.87 करोड़ के उसके लाभ के प्रति समायोजित किया और इसलिए ऐसी कोई हानि उपलब्ध नहीं थी। एओ द्वारा समामेलित कम्पनी के अनावशोषित मूल्यहास की अनियमित अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 18.29 करोड़ के अंकित लाभ की कम गणना हुई जिसमें ₹ 3.66 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। आयकर विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति (मई 2015) यह कहते हुए स्वीकार नहीं की कि अग्रणीत और समंजित की जाने वाली राशि का लेखा बहियों के

अनुसार वास्तविक हानियों पर संचित सामान्य रिजर्व का कोई प्रभाव नहीं होता है। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि निर्धारिती ने स्वयं अपने संचित अधिशेष के प्रति समामेलित कम्पनी की हानि समंजित की थी। इसके अलावा, अनावशोषित मूल्यहास या हानि, जो भी कम था, उसे पिछले वित्तीय वर्ष तक संचित आधार पर कम किया जाना चाहिए था।

2.7.3 लेखा बहियों के अनुसार चालू वर्ष सहित आगामी वर्षों में अग्रणीत कारोबार हानि/ अनावशोषित मूल्यहास की समान राशि का दावा

हमने महाराष्ट्र में दो निर्धारण मामलों में पाया कि लेखा बहियों के अनुसार, अग्रणीत हानियों/अनावशोषित मूल्यहास की राशि निकालते समय, दोनों में जो कम हो, के बजाय अधिकतम अग्रणीत हानि/अनावशोषित मूल्यहास के लाभ के समायोजन से लगातार तीन निर्धारण वर्षों के लिए अंकित लाभ की संगणना के दौरान कटौती की समान राशि का दावा किया जिसे अनुमति दी गई। (परिशिष्ट 11)।

बॉक्स 2.8: लेखा बहियों के अनुसार अग्रणीत कारोबार हानि/अनावशोषित मूल्यहास की गलत अनुमति के सोदाहरण मामले

प्रभार: प्र. सीआईटी-2, मुम्बई

निर्धारिती: मै. डीसीबी बैंक लि.

निर्धारण वर्ष: 2012-13 और 2013-14

पैन: AAACD1461F

शून्य पर अंकित लाभ की गणना करते समय, एओ ने ₹ 45.93 करोड़ तथा ₹ 40.86 करोड़ के लाभ की सीमा तक उसे सीमित कर दोनो निर्धारण वर्षों में अनावशोषित मूल्यहास के प्रति ₹ 50.99 करोड़ की उसी राशि को कम कर दिया जिसे निर्धारिती अनावशोषित मूल्यहास की राशि को उतनी ही रखते हुए उच्च संचित व्यवसाय हानि के साथ लाभ को समायोजित करके पिछले तीन वर्षों से दावा कर रहा था। नि.व. 2012-13 और 2013-14 के लिए समंजन के लिए उपलब्ध अनावशोषित मूल्यहास क्रमशः ₹ 9 करोड़ और 'शून्य' था। अनावशोषित मूल्यहास के अत्यधिक समंजन के परिणामस्वरूप कुल ₹ 77.79 करोड़ के अंकित लाभ की कम गणना हुई जिसमें दो वर्षों के लिए ₹ 15.56 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था।

आयकर विभाग ने नि.व. 2012-13 की आपत्ति को यह कहते हुए स्वीकार नहीं किया (अक्टूबर 2015) कि बही खातों के अनुसार कारोबार हानि और अनावशोषित मूल्यहास को प्रत्येक निर्धारण वर्ष के लिए आवंटन करना होता है और तदनुसार दावा अनुमत किया गया था जबकि दोनों में से कमतर को पहले ही पूर्व वर्ष में अनुमत किया गया है। उत्तर इस आधार पर मान्य नहीं था कि अग्रणीत कारोबार हानि और अनावशोषित मूल्यहास में से केवल कम वाले को बही खाते की संगणना में कम किया जाना है। अतः, यदि किसी वर्ष में अनावशोषित मूल्यहास की समान राशि को दोनों में से कम माना जाता है, तो उसे उत्तरवर्ती वर्षों में दोनों में से कम मान कर दावा नहीं किया जा सकता है। मै. राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. बनाम सीआईटी (2004 की एएआर सं. 652) के मामले में एडवांस रूलिंग अथॉरिटी द्वारा दिया गया निर्णय यहां प्रासंगिक है। यदि आय कर विभाग के दृष्टिकोण का समर्थन किया जाए तो एक ऐसी परिस्थिति होगी जहां बही खातों के अनुसार निर्धारित कारोबार हानि/ अनावशोषित मूल्यहास की निचली राशि कभी भी "शून्य" नहीं होगी।

अधिनियम के प्रावधान में अंकित लाभ की संगणना में अग्रणीत हानि/अनावशोषित मूल्यहास के समाधान के तरीके से निपटने के लिए स्पष्टता की कमी थी जैसा ऊपर पैरा 2.7.1 से 2.7.3 में चर्चा की गई है।

2.8 अधिनियम के प्रावधानों में कमियां

हमने ऐसे मामले पाए जहां एओज़ ने सामान्य प्रावधानों के तहत कुछ मदों का संवर्धन किया जिसका निवल लाभ पर प्रभाव पड़ा। तथापि, विशेष प्रावधानों के तहत निर्धारित समायोजनों को सक्षम बनाने के लिए इन मदों पर अंकित लाभ की संगणना के लिए विचार नहीं किया गया। ऐसी वृद्धियों पर अनुवर्ती पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

2.8.1 अंकित लाभ की संगणना में वास्तव में बड़े खाते में डाले गए अशोध्य ऋण को कम करने के लिए प्रावधान न होना

वास्तव में बड़े खाते में डाले गए अशोध्य ऋण जिन्हें अलग से लाभ और हानि खाते में प्रभारित नहीं किया गया हो, को धारा 36(1)(vii) के अनुसार सामान्य प्रावधानों के तहत अनुमत किया जा सकता है, जो अनुसूचित/गैर-अनुसूचित बैंकों, सार्वजनिक/राज्य वित्तीय संस्थानों और राज्य औद्योगिक निवेश निगम के मामले में लागू³⁶ नहीं होंगे जब तक कि निर्धारित ने निर्धारित प्रतिशत³⁷ पर ऐसे ऋण के भाग को धारा 36(1)(viiए) के तहत कटौती के उद्देश्य से अशोध्य और संदेहपूर्ण ऋण खाते के प्रावधानों में उसे डेबिट न किया हो। तथापि, धारा 115जेबी के तहत बड़े खाते डाले गये ऐसे अशोध्य ऋणों को अनुमत करने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो अलग से लाभ और हानि खाते में प्रभारित न हो। इसके परिणामस्वरूप, विभिन्न एओज़ द्वारा उसका समाधान अंकित लाभ की संगणना में एक समान नहीं था।

हमने तीन राज्यों³⁸ में नौ निर्धारण मामलों की नमूना जांच की जहां अशोध्य ऋणों को वास्तव में बड़े खाते में डाला गया था और उन्हें धारा 36(1)(vii) के प्रावधानों के अनुसार आय की सामान्य गणना में कटौती के रूप में अनुमत किया गया था। तथापि, धारा 115जेबी के तहत अंकित लाभ की संगणना करते समय तीन निर्धारण मामलों में अशोध्य ऋणों को अंकित लाभ से घटाया गया था। किन्तु वास्तव में बड़े खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों का सभी छः निर्धारण मामलों में उन पर विचार नहीं किया गया था (परिशिष्ट 12)।

³⁶ अधिनियम की धारा 36 (2)(v)

³⁷ धारा 36(1)(viiए) के तहत कटौती अनुमत करने से पूर्व कुल आय का 7.5 प्रतिशत और अध्याय VIए; और ऐसे बैंक की ग्रामीण शाखाओं द्वारा बनाए गए कुल औसत अग्रिमों का 10 प्रतिशत

³⁸ आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाणा (2), दिल्ली (3), महाराष्ट्र (4)

बॉक्स 2.9: अंकित लाभ की संगणना में वास्तव में बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋण को कम करने के लिए प्रावधान न होने पर सोदाहरण मामले

(क) प्रभार: प्र. सीआईटी-2, मुम्बई
निर्धारिती: मै. बैंक ऑफ इंडिया
निर्धारण वर्ष: 2007-08 एवं 2014-15
पैन: AAACB0472C

निर्धारण अधिकारी ने, अन्य बातों के साथ ₹ 5,23.53 करोड़ एवं ₹ 3,836.25 करोड़ जैसा दावा किया गया, को साधारण प्रावधानों के अन्तर्गत वास्तविक अशोध्य ऋण को बट्टे खाते डालने की अनुमति दी, जिस पर अंकित लाभ की संगणना में विचार नहीं किया गया क्योंकि उसके लिए विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। आईटीडी से उत्तर प्रतीक्षित था।

(ख) प्रभार: सीआईटी-7, नई दिल्ली
निर्धारिती: मै. ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स
निर्धारण वर्ष: 2013-14 एवं 2014-15
पैन: AAACO0191M

निर्धारण अधिकारी ने, अन्य बातों के साथ ₹ 1393.20 करोड़ एवं ₹ 1231.56 करोड़ जैसा दावा किया गया, को साधारण प्रावधानों के अन्तर्गत वास्तविक अशोध्य ऋण को बट्टे खाते डालने की अनुमति दी, जिस पर अंकित लाभ की संगणना में विचार नहीं किया गया क्योंकि उसके लिए विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। आईटीडी से उत्तर प्रतीक्षित था।

(ग) प्रभार: प्र. सीआईटी-2, मुम्बई
निर्धारिती: मै. डीसीबी बैंक लिमिटेड
निर्धारण वर्ष: 2012-13 एवं 2013-14
पैन: AAACD1461F

निर्धारण अधिकारी, ने अन्य बातों के साथ-साथ ₹ 36.29 करोड़ एवं ₹ 85.26 करोड़ जैसा दावा किया गया, को साधारण प्रावधानों के अन्तर्गत वास्तविक अशोध्य ऋण को बट्टे खाते डालने की अनुमति दी है, जिसे अंकित लाभ की संगणना में घटाया भी गया था, यद्यपि उसके लिए विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। आईटीडी से उत्तर प्रतीक्षित था।

अंकित लाभ से वास्तव में बढ़े खाते डाले गये अशोध्य ऋण को कम करने के लिए विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत कोई समायोजन निर्धारित नहीं होने से, विभिन्न निर्धारण अधिकारियों द्वारा अंकित लाभ की संगणना में इस पर एक समान कार्रवाई नहीं की गई थी।

2.8.2 सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत कराधान हेतु फर्जी खरीद/अघोषित आय/ अलेखांकित आय के कारण हुई वृद्धियों पर अंकित लाभ की संगणना में विचार नहीं किया जाना

हमने छ: राज्यों³⁹ के 19 निर्धारण मामलों की नमूना जाँच की और 18 निर्धारण मामलों में यह पाया कि विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत इस प्रकार की मदों को जोड़ने के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं होने पर केवल साधारण प्रावधानों के अन्तर्गत जाली खरीद/अघोषित आय/अलेखांकित आय के कारण अननुमतियां की गई थी और मैट के विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं। हालाँकि, एक मामले में, स्वयं आईटीडी ने अंकित लाभ की संगणना हेतु उसे अननुमत किया। कर प्रभाव ₹ 41.34 करोड़ बनता था (परिशिष्ट-3)।

बॉक्स 2.10: सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत कराधान हेतु फर्जी खरीद/अघोषित आय/ अलेखांकित आय के कारण हुई वृद्धियों पर अंकित लाभ की संगणना में विचार नहीं किये जाने पर निर्देशी मामले

(क) प्रभार: प्र. सीआईटी-एलटीयू, मुम्बई
निर्धारिती: मै. ल्यूपीन लिमिटेड
निर्धारण वर्ष: 2009-10 से 2012-13
पैन: AAACL1069K

निर्धारण अधिकारी द्वारा लाभ एवं हानि लेखा में दर्ज कुल ₹ 77.89 करोड़ के फर्जी कमीशन व्ययों के प्रति वृद्धि की गयी, लेकिन उस पर निर्धारित समायोजन के अन्तर्गत उसके लिए किसी विशिष्ट प्रावधान के अभाव में विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत अंकित लाभ की संगणना में विचार नहीं किया गया, जो अंकित लाभ को संवर्धन की सीमा तक बढ़ा सकता था जिसमें ₹ 13.66 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। आईटीडी से उत्तर प्रतीक्षित था।

³⁹ आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना (2), बिहार (6), गुजरात (1), महाराष्ट्र (9) और तमिलनाडू (1)

(ख) प्रभार: प्र. सीआईटी-3 हैदराबाद
निर्धारिती: मै. सोमा इन्टर प्राइजेज लिमिटेड
निर्धारण वर्ष: 2011-12 एवं 2012-13
पैन: AACCS8242F

निर्धारण अधिकारी ने ₹ 51.28 करोड़ और ₹ 46.96 करोड़ के क्रमशः दो निर्धारण वर्षों के दौरान उप ठेकेदारों व विक्रेताओं को फर्जी भुगतान के प्रति लाभ एवं हानि लेखा में वृद्धियां की लेकिन निर्धारित समायोजन के अन्तर्गत उसके लिए किसी विशेष प्रावधान के अभाव में विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत अंकित लाभ की गणना में उस पर विचार नहीं किया जिससे वृद्धियों की सीमा तक अंकित लाभ बढ़ाया जा सकता था। जिसमें ₹ 20.05 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। आईटीडी ने लेखा अभियुक्तियों को मै. अपोलो टायर्स लि. के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के मद्देनजर यह कहते हुए स्वीकार नहीं किया (अक्टूबर 2016) कि धारा 115जेबी के अन्तर्गत ऐसा कोई समायोजन निर्धारित नहीं किया गया है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि मै. अपोलो टायर्स के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की अप्रयुक्तता पर दिये गये अन्य निर्णय⁴⁰ में पहले ही विचार किया जा चुका है, जिसके आधार पर मै. गति लिमिटेड⁴¹ के अन्य मामले में अंकित लाभ की गणना में मैट के अधीन निर्धारित समायोजनों के अन्तर्गत शामिल नहीं किया गया यद्यपि लाभ एवं हानि लेखे को डेबिट न किए गए शेरों की बिक्री पर हानि के प्रति निर्धारिती के दावे को आईटीडी ने अनुमत किया। उसी के समरूप, वर्तमान मामले में उप-संविदाकारों को किए गए अभिकथित भुगतान से संबंधित व्यय पहले ही लाभ एवं हानि खातों में दर्ज थे और सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत आय की संगणना में जोड़े गये, यद्यपि मैट के अन्तर्गत निर्धारित समायोजनों के तहत शामिल नहीं किये गये थे, जो अंकित लाभ की संगणना में जोड़े जाने चाहिए थे।

अंकित लाभों की संगणना में फर्जी खरीद/अघोषित आय/अलेखांकित आय के समाधान के संबंध में विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत कोई निर्धारित समायोजन नहीं होने पर निर्धारण अधिकारियों द्वारा इसका एक एकसमान समाधान नहीं किया गया था जिसके कारण अंकित लाभों की कम संगणना हुई।

⁴⁰ मै. जे के लक्ष्मी सीमेंट बनाम एसीआईटी-आईटीएटी कोलकाता (आईटीए न. 1275, 1417 और 1470 के 2009 दिनांक 30.08.2011)

⁴¹ (नि.व. 2013-14, पैन-AABCG3709Q) प्र. सीआईटी-2, हैदराबाद प्रसार पर निर्धारित किया गया।

2.8.3 मैट के अन्तर्गत लाभ एवं हानि खातों पर सीधे असर वाली मदों पर अन्तरण मूल्य निर्धारण समायोजनों पर विचार न करना

अधिनियम की धारा 92सीए के अनुसार लाभ एवं हानि लेखे को क्रेडिट/डेबिट प्राप्तियों तथा व्यय की मदों पर सामान्य प्रावधान के अन्तर्गत आय में जो अपने संबंधित उपक्रम के साथ निर्धारिती द्वारा दर्ज की गई है में अन्तरण मूल्य निर्धारण समायोजित किये जाते हैं। यह कवायद लेनदेन की राशि को आर्म्स लेन्थ प्राईस⁴² तक लाने के लिए की जाती है ताकि संबंध उपक्रम के साथ लेनदेनों से सम्बन्धित अत्यधिक व्यय/प्राप्तियों की कम सूचना को प्रतिबंधित किया जा सके और विभिन्न लेखाकरण पद्धतियों के अन्तर्गत लाभ/राजस्व हानि के अन्तरण को बचाया जा सके।

हमने छः राज्यों⁴³ के 36 निर्धारण मामलों में देखा कि अन्तरण मूल्य निर्धारण समायोजन सामान्य आय की गणना के दौरान उन मदों के संबंध में हुए जो लाभ एवं हानि खातों के अनुसार लाभ पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालते थे लेकिन मैट के अन्तर्गत अंकित लाभ की गणना के लिए विचार नहीं किया गया था। मैट के अन्तर्गत अंकित लाभ की गणना के लिए उस पर विचार करने के लिए अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं होने के कारण ऐसी अननुमतियों पर निर्धारिती को प्रभावी रूप से ₹ 93.05 करोड़ के कर देयताओं से बचने में मदद मिली (परिशिष्ट 14)।

2.8.4 आय की विवरणी दाखिल करने की नियत तारीख के भीतर भुगतान नहीं की गई वैधानिक देयताओं पर मैट के अन्तर्गत वृद्धि हेतु विचार न करना

सामान्य आय की गणना के दौरान किसी भी कर, चुंगी उपकर या शुल्क (अन्य बातों के साथ) को आयकर विवरणी भरने की अन्तिम तिथि के भीतर यदि ऐसी राशि का भुगतान किया जाता है तो उसे अननुमत⁴⁴ कर दिया जाता है। यह प्रावधान इसलिए प्रभाव में लाया गया ताकि वैधानिक देयताओं का समय पर भुगतान किया जा सके। यदि निर्धारिती किसी भी वर्ष के दौरान मैट के अन्तर्गत कर भुगतान करने का उत्तरदायी था, तो वह जानबुझकर देरी से भुगतान कर सकता है क्योंकि अंकित लाभ की संगणना में उनकी अननुमति के लिए ऐसा कोई सुसंगत प्रावधान/निर्धारित समायोजन नहीं था।

⁴² असंबंधित पार्टों के साथ जिस दर पर प्रविष्टि हुई

⁴³ आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना (2), कर्नाटक (10), केरल (1), महाराष्ट्र (12), और पश्चिम बंगाल (11)

⁴⁴ अधिनियम की धारा 43बी(ए) के अनुसार

हमने ग्यारह राज्यों⁴⁵ के 38 निर्धारण मामलों में देखा कि सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत आय की संगणना के दौरान करों के रूप में वैधानिक देयताएं अननुमत की गई थीं लेकिन मेट के अन्तर्गत विचार नहीं किया गया। यदि ऐसी अननुमतियों को मेट के अन्तर्गत भी माना जाता तो जिससे ₹ 75.89 करोड़ के राजस्व का प्रभाव हुआ होता (परिशिष्ट 15)।

2.8.5 निगमित समाजिक उत्तरदायित्वो (सीएसआर) पर व्यय पर मेट के अन्तर्गत अननुमति हेतु विचार न करना

प्रत्येक कंपनी, कुछ निश्चित मापदंडों के आधार पर तत्काल पिछले तीन वित्तीय वर्षों के बही खाते⁴⁶ में से अपने औसत लाभों के कम से कम दो प्रतिशत तत्काल सीएसआर उद्देश्य के लिए अलग से रखेंगे। इस प्रकार का प्रावधान सामाजिक सेवाएं⁴⁷ देने के लिए सरकार का बोझ बाँटने के लिए लाया गया है और इस प्रकार के व्ययों को आयकर अधिनियम के तहत लाभ के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी। सीएसआर पर व्यय को अस्वीकृत करने के लिए 1 अप्रैल 2015 से सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत प्रावधान लागू⁴⁸ किया गया। तथापि, अंकित लाभ की संगणना हेतु इस प्रकार के व्ययों को अस्वीकृत करने हेतु विशेष प्रावधान के अन्तर्गत कोई प्रावधान निर्धारित नहीं हैं।

हमने आठ राज्यों⁴⁹ के 12 निर्धारण मामलों में देखा कि सीएसआर व्ययों को लाभ एवं हानि लेखा में डेबिट किया गया लेकिन इसे मेट के अन्तर्गत अस्वीकृत करने हेतु विचार नहीं किया गया। यदि इस प्रकार की अस्वीकृतियाँ को मेट के लिए भी माना गया होता तो ₹ 15.49 करोड़ के राजस्व का प्रभाव हुआ होता (परिशिष्ट 16)।

⁴⁵ आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना (2), असम (1), गुजरात (6), हरियाण (2), कर्नाटक (2), महाराष्ट्र (19), पंजाब (3), राजस्थान (1), उत्तर प्रदेश (1) और पश्चिम बंगाल (1)

⁴⁶ 2015 का परिपत्र 1 सीबीडीटी द्वारा जारी जो दिनांक 21 जनवरी 2015 को जारी किया गया

⁴⁷ धारा 135 नई कंपनियों (संसोधन) अधिनियम 2013

⁴⁸ वित्त अधिनियम 2014 निर्धारण वर्ष 2015-16 से

⁴⁹ आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना (1), छत्तीसगढ़ (5), दिल्ली (1), हिमाचल प्रदेश (1), कर्नाटक (1), महाराष्ट्र (2) और राजस्थान (1)

बॉक्स 2.11: निगमित समाजिक उत्तरदायित्वो (सीएसआर) पर व्यय पर मैट के अन्तर्गत अननुमति हेतु विचार न करने पर निर्देशी मामले

(क) प्रभार: प्र. सीआइटी, बिलासपुर
निर्धारिती: मै. जिन्दल पावर लिमिटेड
निर्धारण वर्ष: 2010-11 से 2012-13
पैन: AABCJ4683J

निर्धारण अधिकारी ने तीन निर्धारण वर्षों से संबंधित क्रमशः ₹ 5.40 करोड़ ₹ 6.50 करोड़ और ₹ 5.83 करोड़ के सीएसआर व्ययों को सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत अननुमत किया लेकिन उस पर मैट एमएटी के अन्तर्गत अंकित लाभों की संगणना हेतु अस्वीकृत करने हेतु विचार नहीं किया। यदि इस प्रकार की अननुमतियों को मैट के लिए भी माना गया होता तो वहाँ राजस्व प्रभाव ₹ 3.38 करोड़ का हुआ होता। आईटीडी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को यह कहते हुए स्वीकार नहीं किया कि निर्धारण अधिकारी का धारा 115जेबी के स्पष्टीकरण में निर्धारित सीमा के अतिरिक्त कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है जो लाभ एवं हानि लेखों में दर्शाए गए कुल लाभ की जाँच करें। आगे यह प्रावधान वि.व 2014-15 से लागू है (अक्टूबर 2016)। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि वित्त अधिनियम 2014 में सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत आय की गणना के दौरान इस प्रकार के व्ययों को अस्वीकृत करने हेतु स्पष्ट रूप से संसोधन लाया गया है। आगे दिनांक 21.01.2015 के 2015 के परिपत्र 1 द्वारा सीबीडीटी ने यह स्पष्ट किया कि सीएसआर व्यय सामाजिक सेवाएं देने के लिए सरकार के बोझ को बांटने के उद्देश्य से आय के उपयोग की प्रकृति के थे। यदि इस प्रकार के व्यय कर कटौती के रूप में अनुमत किए जाते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप कर व्ययों के रूप में सरकार द्वारा इस प्रकार के व्ययों में कमी आएगी अतः उसी तर्क पर इस प्रकार के व्ययों को मैट के अन्तर्गत अंकित लाभों की गणना के दौरान अननुमत किया जाना चाहिए।

2.8.6 समामेलन के उपरान्त समामेलित कंपनी द्वारा अपने कारोबार को बन्द करने पर समामेलक कंपनी के मैट क्रेडिट की अननुमति की आवश्यकता

समामेलित कंपनियों की अग्रणीत हानियों के अग्रन्यन और समंजन का लाभ लेने के लिए कुछ निश्चित शर्तों को पूरा किया जाता है जिसके साथ-साथ प्रावधान यह है कि समामेलित कंपनी को समामेलित होने की तिथि से कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिए समामेलित हुई कंपनियों का कारोबार जारी रखना चाहिए। यह प्रावधान कर देयता कम करने के एकमात्र उद्देश्य के लिए लाभ कमाने वाली कंपनियों के साथ विशाल हानियों वाली कंपनियों के अनावश्यक सम्मामेलन को हत्तोसहित करने के लिए लागू किया गया था। तथापि समामेलित होने के उपरान्त समामेलित कंपनी द्वारा सम्मामेलक कंपनी के कारोबार को बन्द करने के मामले में समामेलित कंपनी के मैट क्रेडिट के समंजन के दावे को अननुमत करने के लिए धारा 115जेए के अन्तर्गत इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं था।

महाराष्ट्र में एक निर्धारण मामले में, हमने देखा कि समामेलित होने वाली कंपनी के मैट क्रेडिट के दावे के बावजूद समामेलित होने के उपरान्त समामेलित इकाई के कारोबार को बन्द कर दिया गया था (परिशिष्ट-17)।

बॉक्स 2.12: समामेलन के उपरान्त समामेलित कंपनी द्वारा अपने कारोबार को बन्द करने पर समामेलक कंपनी के मैट क्रेडिट की अननुमति की आवश्यकता के निर्देशी मामले

प्रभार: प्र. सीआईटी-10, मुम्बई

निर्धारिती: मै. पारले एगो प्रा. लि.

निर्धारण वर्ष: 2010-11

पैन: AABCP8416G

निर्धारण अधिकारी ने समामेलित होने वाली कंपनी मै. पारले पेट प्रा. लि. को ₹ 1.58 करोड़ के मैट क्रेडिट के अग्रन्यन की अनुमति दी, हालांकि समामेलित होने वाली कंपनी का मुख्य कारोबार के समामेलन के पश्चात एक वर्ष के भीतर बन्द कर दिया गया था, जो सही प्रतीत नहीं हुआ। धारा 72ए(2), की तरह निर्धारिती कंपनी द्वारा समामेलित कंपनी के मैट क्रेडिट को समंजन करने के दावे को अननुमत करने के लिए धारा 115जेए के अन्तर्गत कोई प्रावधान नहीं था क्योंकि इसने समामेलन पश्चात समामेलित

कंपनी के कारोबार को पाँच वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए जारी नहीं रखा था। सीबीडीटी ने एक्विजिट कोनफरेन्स में यह स्वीकार किया कि निर्धारण अधिकारी की ओर से यह एक त्रुटि थी।

समामेलन के बाद पांच वर्ष से पहले समामेलित कम्पनी के व्यवसाय को बन्द करने के मामले में निर्धारिती कंपनी द्वारा समामेलित कंपनी के मैट क्रेडिट को समंजन करने के दावे को अननुमत करने के लिए धारा 115जेए के अन्तर्गत कोई प्रावधान नहीं था।

2.9 संक्षिप्त मामलों में मैट क्रेडिट के समंजन में आईटीडी द्वारा एक समान दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया

नि.व. 2012-13 से, आईटीआर 6 अधिभार और शिक्षा उपकर सहित मैट क्रेडिट समंजन की गणना करने के लिए संशोधित किया गया है।

आन्ध्र प्रदेश व तेलंगाना में नि. वर्ष 2010-11 एवं 2012-13 से 2015-16 से संबंधित संक्षिप्त तरीके में संसाधित छः निर्धारण मामलों में हमने देखा कि पाँच निर्धारण मामलों में आईटीडी ने मैट क्रेडिट का समंजन उस पर अधिभार और शिक्षा उपकर के बिना अनुमत किया जहाँ एक मामले में इसे अधिभार और शिक्षा उपकर सहित स्वीकृत किया गया थी (परिशिष्ट 18)।

2.10 निष्कर्ष

निम्नलिखित मदों के संबंध में अंकित लाभ की गणना में निम्न आय को शामिल करने के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं थे:

- (i) सरकार इत्यादि से प्राप्त अग्रिमों से किए गए आईसीडी तथा सावधि जमा पर उपर्जित ब्याज जिसपर सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत कर लगाने के लिए विचार किया गया
- (ii) अनुदान सहायता इत्यादि सीधे तुलनपत्र में ले जाया गया और लाभ एवं हानि लेखे में दर्ज नहीं किया गया
- (iii) समामेलित होने वाली कंपनी की दीर्घकालीन निवेश की बिक्री पर लाभ/हानि

(iv) अंतिम लाभ की गणना में जटिलता को देखते हुए आरक्षित निधि तथा अभिनिश्चित देयता के घटक वाले डिवेचर रिडेम्पशन रिजर्व/लोन रिडेम्पशन रिजर्व

(v) मूल्यहास की पद्धति में बदलाव के कारण अधिक/कम मूल्यहास

अंकित लाभों की संगणना में अग्रणीत कारोबार हानि/अनावशोषित मूल्यहास के समाधान के तरीके से निपटने के लिए अधिनियम के प्रावधान में स्पष्टता का अभाव था।

अंकित लाभ से वास्तविक बढ़े खाते में अशोध्य ऋण को कम करने के लिए विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत कोई निर्धारित समायोजन नहीं होने पर विभिन्न निर्धारण अधिकारियों द्वारा अंकित लाभ की गणना एक समान नहीं है।

अंकित लाभ की गणना में वृद्धियों के लिए निम्नलिखित मदों के संबंध में धारा 155जेबी के अन्तर्गत कोई निर्धारित समायोजन नहीं थे हालांकि उनपर सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत संवर्धन हेतु विचार किया गया था:

- (i) फर्जी खरीद/अघोषित आय/अलेखांकित आय
- (ii) लाभ एवं हानि लेखे पर प्रत्यक्ष प्रभाव रखने वाली मदों पर अन्तरण मूल्य निर्धारण समायोजन
- (iii) आय की विवरणी दाखिल करने की नियत तारीख के भीतर वैधानिक देयताएं भुगतान नहीं की गईं
- (iv) निगमित सामाजिक उत्तर दायित्व (सीएसआर) पर व्यय

समामेलन के बाद पांच वर्षों से पहले समामेलित कम्पनी का कारोबार बंद होने के मामले में निर्धारित कम्पनी द्वारा समामेलित कम्पनी के मैट क्रेडिट के समंजन के दावे पर रोक लगाने हेतु धारा 115जेए के अंतर्गत कोई प्रावधान नहीं है।

2.11 सिफारिशें

(क) सीबीडीटी अंकित लाभ की गणना में निम्नलिखित मदों पर कार्रवाई को स्पष्ट करने हेतु धारा 115जेबी की उप धारा (2) के स्पष्टीकरण के अंतर्गत सक्रिय प्रावधान सम्मिलित करें:

- (i) सरकार आदि से प्राप्त अग्रिम से आईसीडी और सावधि जमा से अर्जित ब्याज, जिन पर सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत कर हेतु विचार किया गया
 - (ii) अनुदान सहायता आदि, प्रत्यक्ष रूप से तुलन-पत्र में डाली गई और लाभ और हानि लेखा में दर्ज नहीं की गई
 - (iii) समामेलित कम्पनी के दीर्घकालिक निवेश की बिक्री पर लाभ/हानि
 - (iv) आरक्षित निधि के साथ-साथ अभिनिश्चित देयता के घटक वाली इसकी जटिलता को ध्यान में रखते हुए डिबेंचर परिशोधन आरक्षित निधि/लोन परिशोधन आरक्षित निधि
 - (v) मूल्यहास के तरीके में परिवर्तन के कारण अधिक/कम मूल्यहास
(पैरा 2.4.1 से 2.4.3, 2.5 और 2.6)
- (ख) सीबीडीटी अंकित लाभ की गणना में अग्रणीत कारोबार हानि/अनावशोषित मूल्यहास के समंजन के तरीके को स्पष्ट करें।
(पैरा 2.7.1 से 2.7.3)
- (ग) सीबीडीटी अंकित लाभ की गणना में लेखा बहियों में वास्तव में बढ़े खाते में डाले गये अशोध्य ऋण को कम करने हेतु समायोजन निर्धारित करे क्योंकि उस पर सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत कटौती हेतु विचार किया जाता है।
(पैरा 2.8.1)
- (घ) सीबीडीटी अंकित लाभ की गणना में निम्नलिखित मदों को जोड़ने के लिये समायोजन निर्धारित करे, जिन पर सामान्य प्रावधान के अंतर्गत जोड़ने हेतु विचार किया गया था:
- (i) फर्जी खरीद/अघोषित आय/अलेखांकित आय
 - (ii) लाभ और हानि खाते पर प्रत्यक्ष प्रभाव रखने वाली मदों पर अंतरण मूल्य निर्धारण समायोजन

(iii) आय-विवरणी फाइल करने की देय तिथि के अंदर भुगतान न किए गए सांविधिक देय

(iv) कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर व्यय

(पैरा 2.8.2 से 2.8.5)

(ड) सीबीडीटी समामेलन के बाद समामेलित कम्पनी द्वारा अपने कारोबार को बंद करने पर समामेलित कम्पनी के मैट क्रेडिट की अस्वीकृति हेतु अधिनियम में प्रावधान लागू करे।

(पैरा 2.8.6)

सीबीडीटी एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान उपरोक्त सभी मुद्दों की जांच करने हेतु सहमत हुआ और कहा कि यदि आवश्यक हो तो परिपत्र/स्पष्टीकरण जारी करने की व्यवहार्यता तलाश की जायेगी।

अध्याय 3: मेट प्रावधानों के अननुपालन की सीमा

3.1 इस अध्याय में विशेष प्रावधानों के अननुपालन से संबंधित मुद्दों की चर्चा की गई है; क्या विशेष प्रावधानों के अंतर्गत कर के भुगतान से संबंधित प्रावधानों का अननुपालन हुआ था और क्या निर्धारिती को अनुमत कर क्रेडिट अधिनियम के विशेष प्रावधानों के अनुसार था।

लेखापरीक्षा के दौरान, हमारे समक्ष कई मुद्दे/उदाहरण आये, जहां अधिनियम/नियमों के प्रावधानों का अननुपालन देखा गया। नीचे तालिका में निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई गलतियों के व्यापक श्रेणीवार विवरण की आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है:

तालिका 3.1: मेट प्रावधानों के अननुपालन की सीमा			
पैरा सं.	गलतियों के प्रकार	निर्धारण मामले	कर प्रभार (₹ करोड़ में)
3.2	अंकित लाभ की गणना में निवल लाभ में नहीं जोड़ी गई मर्दे	181	1993.19
3.3	अंकित लाभ की गणना में निवल लाभ से गलत कटौती	28	48.60
3.4	मेट क्रेडिट की अनियमित छूट	277	1559.21
3.5	अंकित खाते के अनुसार अग्रणीत कारोबार हानि/अनावशोषित मूल्यहास की गलत छूट	37	22.97
3.6	आरक्षित निधि से निकाली गई राशि की गलत कटौती	13	15.08
3.7	अंकित लाभ की गणना से रूग्ण औद्योगिक कम्पनियों को छूट की अनुमति हेतु निर्धारित प्रक्रिया का अननुपालन	9	0
3.8	संवीक्षा हेतु मामलों का चयन न करना	1	75.51
3.9	मेट के विशेष प्रावधानों के अननुपालन के अन्य उदाहरण	43	88.91
	कुल	589	3803.47

3.2 अंकित लाभ की गणना में निवल लाभ में नहीं जोड़ी गई मर्दे

हमने 181 निर्धारण मामले देखे जहां अंकित लाभ में निर्धारित समायोजन द्वारा वृद्धि नहीं की गई थी, जिसमें ₹ 1993.19 करोड़ के कर की कम वसूली शामिल थी।

3.2.1 अंकित लाभ के लिए प्रदत्त अथवा देय आयकर और उसके प्रावधान को शामिल न करना

अंकित लाभ की गणना हेतु, संबंधित पूर्व वर्ष के लाभ और हानि खाते में दर्शाये अनुसार निवल लाभ को प्रदत्त या देय आयकर और इसके प्रावधान की राशि के अनुसार बढ़ाया⁵⁰ जायेगा जहां 'आयकर' की राशि में वितरित लाभ/वितरित आय⁵¹ पर कोई भी कर, इस अधिनियम के अंतर्गत प्रभारित कोई भी ब्याज, अधिभार, आयकर पर शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर शामिल होगा, यदि समय-समय पर अधिनियम द्वारा लगाया गया हो। इसके अतिरिक्त, न्यायिक रूप से मान्य⁵² था कि विदेश में प्रदत्त 'आयकर' को अंकित लाभ की गणना हेतु जोड़ा जाना है।

हमने 12 राज्यों⁵³ में 28 निर्धारण मामले देखे, जहां ₹ 64.98 करोड़ की सीमा तक प्रदत्त आयकर को सामान्य प्रावधान के अंतर्गत अस्वीकृति हेतु विचार किया गया था लेकिन अंकित लाभ की गणना हेतु विचार नहीं किया गया था जिसमें ₹ 13.28 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था (परिशिष्ट 19)।

बॉक्स 3.1: अंकित लाभ के लिए प्रदत्त अथवा देय आयकर और उसके प्रावधान को शामिल न करने के सोदाहरण मामले

(क) प्रभार: प्रधान सीआईटी 1 मुंबई

निर्धारिती: मैसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड

निर्धारण वर्ष: 2010-11 से 2013-14

पैन : AAACH1118B

निर्धारिती ने उपरोक्त नि.व. हेतु सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत आय की गणना में कर्मचारियों की गैर मौद्रिक परिलब्धियों पर भुगतान किये गये कर के प्रति डेबिट क्रमशः ₹ 4.84 करोड़, ₹ 5.76 करोड़, ₹ 4.97 करोड़ और ₹ 5.40 करोड़ को वापस जोड़ दिया गया जो आईटीडी द्वारा स्वीकार किये गये थे। तथापि, एओ ने उस पर मैट के अंतर्गत अंकित लाभ की गणना हेतु विचार नहीं किया। चूक के परिणामस्वरूप नि.व. 2012-13 हेतु ₹ 99.43 लाख के मैट क्रेडिट के अधिक समंजन सहित ₹ 4.05 करोड़ के कर प्रभाव

⁵⁰ धारा 115जेबी(2) के स्पष्टीकरण 1 का खण्ड (क)

⁵¹ धारा 115-ओ और धारा 115आर

⁵² बैंक ऑफ इंडिया के मामले में अग्रिम नियम प्राधिकरण 2006 की (2006 की एएआर संख्या 732)

⁵³ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना (3), छत्तीसगढ़ (1), हरियाणा (1), कर्नाटक (2), मध्य प्रदेश (1), महाराष्ट्र (13), ओडिशा (2), राजस्थान (1), तमिलनाडु (2), उत्तर प्रदेश (1) और पश्चिम बंगाल (1)

वाले ₹ 20.97 करोड़ के अंकित लाभ की कम गणना हुई। आईटीडी का उत्तर प्रतीक्षित था।

(ख) प्रभार: प्रधान सीआईटी-एलटीयू मुंबई

निर्धारिती: मैसर्स न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

निर्धारण वर्ष: 2011-12 और 2012-13

पैन : AAACN3154F

निर्धारिती ने दो नि.व. के लिये सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत आय की गणना में कर्मचारियों की गैर मौद्रिक परिलब्धियों पर भुगतान⁵⁴ किये गये कर के प्रति डेबिट क्रमशः ₹ 4.34 करोड़ और ₹ 8.75 करोड़ पुनः जोड़े थे जो आईटीडी द्वारा स्वीकृत किये गये थे। तथापि, एओ ने मैट के अंतर्गत अंकित लाभ की गणना के लिये उस पर विचार नहीं किया। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 2.62 करोड़ के कर प्रभाव वाले ₹ 13.09 करोड़ के अंकित लाभ की कम गणना हुई। आईटीडी ने यह कहते हुये आपत्ति स्वीकार नहीं की कि अंकित लाभ सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत कराधान आय से अलग है क्योंकि केवल सामान्य प्रावधान के अंतर्गत कुछ परिवर्धन किया गया है, यह आवश्यक नहीं है कि समान परिवर्धन मैट प्रावधानों के अंतर्गत भी किये जायें। इसके अतिरिक्त, धारा 40(क)(v) में संदर्भित कर निर्धारिती कम्पनी के लिये आयकर नहीं था और इसलिये किसी भी विशेष प्रावधान (फरवरी 2017) का अभाव होने पर मैट गणना के अंतर्गत पुनः जोड़ा नहीं जा सकता। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि आईटीडी ने इस तथ्य पर विवाद नहीं किया कि कर्मचारियों की ओर से भुगतान किया गया कर 'आयकर' था। विवाद केवल यह है कि ऐसा आय कर निर्धारिती कम्पनी से नहीं लेकिन कर्मचारियों की ओर से संबंधित है। अधिनियम की धारा 115जेबी(2) के नीचे स्पष्टीकरण 1(ए) स्पष्ट नहीं करता कि क्या अंकित लाभ की गणना करते समय निर्धारिती द्वारा केवल अपनी स्वयं की आय पर भुगतान किये गये आयकर को पुनः जोड़ा जाना है।

⁵⁴ धारा 10(10सीसी) के साथ पठित धारा 40(ए)(v)

3.2.2 अंकित लाभ के लिये किसी भी छूट प्राप्त आय से सम्बद्ध व्यय को शामिल न करना

अंकित लाभ की गणना हेतु, संबंधित पूर्व वर्ष के लाभ और हानि खाते में दर्शाये अनुसार निवल लाभ धारा 10 से 12 के अंतर्गत किसी भी आय से संबद्ध व्यय की राशि या राशियों तक बढ़ाया जायेगा⁵⁵। इसके अतिरिक्त नि.व. 2008-09 से, कुल आय⁵⁶ का भाग न बनाने वाली आय से संबंधित व्यय की गणना आयकर नियमावली के नियम 8डी के अनुसार की जायेगी।

हमने 15 राज्यों⁵⁷ में 84 निर्धारण मामले देखे जहां कुल आय का भाग न बनाने वाली आय से संबंधित व्यय अंकित लाभ में पुनः नहीं जोड़ा गया था जिसमें ₹ 102.03 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था (परिशिष्ट 20)।

बॉक्स 3.2: अंकित लाभ के लिये किसी भी छूट प्राप्त आय से सम्बद्ध व्यय को शामिल न करने के निदर्शी मामले

(क) प्रभार: प्रधान सीआईटी-2, मुंबई
निर्धारिती: मैसर्स बैंक ऑफ इंडिया
निर्धारण वर्ष: 2014-15
पैन : AAACB0472C

एओ ने निर्धारिती के स्वयं के मामले में नि.व. 2001-02 में दिये गये निर्णय⁵⁸ पर निर्भर होते हुये छूट प्राप्त आय का एक प्रतिशत होने पर ₹ 65.48 लाख पर धारा 14ए के अंतर्गत अस्वीकृति को सीमित किया जबकि वर्ष के लिये कुल आय का भाग न बनाने वाली आय से संबंधित व्यय नियम 8डी के अनुसार ₹ 166.02 करोड़ बना था और तदनुसार अस्वीकृत की जानी चाहिये थी। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 34.66 करोड़ के कर प्रभाव वाले ₹ 165.37 करोड़ के अंकित लाभ की कम गणना हुई। आईटीडी का उत्तर प्रतीक्षित था।

(ख) प्रभार: सीआईटी गांधीनगर
निर्धारिती: मैसर्स गुजरात पावर कार्पोरेशन लिमिटेड
निर्धारण वर्ष: 2013-14
पैन : AAACG5596J

एओ ने, सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत आय की गणना करते समय धारा

⁵⁵ धारा 115जेबी(2) के स्पष्टीकरण 1 का खण्ड (एफ)

⁵⁶ धारा 14ए

⁵⁷ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना (6), असम (1), छत्तीसगढ़ (5), दिल्ली (4), गुजरात (5), हरियाणा (6), कर्नाटक (22), केरल (1), मध्य प्रदेश (7), महाराष्ट्र (12), राजस्थान (2), तमिलनाडु (9), उत्तर प्रदेश (1) और पश्चिम बांगाल (3)

⁵⁸ आईटीए संख्या 1498/एम/2011

14ए के अंतर्गत छूट प्राप्त आय से संबंधित ₹ 5.25 करोड़ का व्यय अस्वीकृत किया। तथापि, एओ द्वारा उस पर धारा 115जेबी के अंतर्गत अंकित लाभ की गणना हेतु विचार नहीं किया गया था। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 1.42 करोड़ के कर प्रभाव वाले ₹ 5.25 करोड़ के अंकित लाभ की कम गणना हुई। आईटीडी का उत्तर प्रतीक्षित था।

3.2.3 अंकित लाभ की संगणना हेतु माने न गए किसी परिसंपत्ति के मूल्य में कमी के प्रावधान के रूप में अपास्त की गई राशि को शामिल न करना

अंकित लाभ में किये जाने वाले विशेष समायोजन⁵⁹ में से एक लाभ और हानि खाते से डेबिट की गई 'किसी भी परिसंपत्ति में कमी हेतु प्रावधान' के प्रति है जिसे अंकित लाभ की गणना हेतु जोड़ा जाना आवश्यक है। वित्त अधिनियम 2009 द्वारा धारा 115जेबी में यह संशोधन 1 अप्रैल 2001 से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी किया गया था।

हमने 12 राज्यों⁶⁰ में 47 निर्धारण मामले देखे जहां परिसंपत्ति के मूल्य में कमी हेतु प्रावधान के रूप में अलग से रखी गई राशि को अंकित लाभ की गणना करते समय नहीं जोड़ा गया था जिसमें ₹ 1827.86 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था (परिशिष्ट 21)।

बॉक्स 3.3: अंकित लाभ की संगणना हेतु माने न गए किसी परिसंपत्ति के मूल्य में कमी के प्रावधान के रूप में अपास्त की गई राशि को शामिल न करने पर निदर्शी मामले

(क) प्रभार: प्रधान सीआईटी-2, मुंबई
निर्धारिती: मैसर्स बैंक ऑफ इंडिया
निर्धारण वर्ष: 2014-15
पैन : AAACB0472C

अंकित लाभ की गणना करते समय, एओ ने परिसंपत्ति के मूल्य में कमी (एनपीए) के साथ-साथ विभिन्न अन्य प्रावधानों हेतु ₹ 4461.54 करोड़ के प्रावधानों को नहीं जोड़ा। इसके अतिरिक्त, विदेशी शाखाओं से संबंधित ₹ 813.47 करोड़ का लाभ भी कम किया गया था, जो विशेष प्रावधानों के

⁵⁹ धारा 115जेबी(2) के स्पष्टीकरण 1 का खण्ड (i)

⁶⁰ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना (7), बिहार (3), दिल्ली (8), गुजरात (3), हरियाणा (7), कर्नाटक (5), केरल (1), महाराष्ट्र (6), ओडिशा (1), तमिलनाडु (3) और उत्तर प्रदेश (3)

अंतर्गत अनुमत समायोजन नहीं था। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 1105.67 करोड़ के कर प्रभाव वाले ₹ 5275.01 करोड़ के अंकित लाभ की कम गणना हुई। आईटीडी का उत्तर प्रतीक्षित था।

(ख) प्रभार: सीआईटी-7, नई दिल्ली

निर्धारिती: मैसर्स ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स

निर्धारण वर्ष: 2011-12, 2013-14 और 2014-15

पैन : AAACO0191M

अंकित लाभ की गणना करते समय एओ ने, अन्य बातों के साथ-साथ, उपरोक्त तीन नि.व. हेतु परिसंपत्ति के मूल्य में कमी हेतु ₹ 1866.58 करोड़ के प्रावधान को नहीं जोड़ा। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 293.90 करोड़ के कर प्रभाव वाले ₹ 1866.58 करोड़ की कम गणना हुई। आईटीडी का उत्तर प्रतीक्षित था।

(ग) प्रभार: प्रधान सीआईटी-1, भुवनेश्वर

निर्धारिती: मैसर्स ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ ओडिशा लिमिटेड

निर्धारण वर्ष: 2014-15

पैन : AABCG5398P

अंकित लाभ की गणना करते समय, एओ ने लाभ और हानि खाते में अशोध्य और संदिग्ध ऋण के लिये ₹ 210 करोड़ का प्रावधान नहीं जोड़ा। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 56.07 करोड़ के कर प्रभाव वाले ₹ 210 करोड़ के अंकित लाभ की कम गणना हुई। आईटीडी से उत्तर प्रतीक्षित था।

(घ) प्रभार: प्रधान सीआईटी-5, हैदराबाद

निर्धारिती: मैसर्स डॉ. रेड्डी लैबोरेटरीज़ लिमिटेड

निर्धारण वर्ष: 2011-12

पैन : AAACD7999Q

अंकित लाभ की गणना करते समय, एओ ने सामग्री लागत⁶¹ शीर्ष के अंतर्गत डेबिट अप्रयुक्त मालसूची के प्रावधान के रूप में ₹ 73.10 करोड़ नहीं जोड़े क्योंकि यह परिसंपत्ति के मूल्य में कमी हेतु प्रावधान है। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 20.31 करोड़ के कर प्रभाव वाले ₹ 73.10 के अंकित लाभ की कम गणना हुई। आईटीडी से उत्तर प्रतीक्षित था।

⁶¹ लाभ और हानि खाते की अनुसूची 14 के नोट्स

(ड) प्रभार: प्रधान सीआईटी-1, पटना
निर्धारिती: मैसर्स एल्केम लैब्रटॉरीज़ लिमिटेड
निर्धारण वर्ष: 2010-11 से 2012-13
पैन : AABCA9521E

अंकित लाभ की गणना करते समय, एओ ने उपरोक्त नि.व. के लिये क्रमशः ₹ 6.43 करोड़, ₹ 19.34 लाख और ₹ 76.28 लाख के अशोध्य और संदिग्ध ऋण के प्रावधान को नहीं जोड़ा। इसके अतिरिक्त, धारा 14ए के अंतर्गत ₹ 44.21 लाख की अस्वीकृति को भी नि.व. 2012-13 के अंकित लाभ की गणना हेतु नहीं लिया गया था। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 1.73 करोड़ के कर प्रभाव वाले कुल ₹ 7.82 करोड़ की कम गणना हुई। आईटीडी का उत्तर प्रतीक्षित था।

3.2.4 अनिश्चित देयता के प्रावधान के रूप में अपास्त की गई राशि को न जोड़ना

निश्चित देयताओं के अलावा, देयताएं पूर्ण करने हेतु किये गये प्रावधानों के लिये अलग से रखी गई किसी भी राशि को अंकित लाभ की गणना के दौरान जोड़ा⁶² जाना है यदि उसे लाभ और हानि खाते से डेबिट किया गया है।

हमने 11 राज्यों⁶³ में 22 निर्धारण मामलों में देखा कि अनिश्चित देयता हेतु प्रावधान के रूप में कुल ₹ 301.02 करोड़ डेबिट किये गये थे लेकिन अंकित लाभ की गणना हेतु नहीं लिया गया था। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 50.02 करोड़ का कर प्रभाव हुआ (परिशिष्ट 22)।

बॉक्स 3.4: अनिश्चित देयता के प्रावधान के रूप में अपास्त की गई राशि को न जोड़ने के निदर्शी मामले

(क) प्रभार: सीआईटी-1, गुवाहाटी
निर्धारिती: मैसर्स असम पावर जनरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड
निर्धारण वर्ष: 2010-11
पैन : AAFCA4891F

एओ ने सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत उसे अनिश्चित देयता मानकर वेतन में

⁶² धारा 115जेबी(2) के नीचे स्पष्टीकरण 1 का खण्ड (सी)

⁶³ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना (3), असम (3), बिहार (2), छत्तीसगढ़ (1), दिल्ली (4), गुजरात (1), कर्नाटक (4), महाराष्ट्र (1), ओडिशा (1) और उत्तर प्रदेश (2)

संशोधन के प्रावधान के कारण ₹ 11.49 करोड़ अस्वीकृत किये। तथापि, उसे अधिनियम के विशेष प्रावधानों के अंतर्गत अंकित लाभ की गणना में निवल लाभ में नहीं जोड़ा। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 1.95 करोड़ के कर प्रभाव वाले ₹ 11.49 करोड़ के अंकित लाभ की कम गणना हुई।

(ख) प्रभार: प्रधान सीआईटी-IV, हैदराबाद
निर्धारिती: मैसर्स लैनको सोलर लिमिटेड
निर्धारण वर्ष: 2012-13
पैन : AABCL4930G

एओ ने सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत 'अनिश्चित देयता हेतु प्रावधान' मानकर 'वारंटी हेतु प्रावधान' के प्रति लाभ और हानि खाते को डेबिट किये गये ₹ 6.05 करोड़ अस्वीकृत किये। तथापि, उसे अधिनियम के विशेष प्रावधानों के अंतर्गत अंकित लाभ की गणना में निवल लाभ में नहीं जोड़ा गया था। चूक के परिणामस्वरूप धारा 234बी के अंतर्गत ब्याज सहित ₹ 1.87 करोड़ के कर प्रभाव वाले ₹ 6.05 करोड़ के अंकित लाभ की कम गणना हुई। आईटीडी से उत्तर प्रतीक्षित था।

3.3 अंकित लाभ की गणना में निवल लाभ से गलत कटौती

अधिनियम की धारा 115जेबी(2) के नीचे स्पष्टीकरण 1 के अनुसार, विशेष कटौतियां मैट के अंतर्गत अंकित लाभ की गणना हेतु उप-खण्ड (i) से (viii) के अंतर्गत निर्धारित हैं।

हमने 28 निर्धारण मामले देखे जहां अंकित लाभ कटौतियों द्वारा कम किए गए थे जो अधिनियम में निर्धारित नहीं हैं, जिसमें ₹ 48.60 करोड़ का कर प्रभाव शामिल है जैसा नीचे दिया गया है:

3.3.1 छूट प्राप्त आय या अनुवर्ती संशोधन के कारण ऐसी आय जो अब छूट-प्राप्त नहीं है को गलत रूप से कम किया गया

संबंधित पूर्व वर्ष के लाभ और हानि खाते में दर्शाये अनुसार निवल लाभ को आय की राशि तक कम⁶⁴ किया जाएगा जिसमें धारा 10⁶⁵ से 12 तक का कोई भी प्रावधान लागू हो, यदि वो राशि लाभ और हानि खाते को क्रेडिट की गई है।

⁶⁴ धारा 115जेबी(2) स्पष्टीकरण 1 का खण्ड (ii)

⁶⁵ उसके खण्ड (38) में मौजूद प्रावधानों के अलावा

हमने 11 राज्यों⁶⁶ में 18 निर्धारण मामलों में देखा कि छूट प्राप्त आय को अंकित लाभ से सही से नहीं घटाया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 35.87 करोड़ के कर प्रभाव वाले ₹ 376.44 करोड़ के अंकित लाभ की कम गणना हुई (परिशिष्ट 23)।

बॉक्स 3.5: छूट प्राप्त आय या अनुवर्ती संशोधन के कारण ऐसी आय जो अब छूट-प्राप्त नहीं है को गलत रूप से कम किया गया पर निदर्शी मामले

(क) प्रभार: सीआईटी 14, मुंबई

निर्धारिती: मै. हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड

निर्धारण वर्ष: 2011-12

पैन : AAACH0968B

अंकित लाभ की गणना करते समय एओ ने ₹ 8.42 करोड़ का “साझेदारी फर्म में हानि का शेयर” वापस नहीं जोड़ा जिसे लाभ एवं हानि लेखे को डेबिट किया गया था। फर्म से हानि धारा 10(2ए) के अंतर्गत छूट प्राप्त होने के कारण अधिनियम के विशेष प्रावधानों के तहत एक अनुमन्य कटौती नहीं है। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 1.68 करोड़ के कर प्रभाव वाले ₹ 8.42 करोड़ के अंकित लाभ की कम गणना हुई। आयकर विभाग से उत्तर प्रतीक्षित था।

(ख) प्रभार: प्र. सीआईटी, गोवा

निर्धारिती: मै. डेम्पो ब्रदर्स (प्रा.) लिमिटेड

निर्धारण वर्ष: 2010-11

पैन : AAACD2588D

एओ ने दावे के अनुसार अधिनियम के विशेष प्रावधानों के अंतर्गत अंकित लाभ की गणना हेतु “गोवा कार्बन शेयरों की बिक्री पर लाभ” के लिए धारा 10 के तहत ₹ 5.91 करोड़ की कटौती अनुमत की। हालांकि, शेयरों की बिक्री पर लाभ पर अधिनियम के विशेष प्रावधानों के तहत कटौती की अनुमति नहीं है। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 1.06 करोड़ के कर प्रभाव वाले ₹ 5.91 करोड़ के अंकित लाभ की कम गणना हुई। आयकर विभाग से उत्तर प्रतीक्षित था।

⁶⁶ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना (1), बिहार (1), झारखंड (1), कर्नाटक (2), केरल (1), महाराष्ट्र (2), राजस्थान (1), तमिलनाडु (5), उत्तर प्रदेश (2) और पश्चिम बंगाल (2)

3.3.2 लाभ एवं हानि लेखे में क्रेडिट की गई राशियों की कटौती का गलत दावा

नि.व. 2016-17 से वित्त अधिनियम 2015 के अनुसार, एओपी (व्यक्तियों का संघ) या बीओआई (व्यष्टियों का निकाय) से लाभांश की राशि द्वारा शुद्ध लाभ, यदि लाभ एवं हानि लेखे में क्रेडिट किया जाता है, जिस पर अधिनियम की धारा 86 के तहत कोई आयकर देय नहीं है, घटाने के लिए धारा 115जेबी के अंतर्गत एक खण्ड लाया गया था।

यद्यपि उपरोक्त प्रावधान नि.व. 2016-17 से पूर्व लागू नहीं था परन्तु हमने पांच राज्यों⁶⁷ में 10 निर्धारण मामले देखे जहां एओपी से प्राप्त आय को अनुचित तरीके से अंकित लाभ से घटाया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 12.73 करोड़ के कर प्रभाव वाले ₹ 80.12 करोड़ के अंकित लाभ की कम गणना हुई (परिशिष्ट-24)।

बॉक्स 3.6: अंकित लाभ की गणना के दौरान एओपी से लाभ की अनुमति पर निदर्शी मामले

(क) प्रभार: प्र. सीआईटी (मध्य)-1, चेन्नई

निर्धारिती: मै. एस.ए.एस होटल एण्ड इंटरप्राइजेज

निर्धारण वर्ष: 2012-13

पैन : AAECs1194C

एओ ने सामान्य प्रावधान के अंतर्गत ₹ 33.46 करोड़ के एओपी से लाभ की कटौती के पश्चात निकाली गई ₹ 39.99 करोड़ की निर्धारित आय पर ₹ 10.91 करोड़ का कर लगाया। आयकर विवरणी से पता चला कि निर्धारिती ने एओपी से ₹ 33.46 करोड़ के लाभ सहित ₹ 36.07 करोड़ की कटौती का दावा करने के पश्चात् ₹ 41.05 करोड़ के अंकित लाभ की गणना की। चूँकि अधिनियम के अनुसार एओपी से लाभ से संबंधित कटौती की अनुमति नहीं थी, इसलिए विशेष प्रावधानों के तहत वसूलीयोग्य कर सामान्य प्रावधानों के तहत लगाए गए कर से अधिक था। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 5.47 करोड़ के कर प्रभाव वाले ₹ 33.46 करोड़ के अंकित लाभ की कम गणना हुई। आयकर विभाग से उत्तर प्रतीक्षित था।

⁶⁷ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना (3), महाराष्ट्र (1), राजस्थान (4) और तमिलनाडू (2)

(ख) प्रभार: प्र. सीआईटी-3, हैदराबाद
 निर्धारिती: मै. सोमा इंटरप्राइजेज़ लि.
 निर्धारण वर्ष: 2010-11 से 2012-13
 पैन : AACCS8242F

एओ ने अंकित लाभ की गणना करते समय 'धारा 86 के परन्तुक (ए) के तहत संयुक्त उद्यम से आय के शेयर' के प्रति संबंधित उपरोक्त वर्षों के लिए क्रमशः ₹ 10.53 करोड़, ₹ 3.43 करोड़ और ₹ 2.03 करोड़ की कटौती अनुमत की, जो अधिनियम के अनुसार अंकित लाभ की गणना हेतु एक अनुमन्य कटौती नहीं थी। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 2.88 करोड़ के कर प्रभाव वाले ₹ 15.99 करोड़ के अंकित लाभ की कम गणना हुई। आयकर विभाग ने यह कहते हुए आपत्ति स्वीकार नहीं की (जून 2015) कि धारा 115जेबी (5) के प्रावधानों को देखते हुए धारा 86 के तहत कटौती स्वीकार्य थी, जैसा सीबीडीटी⁶⁸ द्वारा स्पष्ट किया गया था कि धारा 115जेबी के प्रावधानों के संबंध में प्रावधान के अंतर्गत देय कर के प्रतिस्थापन तथा अंकित लाभ की गणना के तरीके को छोड़कर प्रभार से संबंधित प्रावधानों, परिभाषाओं, वसूलियों इत्यादि के साथ-साथ अधिनियम के अन्य सभी प्रावधान लागू होंगे। आयकर विभाग ने आगे कहा कि 1 अप्रैल 2016 से प्रभावी धारा 115जेबी(2) की व्याख्या के लिए खण्ड (एफए) को शामिल करते हुए वित्त अधिनियम 2015 द्वारा धारा 115जेबी(2) में संशोधन करके अंकित लाभ की गणना से एओपी लाभ की कटौती अनुमत करने का आशय प्रावधान को सुसंगत बनाना था, जिसमें संशोधन से पूर्व अंकित लाभ की गणना से एओपी लाभ के संबंध में कटौती की अनुमति नहीं थी और इसलिए संशोधन को 'पूर्वव्यापी' प्रकृति का माना जाना था जैसा कि सीआईटी बनाम एलम एक्सट्रूजंस लि. 319 आईटीआर 306 के मामले में निर्णय दिया गया था। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अंकित लाभ की गणना सही अर्थ में धारा 115जेबी की व्याख्या 1 के अनुरूप ही की जानी है। वित्त अधिनियम 2015 द्वारा किया गया संशोधन स्पष्ट रूप से 1 अप्रैल 2016 से प्रभावी होने के लिए किया गया था।

3.4 मेट क्रेडिट की गलत अनुमति

मेट के अंतर्गत प्रदत्त कर सामान्य प्रावधानों (यदि मेट के अंतर्गत वास्तव में कर का भुगतान कर दिया जाता है) के तहत देय कर के बीच अंतर आगामी

⁶⁸ दिनांक 9.11.2001 के परिपत्र सं. 13,2001 का पैरा सं. 2

वर्षों (अधिकतम 10 वर्ष⁶⁹) में करों से समंजन हेतु अग्रणीत किया जाता है, यदि आगामी वर्षों में सामान्य प्रावधानों⁷⁰ के तहत कर का भुगतान कर दिया जाता है। आगामी वर्षों के दौरान वास्तविक समंजन सामान्य प्रावधानों के तहत अदा किए गए कर तथा जो उस वर्ष⁷¹ के दौरान मैट के अंतर्गत देय होगा; के बीच अंतर तक ही सीमित होगा। इसके अतिरिक्त, नि.व. 2012-13 से, कम्पनियों को लागू आईटीआर-6 की अनुसूची एमएटीसी जिसमें निर्धारिती के अभिलेखों के अनुसार मैट क्रेडिट की उपलब्धता तथा समंजन के वर्षवार विवरण का प्रावधान किया गया था।

हमने 21 राज्यों⁷² में 277 निर्धारण मामलों में देखा कि निर्धारण अभिलेखों से संबंधित आईटीआर में किए गए निर्धारिती के दावे की अद्यतित स्थिति का सत्यापन किए बिना ₹ 1559.21 करोड़ के मैट क्रेडिट का अनुचित समंजन/अग्रणयन/गैर समंजन अनुमत किया गया था।

3.4.1 मैट क्रेडिट का गलत अग्रणयन

अधिनियम की धारा 115जेएए(2ए) के अनुसार, उपधारा (1ए) के तहत अनुमत किए जाने वाला कर क्रेडिट धारा 115जेबी की उपधारा (1) के तहत किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए अदा किए गए कर तथा अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अनुसार संगणित निर्धारिती की कुल आय पर उसके द्वारा देय कर की राशि का अंतर होगा।

हमने 15 राज्यों⁷³ में 88 निर्धारण मामले देखे जहां अंकित लाभ पर अदा कर से संबंधित कर क्रेडिट आगामी वर्षों में समंजन हेतु अग्रणीत करने की गलत अनुमति दी गई थी जिसमें ₹ 868.21 करोड़ का कर प्रभाव निहित था (परिशिष्ट-25)।

⁶⁹ वित्त अधिनियम 2017 द्वारा 1.4.2017 से 15 वर्षों तक बढ़ाया गया

⁷⁰ अधिनियम की धारा 115जेएए(2)

⁷¹ अधिनियम की धारा 115जेएए(5)

⁷² आंध्र प्रदेश और तेलंगाना (23), असम (5), बिहार (9), छत्तीसगढ़ (1), दिल्ली (12), गुजरात (7+30), हरियाणा (11), हिमाचल प्रदेश (2), झारखंड (2), कर्नाटक (41), केरल (14), मध्य प्रदेश (17), महाराष्ट्र (46), ओडिशा (4), पंजाब (1), राजस्थान (11), तमिलनाडु (17), उत्तर प्रदेश (3), उत्तराखंड (4) और पश्चिम बंगाल (19)

⁷³ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना (3), असम (4), बिहार (3), दिल्ली (7), गुजरात (16), हरियाणा (10), हिमाचल प्रदेश (2), केरल (1), मध्य प्रदेश (5), महाराष्ट्र (23), तमिलनाडु (2), उत्तर प्रदेश (2), उत्तराखंड (4) और पश्चिम बंगाल (8)

बॉक्स 3.7: मेट क्रेडिट के गलत अग्रेनयन के निदर्शी मामले

(क) प्रभार: प्र. सीआईटी-2, मुंबई
निर्धारिती: मै. बैंक ऑफ इण्डिया
निर्धारण वर्ष: 2014-15
पैन : AAACB0472C

एओ ने निर्धारण को पूरा करते समय धारा 36(1)(vii) के तहत ₹ 3834.29 करोड़ के अशोध्य ऋण को बढ़े खाते की अनुमति दी जिसे नि.व. 2013-14 के अनुसार धारा 36(1)(viiए) के तहत उपलब्ध ₹ 2039.28 करोड़ के प्रावधान के शुरुआती क्रेडिट अधिशेष के प्रति समायोजित नहीं किया गया था। इस चूक के परिणामस्वरूप सामान्य प्रावधानों के तहत ₹ 1819.68 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 618.51 करोड़ का कर प्रभाव निहित था, जिसके द्वारा ₹ 214.04 करोड़ का अधिक मेट क्रेडिट अग्रेनीत किया गया। आयकर विभाग से उत्तर प्रतीक्षित था।

(ख) प्रभार: प्र. सीआईटी-एलटीयू, मुंबई
निर्धारिती: मै. रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लि.
निर्धारण वर्ष: 2009-10 और 2010-11
पैन : AAACR5055K

एओ ने निर्धारण को पूरा करते समय नि.व. 2008-09 तथा 2009-10 की सांकेतिक हानि के उल्टाव से संबंधित क्रमशः ₹ 43.78 करोड़ तथा ₹ 35.32 करोड़ अनुमत किया जिसे तत्संबंधी निर्धारण वर्षों में सीआईटी (अपील) के आदेश को लागू करते हुए निर्धारिती को पहले ही अनुमत किया गया था। दोहरी राहत की अनुमति के परिणामस्वरूप नि.व. 2009-10 तथा 2010-11 के लिए क्रमशः ₹ 43.78 करोड़ तथा ₹ 35.32 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें कुल ₹ 26.89 करोड़ के मेट क्रेडिट का अधिक अग्रेनयन शामिल था। आयकर विभाग से उत्तर प्रतीक्षित था।

(ग) प्रभार: प्र. सीआईटी-6, नई दिल्ली
निर्धारिती: मै. मोदी रबर लि.
निर्धारण वर्ष: 2012-13
पैन : AAACM2062R

एओ ने निर्धारण को पूरा करते समय ₹ 10.34 करोड़ की सही राशि के

स्थान पर ₹ 33.44 करोड़ की अग्रेनीत हानि अनुमत की। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 23.10 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 5 करोड़ का अधिक मैट क्रेडिट अग्रेनयन निहित था। आयकर विभाग से उत्तर प्रतीक्षित था।

(घ) प्रभार: प्र. सीआईटी मध्य-2, कोलकाता
निर्धारिती: मै. एमएसपी स्टील एण्ड पावर लि.
निर्धारण वर्ष: 2007-08
पैन : AACCA2756N

एओ ने निर्धारण को पूरा करते समय धारा 80 आईए के तहत ₹ 21.16 करोड़ की कटौती अनुमत करने के पश्चात् ₹ 1.38 करोड़ की आय का निर्धारण किया। कटौती की अनुमति अन्य स्रोतों से ₹ 12.85 करोड़ की आय सहित आय पर दी गई थी। चूँकि, अन्य स्रोतों से आय पर धारा 80 आईए के तहत कटौती अनुमत नहीं थी, इसलिए ₹ 12.85 करोड़ की पूरी आय को अस्वीकृत किया जाना चाहिए था। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 11.47 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 2.13 करोड़ के अधिक मैट क्रेडिट सहित ₹ 3.85 करोड़ का कर प्रभाव निहित था। आयकर विभाग से उत्तर प्रतीक्षित था।

3.4.2 मैट क्रेडिट का अनियमित समंजन

अधिनियम की धारा 115जेए(5) के अनुसार अग्रेनीत कर क्रेडिट से संबंधित समंजन सामान्य प्रावधानों के तहत उसकी कुल आय पर कर तथा कर, जो धारा 115जे की उपधारा (1) या धारा 115जेबी के प्रावधानों के तहत देय होगा, के बीच के अंतर की सीमा तक किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए जैसा भी मामला हो, उस निर्धारण वर्ष हेतु अनुमत होगा।

हमने 19 राज्यों⁷⁴ में 182 निर्धारण मामले देखे जहां ₹ 650.07 करोड़ के कर प्रभाव वाले मैट क्रेडिट के गलत समंजन की अनुमति दी गई थी (परिशिष्ट-26)।

⁷⁴ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना (20), असम (1), बिहार (6), छत्तीसगढ़ (1), दिल्ली (5), गुजरात (14), हरियाणा (1), झारखंड (2), कर्नाटक (41), केरल (13), मध्य प्रदेश (12), महाराष्ट्र (23), ओडिशा (4), पंजाब (1), राजस्थान (11), तमिलनाडु (15), उत्तर प्रदेश (1), पश्चिम बंगाल (11)

बॉक्स 3.8: मेट क्रेडिट के अनियमित/गैर समंजन पर निदर्शी मामले

(क) प्रभार: प्र. सीआईटी-1, कोलकाता

निर्धारिती: मै. बंगाल एनर्जी लि.

निर्धारण वर्ष: 2011-12

पैन : AADCB1581F

एओ ने कर देयता की गणना करते समय ₹ 2.97 करोड़ की सही राशि की बजाए ₹ 4.45 करोड़ का कर क्रेडिट समंजन की अनुमति दी। इस चूक के परिणामस्वरूप धारा 234बी के तहत ब्याज सहित ₹ 1.66 करोड़ का कर प्रभावित हुआ।

(ख) प्रभार: प्र. सीआईटी, नोएडा

निर्धारिती: मै. एल्कम्पोनिक्स सेल्स प्रा. लि.

निर्धारण वर्ष: 2013-14

पैन : AABCE6120F

एओ ने कर देयता की गणना करते समय नि.व. 2012-13 से संबंधित ₹ 3.45 करोड़ के शेष मेट क्रेडिट को अग्रणीत करने के साथ-साथ ₹ 2.54 करोड़ का मेट क्रेडिट के समंजन की अनुमति दी। चूँकि निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए कर की वसूली सामान्य प्रावधानों के तहत की गई थी, इसलिए नि.व. 2012-13 के लिए धारा 115जेएए के तहत कोई क्रेडिट उपलब्ध नहीं था। इसके स्थान पर निर्धारिती को नि.व. 2011-12 से संबंधित केवल ₹ 40.69 लाख का क्रेडिट समंजन हेतु उपलब्ध था। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 5.58 करोड़ के मेट क्रेडिट की गलत अनुमति दी गई। आयकर विभाग से उत्तर प्रतीक्षित था।

इसके अलावा, गुजरात में सात निर्धारण मामलों में निर्धारिती को ₹ 40.93 करोड़ के मेट क्रेडिट के समंजन की अनुमति नहीं दी गई जबकि निर्धारिती इसके पात्र थे (परिशिष्ट-26.1)।

संबंधित अभिलेखों से उचित सत्यापन किए बिना मेट क्रेडिट के समंजन तथा अग्रणीत करने से संबंधित गलत दावों की अनुमति दी गई।

3.5 लेखा बहियों के अनुसार अग्रेणीत कारोबारी हानि/अनावशोषित मूल्यहास की गलत अनुमति

अधिनियम की धारा 115जेबी(2) के अनुसार अग्रेणीत हानि अथवा अनावशोषित मूल्यहास की राशि, जो भी लेखा बहियों के अनुसार कम हो, को अंकित लाभ की गणना के दौरान कटौती के रूप में अनुमत किया जाना है।

हमने 15 राज्यों⁷⁵ में 37 निर्धारण मामलों में देखा कि लेखा बहियों के अनुसार पिछले अग्रेणीत हानि या अनावशोषित मूल्यहास को अंकित लाभ की गणना करते समय ठीक से नहीं घटाया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹22.97 करोड़ के कर प्रभाव वाले अंकित लाभ की कम गणना हुई (परिशिष्ट 27)।

बॉक्स 3.9: लेखा बहियों के अनुसार पिछले अग्रेणीत कारोबारी हानि/अनावशोषित मूल्यहास की गलत अनुमति पर निदर्शी मामले

प्रभार: सीआईटी उदयपुर

निर्धारिती: मै. अमेरिकन इंटरनेशनल हेल्थ मैनेजमेंट लि.

निर्धारण वर्ष: 2012-13 और 2013-14

पैन : AADCA5692C

शून्य पर अंकित लाभ की गणना करते समय एओ ने अनावशोषित मूल्यहास के प्रति नि.व. 2012-13 हेतु लाभ की सीमा तक ₹ 1.14 करोड़ कम कर दिया, जबकि निर्धारिती का नि.व. 2012-13 के लिए ₹ 14.59 लाख की अग्रेणीत हानि तथा ₹ 18.25 करोड़ का अनावशोषित मूल्यहास था। इस प्रकार, अधिनियम के विशेष प्रावधानों के अनुसार निर्धारिती केवल ₹ 14.59 लाख की ही कटौती का हकदार था। इसी प्रकार, निर्धारिती ने 'शून्य' अग्रेणीत हानि/अनावशोषित मूल्यहास के प्रति नि.व. 2013-14 में लाभ की सीमा तक ₹ 4.10 करोड़ की कटौती का गलत दावा किया। अधिक अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 1.17 करोड़ के कर प्रभाव वाले ₹ 5.10 करोड़ के कुल अंकित लाभ की कम गणना हुई। आयकर विभाग से उत्तर प्रतीक्षित था।

⁷⁵ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना (1), असम (1), बिहार (2), दिल्ली (1), गुजरात (1), हरियाणा (1), हिमाचल प्रदेश (1), कर्नाटक (13), केरल (2), महाराष्ट्र (5), राजस्थान (3), तमिलनाडु (3), उत्तर प्रदेश (2) और पश्चिम बंगाल (1)

एओ के पास निर्धारण के समय कम्पनी अधिनियम के अनुसार अनावशोषित मूल्यहास/अग्रेनीत कारोबारी हानि की सही और अद्यतित स्थिति नहीं थी क्योंकि यह न तो आईटीआर से अथवा न ही फॉर्म 29बी⁷⁶ या 3सीबी/3सीडी फॉर्म से सत्यापन योग्य था, जिसके कारण उपरोक्त 37 निर्धारण मामलों में अंकित लाभ की गलत गणना हुई।

3.6 आरक्षित निधि से आहरित राशि की गलत कटौती

किसी भी आरक्षित निधि से आहरित तथा लाभ एवं हानि लेखे में जमा किसी भी राशि हेतु कटौती अनुमत है यदि, आरक्षित निधि⁷⁷ के सृजन वर्ष में अंकित लाभ की गणना के दौरान ऐसी किसी राशि पर विचार किया गया हो।

चार राज्यों⁷⁸ में 13 निर्धारण मामलों में हमने देखा कि अंकित लाभ की गणना करते समय, एओ ने लाभ और हानि लेखा से आहरित और क्रेडिट की गई राशि को गलती से कम कर दिया जिसमें ₹ 15.08 करोड़ के कर प्रभाव निहित था (परिशिष्ट-28)।

बॉक्स 3.10: सत्यापित न किये गये रिजर्व या प्रावधान से आहरित मदों के दावे तथा लाभ और हानि खाते में क्रेडिट के निदर्शी मामले

(क) प्रभार: सीआईटी- एलटीयू, बेंगलोर

निर्धारिती: मै. शनाईडर इलेक्ट्रिक आईटी बिजनेस इंडिया (प्रा.) लिमि.

निर्धारण वर्ष: 2011-12

पैन: AACCA6398Q

अंकित लाभ की गणना करते समय, एओ ने प्रतिलेखित करने के प्रावधान के प्रति लाभ और हानि खाते के ₹ 4.53 करोड़ के क्रेडिट के प्रति अशोध्य ऋण या संदिग्ध ऋण, बढ़े खाते में डाले गये अशोध्य ऋण और सूची के अवमूल्यन के संबंध में रिजर्व या प्रावधानों से आहरित राशि के रूप में ₹ 11.12 करोड़ की कटौती अनुमत की। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 1.54 करोड़ के कर प्रभाव वाले ₹ 6.59 करोड़ के अंकित लाभ की कम गणना की गई।

⁷⁶ मैट के अंतर्गत सनदी लेखाकार द्वारा अंकित लाभ की गणना का प्रमाण फॉर्म 29बी में जमा किया जाए।

⁷⁷ अधिनियम की धारा 115जेबी(2)(i)

⁷⁸ हरियाणा (1), कर्नाटक (6), महाराष्ट्र (3) और तमिलनाडु (3)

(ख) प्रभार: प्र. सीआईटी-1, मदुरै
निर्धारिती: मै. गोल्डन वीविंग मिल्स प्रा. लिमि.
निर्धारण वर्ष: 2012-13
पैन: AAACG6671L

जैसा कि दावा किया गया था एओ के एक बार निपटान (ओटीएस) के अंतर्गत ब्याज को छोड़ने के कारण ₹ 4.72 करोड़ की छूट अनुमत करने के बाद विशेष प्रावधानों के अंतर्गत ₹ 91.35 लाख की हानि अंकित लाभ की गणना की। ओटीएस के अंतर्गत दावे को समान्य प्रावधानों के अंतर्गत अनुमत नहीं किया गया था, जिसपर मैट प्रावधान के अंतर्गत विचार नहीं किया गया। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 1.03 करोड़ के कर प्रभाव वाले ₹ 3.81 करोड़ के अंकित लाभ की कम गणना की गई। आईटीडी का उत्तर प्रतीक्षित था।

(ग) प्रभार: प्र.सीआईटी-3, मुम्बई
निर्धारिती: मै. जाबिल सर्किट प्रा. लिमि.
निर्धारण वर्ष: 2011-12
पैन: AACCP7114K

अंकित लाभ की गणना करते समय एओ ने ऐसे रिज़र्व के सृजन के वर्ष में रिज़र्व से आहरण परन्तु लाभ और हानि खाते में क्रेडिट न की गई राशि के प्रति ₹ 4.28 करोड़ की कटौती अनुमत की। चूक के कारण ₹ 85.67 लाख के कर प्रभाव वाले ₹ 4.28 करोड़ के अंकित लाभ की कम गणना की गई। आईटीडी से उत्तर प्रतीक्षित था।

यह जांच करने का कोई उचित तंत्र नहीं था कि रिज़र्व से आहरित की गई राशि रिज़र्व के सृजन किये जाने के वर्ष में अंकित लाभ की गणना के दौरान वास्तविक रूप से जोड़ी गई थी।

3.7 अंकित लाभ की गणना से रूग्ण औद्योगिक कम्पनियों को छूट अनुमत करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का अननुपालन

रूग्ण औद्योगिक कम्पनियों को अपने निवल मूल्य के समान आने तक या संचित अंकित हानियों से अधिक होने तक अंकित लाभ⁷⁹ की गणना से छूट अनुमत की गई। इस उद्देश्य के लिए, डीजीआईटी (प्रशासन) को आय कर राहत सीबीडीटी का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए और बीआईएफआर और संबंधित अधिकारी को उक्त सूचना देने के लिए रूग्ण औद्योगिक कम्पनियों (एसआईसीए) अधिनियम, 1985 के अंतर्गत बीआईएफआर/एआईएफआर द्वारा परिचालित प्रारूप पुनरूद्धार योजना के अंतर्गत या संस्वीकृत योजना में प्राप्त किये जाने के प्रत्येक मामले में बीआईएफआर⁸⁰ और एआईएफआर⁸¹ से पूर्व सीबीडीटी का प्रतिनिधित्व करने के लिए उत्तरदायित्व⁸² सौंपा गया। निर्धारण अधिकारी रूग्ण कम्पनियों को ऐसे अनुमोदन प्राप्त करने के बाद केवल आय कर राहत प्रदान करेगा।

महाराष्ट्र में नौ निर्धारण मामलो में हमने देखा कि एओ ने अंकित लाभ की गणना के लिए विशेष प्रावधानों को लागू यह कहते हुए नहीं किया कि निर्धारिती ने बीआईएफआर की सुनवाई के अनुसार घोषित रूग्ण कम्पनी के लिए धारा 115 जेबी के अन्तर्गत निर्धारित मानदंड को पूरा किया था। यह सुनिश्चित करने के लिए रिकॉर्ड में कुछ नहीं था कि क्या मैट प्रावधानों को लागू करने के लिए निर्धारिती को छोड़ने के लिए डीजीआईटी (प्रशासन) द्वारा सीबीडीटी का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किया गया था, यद्यपि, एसआईसीए अधिनियम, 1985 की धारा 17(1) के अन्तर्गत कम्पनी को रूग्ण घोषित करने के लिए बीआईएफआर का प्रमाणपत्र उपलब्ध था (परिशिष्ट-29)।

⁷⁹ अधिनियम की धारा 115 जेबी (2) नीचे व्याख्या (1) का मद (VII)

⁸⁰ सीबीडीटी परिपत्र सं. 5/2009, दिनांक 2.7.2009

⁸¹ औद्योगिक और वित्तीय पुनःनिर्माण बोर्ड

⁸² औद्योगिक और वित्तीय पुनः निर्माण हेतु अपीलीय प्राधिकरण

3.8 संवीक्षा के लिए मामले का चयन न करना

2011-12 के दौरान संवीक्षा मामलों के आवश्यक मैनुअल चयन के लिए प्रक्रिया और मानदंड पर सीबीडीटी द्वारा 8 सितम्बर 2010 को संख्या एफ. सं. 225 /93 /2009 /आईटीए ।। द्वारा जारी किये गये निर्देश के अनुसार एक मानदंड यह था कि "कानून के किसी मूल और पुनरावृत्ति प्रश्न पर ₹ 10 लाख से अधिक तक पूर्व निर्धारण वर्ष में वृद्धि के मामलों सहित या तथ्य जिसकी अपील में पुष्टि की गई है या अपील प्राधिकारी के समक्ष लंबित हैं"।

दिल्ली में मै. इंटरग्लोब एविएशन लिमि. के मामले में हमने देखा कि निर्धारिती कंपनी द्वारा संवीक्षा निर्धारण के लिए चयनित किये जाने के लिए मानदंडों को पूरा किया परन्तु चयन नहीं किया गया था (परिशिष्ट-30)।

बॉक्स 3.11: संवीक्षा हेतु मामले के गैर चयन पर निदर्शी मामला

प्रभार :सीआईटी-4, नई दिल्ली

निर्धारिती: मै. इंटर ग्लोब एविएशन लिमि.

निर्धारण वर्ष : 2011-12

पैन: AABCI2726B

निर्धारिती ने नि.व. 2011-12 के लिए सामान्य प्रावधान के अंतर्गत आय की विवरणी 'शून्य' पर फाईल की जो सार रूप में प्रसंस्कृत की गई और कर मैट के अंतर्गत प्रस्तुत किया। अंतर्राष्ट्रीय एरो इंजन (आईएई) से ₹ 227.39 करोड़ निर्धारिती ने प्राप्त किये जिन्हें कर के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसी प्राप्ति को संवीक्षा के बाद पूरे किये गये निर्धारण में नि.व. 2010-11 और 2012-13 में एओ द्वारा आय के रूप में निर्धारण किया गया था। नि.व. 2011-12 के लिए रिटर्न को चयनित नहीं किया गया था, यद्यपि सीबीडीटी के निर्देशानुसार संवीक्षा चयन के लिए यह एक उचित मामला था। सामान्य प्रावधान के अंतर्गत कर से ₹ 227.39 करोड़ की आय के बचाने के कारण ₹ 75.51 करोड़ के मैट क्रेडिट का अधिक अग्रनयन हुआ। इसके अतिरिक्त, नि.व. 2011-12 से संबंधित ₹ 134.55 करोड़ सहित ₹ 225.10 करोड़ के मैट क्रेडिट का नि.व. 2012-13 में अग्रनयन दावा किया गया था। इसमें से, आईटीडी ने बाद के वर्षों में संवीक्षा कार्यवाहियों के दौरान ₹ 136.27 करोड़ को समंजन का अनुमत किया। आईटीडी का उत्तर प्रतीक्षित था।

3.9 मेट के विशेष प्रावधानों को अननुपालन की अन्य घटनाएं

अधिनियम की धारा 143(3) दर्शाती है कि एओ को उचित रूप से आय निश्चित और निर्धारित करनी होती है। सीबीडीटी ने इस संबंध में समय - समय पर निर्देश भी जारी किये हैं।

हमने 13 राज्यों⁸³ में 43 निर्धारण मामले देखे जहां अंकित लाभ की गणना में त्रुटि के कारण ₹ 88.91 करोड़ के कर का कम उदग्रहण किया गया। (परिशिष्ट 31)

बॉक्स: 3.12 अन्य त्रुटियों पर निदर्शी मामले

(क) प्रभार: प्र.सीआईटी-एलटीयू, मुंबई
निर्धारिती: मै. लूपिन लिमिटेड
निर्धारण वर्ष: 2010-11 और 2011-12
पैन: AAACL1069K

अंकित लाभ की गणना करते समय, एओ ने एसईजेड इकाई के लिए व्यय किये गये क्रमशः पूर्व-प्रारंभ राजस्व व्यय के संबंध में उपरोक्त नि.व. के लिए ₹ 27.86 करोड़ और ₹ 48.28 करोड़ को वापस नहीं जोड़ा। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 14.36 करोड़ कर प्रभाव वाले ₹ 76.14 करोड़ के कुल अंकित लाभ की कम गणना की गई। आईटीडी का उत्तर प्रतीक्षित था।

(ख) प्रभार : प्र.सीआईटी-एलटीयू, मुम्बई
निर्धारिती: मै. द शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
निर्धारण वर्ष: 2011-12
पैन: AAAC1524F

अंकित लाभ की गणना करते समय, निर्धारिती ने 'पूर्वअवधि समायोजन के संबंध में ₹ 29.75 करोड़ घटा दिये जिसे एओ द्वारा स्वीकृत किया गया था यद्यपि उक्त मद विनिर्दिष्ट समायोजनों के अन्तर्गत कवर कि गई मद नहीं थी। इसके परिणाम स्वरूप कर सामान्य प्रावधानों के तहत लगाया गया। त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 2.25 करोड़ के कर प्रभाव वाले ₹ 29.75 करोड़ के अंकित लाभ की कम गणना की गई। आईटीडी का उत्तर प्रतीक्षित था।

⁸³ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना (8), असम (2), हरियाणा (1), दिल्ली (3), गुजरात (3), कर्नाटक (3), केरल (2), महाराष्ट्र (11) राजस्थान (21), तमिलनाडु (2), उत्तर प्रदेश (2) और पश्चिम बंगाल (2)।

(ग) प्रभार: प्र.सीआईटी-6, चेन्नई

निर्धारिती : मै. स्टार हैल्थ एंड एलायड इंश्योरेंस कं. लिमि.

निर्धारण वर्ष: 2010-11

पैन: AAJCS4517L

अंकित लाभ की गणना करते समय नि.अ ने ₹ 9.20 करोड़ के उचित आंकड़े के स्थान पर ₹ 3.92 करोड़ पर अंकित लाभ की गणना आरंभ की। आंकड़ों के गलत लिखे जाने के परिणामस्वरूप ₹ 1.22 करोड़ के कर प्रभाव वाले ₹ 5.28 करोड़ के अंकित लाभ की कम गणना की गई।

3.10 निष्कर्ष

589 निर्धारण मामलों में ₹ 3803.47 करोड़ के कर का मैट क्रेडिट/अंकित लाभ की अनुमति की गणना में त्रुटि देखी गई थी।

एओ के पास निर्धारण के समय पर कम्पनी अधिनियम के अनुसार उचित और अद्यतित अनावशोषित मूल्यहास/अग्रेणीत व्यापार हानि की स्थिति नहीं थी। यह 37 निर्धारण मामलों में या तो आईटीआर या फार्म 29बी⁸⁴ या फार्म 3सीबी/3 सीडी में सत्यापन योग्य नहीं था जिसके कारण अंकित लाभ की गलत गणना की गई।

3.11 सिफारिशें

सीबीडीटी कम्पनी अधिनियम के अनुसार व्यापार हानि और अनावशोषित मूल्यहास के वर्ष वार विभाजित विवरण दर्शाता हुई सारणी या एक परिशिष्ट फार्म 29बी/कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट/आईटीआर 6 के अनुसार संलग्न कर सकता है ताकि उनकी अद्यतित स्थिति निर्धारण के समय पर ध्यान में रखी जा सके।

(पैरा 3.5)

एग्जिट क्रांफ्रेस के दौरान सीबीडीटी ने कहा कि अलग परिशिष्ट/अनुसूची रखना कठिन हो सकता है। तथापि, सीबीडीटी इस विचार से सहमत था कि एएसटी में कम्पनी अधिनियम के अनुसार अग्रेणीत व्यापार हानि और अनावशोषित मूल्यहास के विवरण भी दृष्टव्य होंगे।

⁸⁴ मैट के अंतर्गत अंकित लाभ की गणना के सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाण पत्र फार्म 29बी में प्रस्तुत किया जाना था।

अध्याय 4 : कर आधार में शून्य कर कम्पनियों को शामिल करना

4.1 यह अध्याय इस प्रश्न को दर्शाता है कि क्या सभी कम्पनियां अपने आय के रिटर्न फाईल कर रही हैं और क्या आईटीडी ने कर दायरे में लाने के लिए उनकी पहचान करने के लिए उचित कदम उठाये हैं।

4.2 निगमित निर्धारितियों द्वारा आय की रिटर्न फाईल करने की स्थिति

सभी निगमित निर्धारिती को आय या हानियों के संबंध में उनकी आय की रिटर्न आईटीडी में फाईल करना अति आवश्यक है।

निगमित निर्धारितियों द्वारा रिटर्न फाईल करने की स्थिति देखने के मद्देनजर हमने कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय, डीजीआईटी (सिस्टम्स) और डीजीआईटी (लॉजिस्टिक्स, अनुसंधान और सांख्यिकीय)⁸⁵ जैसे विभिन्न स्रोतों से प्राप्त डाटा की तुलना की जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

(आंकड़ें लाख में)

तालिका 4.1: आरओसी के पास पंजीकृत सक्रिय कम्पनियों की संख्या और आईटीडी में रिटर्न फाईल करना			
वित्तीय वर्ष	31 मार्च तक आरओसी के अनुसार कार्यरत कम्पनियां	डीजीआईटी (लॉजिस्टिक्स, अनुसंधान और सांख्यिकीय) स्कंध नई दिल्ली के अनुसार निगमित निर्धारिती	आरओसी के पास पंजीकृत कार्यरत कम्पनियां और डीजीआईटी (लॉजिस्टिक्स, अनुसंधान और सांख्यिकीय) द्वारा सूचित की गई कम्पनियों के बीच अंतर
2012-13	8.84	5.90	2.94 (33.3%)
2013-14	9.52	6.36	3.16 (33.2%)
2014-15	10.16	6.75	3.41 (33.6%)
2015-16	10.82	6.88	3.94 (36.4%)

आरओसी के पास पंजीकृत कार्यरत कम्पनियों और डीजीआईटी (लॉजिस्टिक्स, अनुसंधान और सांख्यिकीय) द्वारा सूचित की गई कम्पनियों के बीच अंतर 2.94 लाख (33.3%) से 3.94 (36.4%) के बीच था जो कम्पनियों द्वारा आय की रिटर्न की गैर फाईलिंग/ फाईलिंग बंद करने को दर्शाता है। आरओसी के पास पंजीकृत एक तिहाई के लगभग कम्पनियां आईटीडी के डाटाबेस में नहीं थीं।

⁸⁵ सीएजी की 2016 की रिपोर्ट सं. 3 और 2017 की 2

इसके अतिरिक्त, आईटीडी द्वारा कम्पनियों की सूची न प्रस्तुत करने के कारण लेखापरीक्षा ने आरओसी के पास उपलब्ध निर्धारिती की सूची की तुलना नहीं की और इसलिए विशिष्ट गैर-फाईलकर्ता/ बंद करने वाले फाईलकर्ता निर्धारितियों पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकी।

4.2.1 निगमित गैर फाईलकर्ताओं पर आईटीडी द्वारा की गई कार्रवाई

प्रणाली के प्रयोग द्वारा संभावित कर देयताओं सहित गैर-फाईलकर्ताओं पर कार्रवाई को प्राथमिकता देने के लिए पायलट परियोजना के रूप में सीबीडीटी ने गैर फाईलकर्ताओं पर निगरानी प्रणाली (एनएमएस) आरंभ⁸⁶ की। प्रणाली में मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) अपनायी जाती है जैसा कि नीचे दिया गया है:

- (i) एनएमएस में दिए गये मामले के 15 दिनों के अंदर निर्धारिती को एक पत्र जारी किया जाना होता है। पत्र के भेजे जाने पर, एओ को एनएमएस मोड्यूल में सुपुर्दगी तिथि लिखनी चाहिए। यदि पत्र नहीं भेजा गया है, एओ को वैकल्पिक पते पर पत्र जारी करना चाहिए। यदि एओ पत्र भेजने में और करदाता की पहचान करने में असक्षम हो तो ऐसे मामले में उसे एनएमएस में “निर्धारिती का पता नहीं लग सका” लिखना चाहिए।
- (ii) गैर-फाईलकर्ता से रिटर्न की प्राप्ति पर, एओ को रिटर्न की फाइलिंग के 15 दिनों के अन्दर निर्धारण सूचना प्रणाली (एसटी) में विवरण प्राप्त करने चाहिए। यदि निर्धारिती सूचित करता है कि पेपर रिटर्न पहले ही फाईल किये जा चुके हैं जिन्हें एसटी में प्राप्त नहीं किया गया था, रिटर्न के विवरण एसटी मोड्यूल में दाखिल किये जाने चाहिए। यदि किसी मामले में कोई रिटर्न फाईल किया जाना अपेक्षित नहीं है, एओ द्वारा एनएमएस में इसी प्रकार चिन्हित किया जाना चाहिए।
- (iii) यदि 30 दिनों के दिये गये समय के अन्दर पहचाने गये निर्धारिती द्वारा रिटर्न फाईल नहीं की जाती हैं, धारा 142(1)/148 के अन्तर्गत एओ द्वारा एसटी में कार्रवाइयों को आरम्भ किया जाना ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे मामलों को सिस्टम निदेशालय द्वारा प्रति सप्ताह प्रसंस्कृत किया जाएगा और उन्हें एनएमएस में बंद के रूप में चिन्हित किया जाएगा यदि (क) एसटी में रिटर्न के विवरण उपलब्ध हैं

⁸⁶ दिनांक 23.09.2013 को 2013 के निर्देश 14 एनएमएस के अन्तर्गत मामलों के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई।

(ख) धारा 142(1) या 148 के अंतर्गत अधिसूचना जारी की गई हैं
(ग) निर्धारण अधिकारी द्वारा “रिटर्न अपेक्षित नहीं” चिन्हित किया जाता है।

लेखापरीक्षा ने गैर-फाईलकर्ताओं के संबंध में आईटीडी द्वारा की गई कार्रवाई के सत्यापन के लिए प्रयास किये। गैर-फाईलकर्ताओं के संबंध में हमने डीजीआईटी (सिस्टमस)⁸⁷ से डाटा तलाश किया जिसे प्रस्तुत नहीं किया गया था। व्यष्टि सीसीआईटी/सीआईटी को भी गैर-फाईलकर्ताओं के संबंध में डाटा/विवरण प्रस्तुत करने के लिए भी पूछा गया था। हमने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, दिल्ली, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, तमिलनाडू और उत्तर प्रदेश प्रभागों से 42 प्र. सीआईटी प्रभागों से गैर-फाईलकर्ताओं से संबंधित सूचना प्राप्त की जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:-

तालिका 4.2: निगमित गैर-फाईलकर्ताओं पर आईटीडी द्वारा की गई कार्रवाई					
क्रम सं.	आयुक्तालय	पहचाने गये निगमित गैर फाईलकर्ता	मामले जहां पत्र/ अधिसूचनाएं जारी की गई	मामले जहां जारी किये गये पत्र/अधिसूचनाओं के प्रति उत्तर में आईटीआर फाईल की गई थी	मामले जहां आईटीआर फाईल नहीं किये गये हो।
1.	पीसीआईटी-II, हैदराबाद	865	845	263	582
2.	पीसीआईटी-V, हैदराबाद	475	535	167	368
3.	पीसीआईटी (केन्द्रिय) हैदराबाद	53	53	20	33
4.	पीसीआईटी-I, विशाखापतनम	22	18	5	13
5.	पीसीआईटी-II, विशाखातनम	441	49	44	5
6.	पीसीआईटी, राजामुंदरी	605	0	0	0
7.	पीसीआईटी-रांची	225	225	38	187
8.	पीसीआईटी- जमशेदपुर	30	30	0	30
9.	पीसीआईटी-धनबाद	56	56	0	56
10.	पीसीआईटी-हजारीबाग	11	11	0	11
11.	पीसीआईटी-सेन्ट्रल पटना	7	7	0	7
12.	पीसीआईटी-1, बेंगलुरु	150	124	28	96
13.	पीसीआईटी-2, बेंगलुरु	211	173	41	132
14.	पीसीआईटी-3, बेंगलुरु	121	38	15	23
15.	पीसीआईटी-4, बेंगलुरु	178	106	31	75

⁸⁷ डीजीए, सीआर, नई दिल्ली पत्र सं आरएआईटी/पीए-115 जेबी/2016-17/2193 दिनांक 15.11.2016

2017 की प्रतिवेदन सं. 30 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

16.	पीसीआईटी-5, बेंगलुरु	196	149	30	119
17.	पीसीआईटी-6, बेंगलुरु	369	366	71	295
18.	पीसीआईटी-7, बेंगलुरु	322	289	67	222
19.	पीसीआईटी-1, चेन्नई	905	905	160	745
20.	पीसीआईटी-2, चेन्नई	453	453	48	405
21.	पीसीआईटी -3, चेन्नई	274	274	37	237
22.	पीसीआईटी -4, चेन्नई	231	231	22	209
23.	पीसीआईटी -5, चेन्नई	493	493	130	363
24.	पीसीआईटी -6, चेन्नई	34	34	8	26
25.	पीसीआईटी -1, कोच्ची	866	866	405	461
26.	पीसीआईटी, कोट्टायम	16	16	3	13
27.	पीसीआईटी, कोझीकोड	421	421	180	241
28.	पीसीआईटी, तिरुअनंतपुरम	376	376	148	228
29.	पीसीआईटी, त्रिशुर	197	197	142	55
30.	सीआईटी एलटीयू, मुम्बई	0	0	0	0
31.	जेसीआईटी 14(2), मुम्बई	268	268	124	144
32.	सेंट्रल रेंज-6, मुम्बई	9	9	2	7
33.	अतिरिक्त सीआईटी 14 (1), मुम्बई	293	267	267	26
34.	पीसीआईटी ग्वालियर	28	27	0	28
35.	पीसीआईटी-1 इन्दौर	32	31	0	32
36.	पीसीआईटी 7 दिल्ली	251	251	96	155
37.	बरेली	2452	10	2	8
38.	गाजियाबाद	104	104	0	104
39.	I-लखनऊ	317	313	41	272
40.	II-लखनऊ	190	190	34	156
41.	मेरठ	55	55	11	39
42.	नोएडा	148	148	NA	NA
कुल		12750	9013 (70.69%)	2680 (29.73%)	6208
नोट: पीसीआईटी 7 दिल्ली से संबंधित डाटा में कॉर्पोरेट एवं गैर-कॉर्पोरेट गैर फाइलर्स शामिल हो सकते हैं					

उपरोक्त तालिका से यह देखा गया है कि पहचान किए गए 12,750 गैर फाइलर्स में से आईटीडी ने केवल 9013 (70.69 प्रतिशत) को ही नोटिस जारी किये थे। उनमें से, आईटीडी द्वारा पहचान किए गए कॉर्पोरेट गैर-फाइलर्स के केवल 29.73 प्रतिशत ने आईटीडी द्वारा जारी किए गए नोटिसों के उत्तर

में आयकर रिटर्न विवरणी फाइल किए थे, जबकि अब तक शेष 6,208 मामलों में कोई रिटर्न फाइल नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा इसके बाद यह देखने के लिए गैर-फाइलर्स की सूची का विश्लेषण करना चाहता था कि यदि गैर-फाइलर्स की प्रकृति के संबंध में कोई पैटर्न या इनसाइट प्रकट होता है। तथापि यह किया नहीं जा सका क्योंकि गैर फाइलर्स की सूची/विवरण प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

लेखापरीक्षा में जांच के लिए आईटीडी को उन कॉर्पोरेट निर्धारितियों की फाइलें प्रस्तुत करने को कहा गया था जिन्होंने आईटीडी द्वारा जारी नोटिसों के उत्तर में रिटर्न विवरणी फाइल किए थे किंतु ऐसी कोई फाइल लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई।

यह जांच करने की आवश्यकता थी कि एक सुधारात्मक कार्रवाई के तौरपर आईटीडी द्वारा गैर-फाइलर्स के तौरपर पहचान किए गए सभी मामलों में नोटिस जारी क्यों नहीं किए गए और आईटीडी द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बावजूद निर्धारितियों द्वारा कोई रिटर्न विवरणी फाइल नहीं किए जाने के मामलों के संबंध में आईटीडी द्वारा क्या कार्रवाई की गई जा रही है।

4.3 संवीक्षा निपटान के विवरणों में असमानता

हमने निर्धारण अधिकारी के स्तर पर मॉग एवं संग्रहण रजिस्ट्रों से डीजीआईटी (प्रणाली) द्वारा प्रस्तुत डाटा का सत्यापन किया और वि.व. 2015-16 के दौरान संवीक्षा निपटान की संख्याओं में व्यापक विभिन्नता देखी। लेखापरीक्षा के दौरान यादृच्छिक रूप से देखे गए संवीक्षा मामलों के निपटान के संबंध में असमानता **परिशिष्ट 32** में दर्शायी गई हैं।

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, गुजरात, झारखंड, केरल और राजस्थान में मॉग एवं संग्रहण रजिस्टर के अनुसार संवीक्षा मामलों का वास्तविक निपटान डीजीआईटी (प्रणालियों) द्वारा प्रदान किए गए डाटा में दर्शाए गए से कम था जबकि बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में इसके विपरीत था। अंतर के समाधान करने की आवश्यकता है।

4.4 निष्कर्ष

वि.व. 2012-13 से 2015-16 के दौरान आरओसी में पंजीकृत एक तिहाई कम्पनियाँ आईटीडी के डाटाबेस में नहीं थीं। आईटीडी द्वारा जारी किए गए नोटिसों के उत्तर में आईटीडी द्वारा पहचान किए गए कॉर्पोरेट गैर-फाइलकर्ताओं के केवल 19.57 प्रतिशत ने अपने रिटर्न फाइल किए थे।

वि.व. 2015-16 के दौरान डीजीआईटी (प्रणाली) द्वारा प्रस्तुत डाटा और निर्धारण अधिकारी स्तर पर मॉग एवं संग्रहण रजिस्ट्रों के बीच संवीक्षा निपटान की संख्याओं में विभिन्नता थी।

4.5 सिफारिशें

- (क) आईटीडी जवाबदेही के लिए एक ढाँचा बना सकता है जहां कॉर्पोरेट एवं गैर कॉर्पोरेट गैर-फाइलकर्ताओं दोनों को पृथक रूप से पहचान के लिए गैर-फाइलकर्ताओं अनुरक्षण प्रणाली के प्रभावी उपयोग के लिए एओ को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है ताकि वे प्रभावी ढंग से कर नेट में लाने के लिए गैर-फाइलकर्ताओं पर कार्रवाई करे।

(पैरा 4.2)

एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान सीबीडीटी इस संबंध में एक उपयुक्त ढाँचे पर सहमत हुआ था।

- (ख) आईटीडी उन मामलों पर जहां आईटीआर फाइल नहीं की गई थीं कर दायरे में लाने के लिए कार्रवाई कर सकता है।

(पैरा 4.2)

एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान सीबीडीटी इस मामले को जांच करने के लिए सहमत थे।

अध्याय 5: मैट का प्रभाव

5.1 हमने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि क्या आईटीडी के पास शून्य कर वाली कम्पनियों को कर नेट में लाने के संबंध में मैट के प्रभाव के साथ-साथ मैट क्रेडिट के निर्धारण का एक तंत्र है और क्या सामान्य प्रावधानों के तहत शून्य कर वाली कम्पनियाँ मैट के तहत कोई कर भुगतान कर रही है या नहीं।

5.2 शून्य कर कम्पनियों की पहचान करना

5.2.1 हमने अक्टूबर 2016 में सीबीडीटी (टीपीएल) से सूचना माँगी कि शून्य कर कम्पनियों को कर नेट में लाने के संबंध में मैट के प्रभाव के निर्धारण के लिए आईटीडी के पास क्या कोई तंत्र है। इसके अलावा, हमने धारा 115 जेबी के तहत कुल संग्रहित कर के विवरण के साथ सामान्य प्रावधानों के साथ-साथ विशेष प्रावधानों के तहत शून्य कर का भुगतान कर रहीं कम्पनियों एवं 2012-13 से 2015-16 की अवधि के लिए संबंधित कॉर्पोरेट निधारियों द्वारा लाभ उठाए गए मैट क्रेडिट की सूची की माँग की। उपरोक्त पूछताछ के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए गए।

हमने यह मामला, नवम्बर 2016 में अपर सचिव (राजस्व)/ अध्यक्ष, सीबीडीटी के साथ उठाया। डीजीआईटी (प्रणालियों) ने जनवरी 2017 में सामान्य प्रावधानों के साथ-साथ विशेष प्रावधानों के तहत शून्य कर का भुगतान कर रहीं 60,227 कम्पनियों के विवरण उपलब्ध कराए थे।

5.2.2 मैट से संबंधित प्रावधानों के तहत शून्य कर का भुगतान कर रहीं कम्पनियों की जांच

हमने ऐसी कम्पनियों जिसने विशेष प्रावधानों के तहत शून्य कर दिया था की डीजीआईटी (प्रणालियों) द्वारा दिए गए 60,227 मामलों की सूची में से 441 मामलों की नमूना जांच की। 441 मामलों में से 24 में लेखापरीक्षा ने देखा कि, कॉर्पोरेट निर्धारितियों ने मैट प्रावधानों के तहत कर का भुगतान किया था। शेष 417 मामलों में मैट के विशेष प्रावधानों के तहत शून्य हो रहीं कॉर्पोरेट निर्धारितियों की कर देयताओं के मुख्य कारण नीचे दिए गए हैं:

2017 की प्रतिवेदन सं. 30 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

तालिका 5.1 मैट प्रावधानों के तहत शून्य कर का भुगतान कर रहीं कम्पनियाँ					
क्रम सं.	मदें जिनके परिणामस्वरूप मैट प्रावधानों के तहत शून्य कर देयता हुई	मामलों की संख्या	मामलों के अनुसार प्रतिशत	कटौती की राशि (₹ करोड़ में)	प्रोत्साहन के अनुसार प्रतिशत
1	रुग्ण औद्योगिक इकाई के लाभ की कटौती	63	15.1	24780.77	63.4
2	अनावशोधित मूल्यहास या अग्रानीत हानियों का समंजन	140	33.6	6004.62	15.4
3	शेष असमायोजित मदें और पी एंड एल लेखा में क्रेडिट किया गया आस्थगित कर	11	2.6	2709.85	6.9
4	धारा 10ए, 10बी, 10एए, 10(26बी), 10(38) आदि के तहत छूट प्राप्त आय	101	24.2	2526.41	6.4
5	छूट प्राप्त लाभांश आय की कटौती	39	9.4	867.03	2.2
6	छूट प्राप्त कर रही साझेदारी फर्म से लाभ का शेयर	4	1.0	689.27	1.8
7	रिजर्व/प्रावधान से निकाली गई राशि की कटौती	12	2.9	312.12	0.8
8	निर्धारित के जीवन बीमा कारोबार में कार्यरत होने से लाभ छूट	4	1.0	248.63	0.6
9	प्रतिलेखित प्रावधान	4	1.0	211.96	0.5
10	कटौती के तौर पर अनुमत कोई भी अन्य राशि	7	1.7	198.52	0.5
11	छूट प्राप्त कर रही कृषि भूमि/ कृषि आय की बिक्री पर लाभ की कटौती	24	5.8	179.35	0.5
12	पी एवं एल लेखों में डेबिट नहीं की गई ग्रेच्यूटी/विद्युत और ईंधन व्ययों की कटौती	2	0.5	159.61	0.4
13	धारा 90(2) के बलपर आय में छूट	2	0.5	113.07	0.3
14	निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधानों में कटौती	3	0.7	55.26	0.1
15	बट्टे खाते में डाले गये निवेश को प्रावधानों के प्रति समायोजित किया गया	1	0.2	41.02	0.1
	कुल	417		39097.49	

विवरणी/मामलों की संख्या के अनुसार, अनावशोषित मूल्यहास और/अथवा अग्रानीत हानियों (33.6 प्रतिशत) के समंजन, धारा 10ए, 10बी, 10एए, 10(26बी), 10(38) आदि के तहत छूट प्राप्त कर रही आय (24.2 प्रतिशत), रूग्ण औद्योगिक इकाई के लाभ में कटौती (15.1 प्रतिशत) छूट प्राप्त लाभांश आय की कटौती (9.4 प्रतिशत) और कृषि भूमि की बिक्री/छूट प्राप्त कृषि आय पर लाभ की कटौती (5.8 प्रतिशत) नमूना मामलों की संख्या के 88.1 प्रतिशत होते हुए शीर्ष पाँच प्रोत्साहन/छूट/कटौतियाँ हैं जो कि मैट प्रावधानों के तहत कर देयता को रद्द कर रही हैं।

छूट/कटौतियों की राशि के अनुसार, एक रूग्ण औद्योगिक इकाई (63.4 प्रतिशत) के लाभ की कटौती के बाद, अनावशोषित मूल्यहास और अग्रानीत हानियों का समंजन (15.4 प्रतिशत), शेष असमायोजित मर्दे और पी एवं एल लेखे को क्रेडिट किया गया आस्थगित कर, धारा 10ए, 10बी, 10एए, 10(26बी), 10(38) (6.4 प्रतिशत) के तहत छूट प्राप्त आय छूट प्राप्त लाभांश आय की कटौती (2.2 प्रतिशत) नमूना मामलों की कुल राशि के 94.3 प्रतिशत होते हुए शीर्ष पाँच प्रोत्साहन/छूट/कटौतियाँ हैं जो मैट प्रावधानों के तहत कर देयता को रद्द कर रही हैं।

5.3 मैट के तहत कर के भुगतान की दायी कम्पनियाँ मैट के उद्ग्रहण से अपवंचन

अधिनियम में प्रावधान है कि, जहाँ एक निर्धारिती एक कम्पनी होने के मामले में, अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के तहत परिकल्पित कुल आय पर देय आयकर समय-समय पर निर्धारित अंकित लाभ के प्रतिशत से कम है, तब ऐसा अंकित लाभ निर्धारिती की कुल आय माना जायेगा। इसके बाद धारा 115जेबी की उप धारा 2 के नीचे व्याख्या 1 अंकित लाभ के परिकल्पन के लिए कुछ समायोजन निर्धारित करता है।

हमने 14 राज्यों⁸⁸ में 34 निर्धारण मामले देखे जहाँ यद्यपि कर विशेष प्रावधानों के तहत उदग्रहण था परन्तु यह अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के तहत उदग्रहीत हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 127.86 करोड़ के कर की कम उगाही हुई (परिशिष्ट-33)।

बॉक्स 5.1: मेट के तहत कर के अनुदग्रहण के उदाहरणार्थ मामले

(क) प्रभार: प्र सीआईटी, त्रिशुर

निर्धारिती: द कैथोलिक सीरियन बैंक लि.

निर्धारण वर्ष: 2011-12

पैन: AABCT0024D

परिशोधन आदेश (2014) पारित करते समय एओ ने सामान्य प्रावधान के तहत 'शून्य' आय का निर्धारण किया और कोई कर उदग्रहीत नहीं किया गया। तथापि, निर्धारिती को ₹ 29.29 करोड़ का अंकित लाभ हुआ था और विशेष प्रावधानों के तहत कर का भुगतान करने के लिए देय था। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 5.84 करोड़ के कर प्रभाव वाले 29.29 करोड़ के अंकित लाभ का निर्धारण नहीं हुआ। आईटीडी का उत्तर प्रतीक्षित था।

(ख) प्रभार: प्र. सीआईटी-2 चंडीगढ़

निर्धारिती: मेसर्स वीनस रेमेडीज़ लि.

निर्धारण वर्ष : 2013-14

पैन: AAACV6524H

निर्धारिती की कर देयता की गणना के दौरान एओ ने अंकित लाभ का परिकलन नहीं किया और कर का उदग्रहण सामान्य प्रावधानों के तहत किया था। निर्धारिती ने अंकित लाभ की गणना के दौरान लेखांकित मूल्यहास के अतिरिक्त आय कर अधिनियम के अनुसार मूल्यहास के लिए ₹ 43.25 करोड़ और अधिनियम की धारा 10 के तहत वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए ₹ 1.55 करोड़ की कटौती का दावा किया और दो में से उच्चतर होने पर सामान्य प्रावधान के तहत कर प्रस्तुत किया। चूंकि उपरोक्त कटौतियाँ अधिनियम के विशेष प्रावधानों के तहत अनुमत समायोजन नहीं थे, अतः उपरोक्त परिवर्धन पर विचार करते हुए निर्धारिती को विशेष प्रावधानों के तहत कर का भुगतान

⁸⁸ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना (6), असम (1), बिहार (2), दिल्ली (1), हिमाचल प्रदेश (3), कर्नाटक (4), केरल (3), मध्य प्रदेश (3), महाराष्ट्र (3), पंजाब (2), तमिलनाडु (3), उत्तर प्रदेश (1) और पश्चिम बंगाल (2)

करना था। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 12.17 करोड़ (विशेष प्रावधानों के तहत उद्ग्रहीत कर और सामान्य प्रावधानों के तहत उद्ग्रहीत कर में अंतर) के कर प्रभाव वाले ₹ 62.67 करोड़ के अंकित लाभ का गैर-परिकलन हुआ। आईटीडी ने यह कहते हुए आपत्ति को स्वीकार नहीं किया कि अंकित लाभ के परिकलन के दौरान मूल्यहास एक अनुमत कटौती थी। इसके बाद वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए कटौती के मामले पर आईटीडी ने आपत्ति स्वीकार कर ली किंतु कहा कि पूर्वकथित की नामंजूरी के लिए विचार करने के बाद भी निर्धारिती अब भी सामान्य प्रावधानों के तहत कर के लिए दायी होगा (नवम्बर 2016)। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि आयकर अधिनियम के तहत मूल्यहास एक अनुमत कटौती नहीं था।

यद्यपि उपरोक्त उल्लेखित कम्पनियाँ मैट के तहत कर के भुगतान के लिए दायी थी परन्तु धारा 115 जेबी के विशेष प्रावधान इन मामलों में लागू नहीं किए गए थे।

5.4 मैट क्रेडिट के प्रावधानों के कारण मैट योजना का उद्देश्यहीन होना

धारा 155 जेए के तहत मैट क्रेडिट 1 अप्रैल 1997 से लागू किया गया था। नि.व. 2001-02 से नई धारा 115 जेबी लागू होने के बाद मैट क्रेडिट के प्रावधान नि.व 2005-06 तक लागू नहीं थे और केवल नि.व 2000-01 तक उपलब्ध क्रेडिट का समंजन अनुमत था जिसका लाभ नि.व 2005-06 तक उठाया जा सकता था। नि.व 2006-07 से, 7 वर्षों तक मैट क्रेडिट के प्रावधान मैट क्रेडिट का अग्रनयन अनुमत कर पुनः लागू किए गए थे जिसे वित्त अधिनियम 2009 से 10 वर्षों तक आगे बढ़ाया गया था। हाल में वित्त बिल 2017 ने समंजन की अवधि को 15 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। मैट क्रेडिट को पुनः लागू करने के लिए कोई औचित्य नहीं दिया गया था।

केरल, महाराष्ट्र में छः प्र. सीआईटी प्रभारों के संबंध में 12 निर्धारण अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि पिछले वर्षों का आगे लाया गया कुल ₹ 380.53 करोड़ का मैट क्रेडिट का बाद के वर्षों में पूर्ण रूप से लाभ उठाया गया था जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।

(₹ करोड़ में)

तालिका 5.2: मेट की योजना के रद्दीकरण का लाभ उठा रहे मेट क्रेडिट के मामले						
क्र. सं.	निर्धारित नाम/पैन	प्र. सीआईटी/ सीआईटी प्रभार	निर्धारण वर्ष जिसके लिए मेट क्रेडिट को अग्रणीत किया गया था	अग्रणीत मेट क्रेडिट	समंजित मेट क्रेडिट	निर्धारण वर्ष जिसमें समायोजित किया गया
1.	पीके स्टील कास्टिंग्स/ AABCP3517H	कोझीकोड	2011-12	0.77	0.77	2012-13
2.	मालाबार इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस/ AACCM3480H	कोझीकोड	2008-09	0.72	0.72	2011-12
3.	मालाबार इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस/ AACCM3480H	कोझीकोड	2009-10	1.00	1.00	2011-12 2012-13
4.	पैरी सन्स फूड्स प्रा. लि. / AACCP2898J	कोझीकोड	2007-08	0.87	0.87	2008-09
5.	पैरी सन्स फूड्स प्रा. लि. / AACCP2898J	कोझीकोड	2013-14	0.25	0.25	2014-15
6.	टाटा सन्स/ AAACT4060A	प्र. सीआईटी 2 मुम्बई	2007-08 2008-09	354.54	354.54	2009-10, 2010-11, 2011-12
7.	ब्रिन्टन कार्पेट एशिया प्रा. लि. / AAACB7059H	प्र. सीआईटी 1 पूर्ण	2009-10	0.72	0.72	2010-11, 2011-12
8.	आईगेट कम्प्यूटर सिस्टम लि. / AABCP6219N	प्र. सीआईटी 1 पुणे	2011-12	7.68	7.68	2012-13
9.	नीलकंठ मैन्शन एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. AAACN1245R	प्र. सीआईटी 14 मुम्बई	2010-11 2011-12	1.02	1.02	2013-14
10.	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टीलाइजर्स लि. AAACR2831H	प्र. सीआईटी एलटीयू मुम्बई	2012-13	8.75	8.75	2013-14
11.	ब्रिस्टलकॉन इंडिया लि. AAACM5186E	प्र. सीआईटी 2 मुम्बई	2006-07, 2007-08 2008-09	0.16	0.16	2010-11, 2011-12 2012-13
12.	पॉजिटिव पैकेजिंग इंडस्ट्रीज लि. / AAACP2836Q	प्र. सीआईटी 3 मुम्बई	2009-10, 2010-11	4.05	4.05	2012-13
	जोड़			380.53	380.53	

5.5 निष्कर्ष

सामान्य प्रावधान के अंतर्गत कर से मैट के अंतर्गत एकत्रित किए गए अधिक कर को बाद के वर्षों में निर्धारिती को मैट क्रेडिट के रूप में समंजन से विशेष प्रावधानों के अंतर्गत आने वाली कंपनियों से कर एकत्र करने के लिए मैट को लागू करने का मूल उद्देश्य उस सीमा तक निष्प्रभावी हो गया।

नई दिल्ली
दिनांक: 10 जुलाई 2017


(संजय कुमार)
प्रधान निदेशक (प्रत्यक्ष कर)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 10 जुलाई 2017


(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1

(पैरा 1.4 देखें)

वैधानिक रूपरेखा

निर्धारण वर्ष 1987-88 से प्रभावी आयकर अधिनियम 1961 में धारा 115जे को सम्मिलित करते हुए वित्तीय अधिनियम 1987 द्वारा मेट लागू किया गया था, जिसे निर्धारण वर्ष 1990-91 से प्रभावी वित्तीय अधिनियम, 1990 द्वारा धारा 115जे को गैर-कार्यकारी बनाकर वापस ले लिया गया था। 1 अप्रैल 1997 से प्रभावी, धारा 115जे के तहत वित्तीय अधिनियम, 1996 द्वारा मेट पुनः लागू किया गया, जोकि 1 अप्रैल 2000 से जिसे गैर-कार्यकारी बनाया गया था। निर्धारण-वर्ष-2001-02 से प्रभावी वित्त अधिनियम 2000 द्वारा नयी धारा 115 जेबी, अपनी वर्तमान स्थिति में लागू की गयी थी। मेट से संबंधित प्रावधानों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

धारा	प्रावधानों का सार
115 जेएए (1ए)	जहां निर्धारण वर्ष 2006-07 ⁸⁹ से किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए उप-धारा 115 जेबी(1) के तहत कर का भुगतान किया गया है, कर क्रेडिट पर किसी भी ब्याज की अनुमति के बिना निर्धारित को भुगतान किए गए कर के संबंध में क्रेडिट की अनुमति दी जायेगी।
115 जेए (2) एवं (2ए)	उपधारा 115 जेए(1) और 115 जेए(1ए) के तहत कर क्रेडिट की अनुमति क्रमशः उप-धारा 115 जेए(1) और 115 जेबी(1) के तहत किसी भी निर्धारण के लिए भुगतान किये गये कर का अंतर होगा और अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के तहत कर की राशि देय होगी।
115 जेए (3ए)	कर क्रेडिट की राशि को तुरंत उत्तरवर्ती निर्धारण वर्ष जिसमें कर क्रेडिट स्वीकार्य हो से आगे दसवें निर्धारण वर्ष ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
115 जेए (4)	जब कर अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के तहत देय है तब एक वर्ष में समंजन के लिए कर क्रेडिट की अनुमति दी जायेगी।
115 जेए (5)	उस वर्ष में अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के तहत कर और उप-धारा 115 जेए(1) और उस वर्ष में 115 जेबी(1) के तहत देय कर, जैसा भी मामला हो के बीच अंतर की सीमा तक किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए लाये गये अग्रजित कर क्रेडिट के संबंध में समंजन अनुमत किया जाएगा।
115 जेए (6)	यदि धारा 143 (3), धारा 144 धारा 147, धारा 154, धारा 155, धारा 245 डी (4), धारा 250, धारा 254, धारा 260, धारा 262, धारा 263 या धारा 264 के तहत एक आदेश के परिणामस्वरूप, देय कर की राशि घटती और बढ़ती है, जैसा भी मामला हो, कर क्रेडिट की अनुमित राशि को भी तदनुसार बढ़ाया या घटाया जा सकता है।
115 जेए	एक निजी कंपनी या असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी के एक एलएलपी में परिवर्तन के

⁸⁹ धारा 115जे के तहत अंकित लाभ पर दत्त कर के सन्दर्भ में मेट क्रेडिट नि.व. 2005-06 तक समंजन के लिए उपलब्ध होंगे

(7)	मामले में, इस धारा के प्रावधान उत्तरवर्ती एलएलपी के लिए लागू नहीं होंगे।
115 जेबी (1)	यदि किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के तहत कर का भुगतान उसके अंकित लाभ पर मैट से कम है, तो इस प्रकार के अंकित लाभ को कुल आय माना जायेगा और तदनुसार मैट लगाया जाएगा।
115 जेबी (2)	<p>प्रत्येक कंपनी, कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग II (कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III) के प्रावधानों के अनुसार अपने लाभ और हानि खाते तैयार करेगी; या</p> <p>ऐसी कंपनियां, जिन्हें कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उप-धारा (2) के परंतुक लागू है,</p> <p>ऐसी कंपनी को शासित करने वाले अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपने लाभ और हानि पी एवं एल खातों को तैयार करेंगे। मैट उद्देश्य के लिए लाभ और हानि खातों सहित वार्षिक खातों को तैयार करते समय, इस प्रकार के खातों को तैयार करने के लिए स्वीकार्य लेखांकन मानको और मूल्यांकास की संगणना करने के लिए स्वीकार्य दरे और पद्धति उसी प्रकार समान होंगे जैसे इस प्रकार के खातों को तैयार करने के उद्देश्य के लिए स्वीकृत किये गये थे और इसकी वार्षिक सामान्य बैठक में कंपनी के सामने रखे गये थे। ये आवश्यकताएँ वहां भी लागू हैं जहां कंपनी आयकर अधिनियम के तहत पिछले वर्ष से भिन्न एक वित्तीय वर्ष अपनाती है।</p>
स्पष्टीकरण 1 (अंकित लाभ)	<p>‘मैट के प्रयोजनार्थ अंकित लाभ’ का अर्थ है उप- धारा 115 जेबी(2) के तहत तैयार किये गये लाभ और हानि खातों में दर्शाया गया निवल लाभ, जिसमें निम्न से वृद्धि की गई हो</p> <p>(क) अधिभार, शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर सहित, दत्त और देय आयकर की राशि धारा 115-ओ के तहत किसी भी प्रकार के कर की राशि और आयकर अधिनियम के तहत प्रभारित किसी भी प्रकार के ब्याज और इसके लिए प्रावधान; या</p> <p>(ख) किसी भी रिजर्व में ले जायी गयी राशियां, किसी भी नाम से बोली जाये (धारा 33 एसी के तहत विनिर्दिष्ट रिजर्व आरक्षित के अतिरिक्त) ; या</p> <p>(ग) अभिनिश्चित देयताओं को पूरा करने के लिए अपास्त की गयी राशियाँ; या</p> <p>(घ) सहायक कंपनियों की हानियों के लिए प्रावधान के माध्यम से राशि; या</p> <p>(ङ) प्रदत्त या प्रस्तावित लाभांश की राशि; या</p> <p>(च) किसी भी आय से संबंधित व्यय की राशियां जिनके लिए धारा 10 (के अलावा) (38) या धारा 11 और धारा 12 लागू हो; और</p> <p>(छ) 2007-08 से प्रभावी पुनर्मूल्यांकन के कारण मूल्यहास की राशि,</p> <p>(ज) आस्थगित कर और उसके प्रावधान के लिए राशि,</p> <p>(झ) किसी भी परिसंपत्ति के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान में आरक्षित राशि,</p> <p>(ञ) इस प्रकार की परिसंपत्ति के निपटान और सेवानिवृत्ति पर पुनर्मूल्यांकित परिसंपत्ति से संबंधित रिजर्व पुनर्मूल्यांकन में रखी गई राशि,</p> <p>यदि खण्ड (क) से (ज) में सन्दर्भित किसी भी राशि को लाभ और हानि भाते में डेबिट किया गया है या खण्ड (झ) में सन्दर्भित राशि को लाभ और हानि खाते में क्रेडिट नहीं किया गया है।</p>

<p>स्पष्टीकरण-1 (अंकित लाभ) जारी</p>	<p>मैट के उद्देश्य के लिए 'अंकित लाभ' का अर्थ है निवल लाभ जैसा उप धारा 115 जेबी (2) के तहत तैयार किये गये लाभ और हानि खाते में तैयार किया गया है, जो निम्न द्वारा घटाया गया है-</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) किसी भी रिजर्व या प्रावधान से निकाली गयी राशि, यदि ऐसी कोई राशि लाभ और हानि खाते में क्रेडिट की जाती है; या (ii) धारा 10 ((38) को छोड़कर) या धारा 11 और धारा 12 के किसी भी प्रावधान जिसमें आय की राशि लागू होती है, यदि इस प्रकार की कोई राशि लाभ और हानि खाते में क्रेडिट की जाती है; या (iii) लाभ और हानि खाते में डेबिट की गयी मूल्यहास की राशि परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के खाते के अतिरिक्त; या (iv) पुनर्मूल्यांकित आरक्षित निधि से निकाली गयी राशि और परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के कारण मूल्यहास के अतिरिक्त; लाभ और हानि खाते के लिए क्रेडिट की गयी, या (v) अग्रेषित हानि की राशि और अनावशोषित मूल्यहास, लेखा बही के अनुसार जो भी कम हो। (हानि में मूल्यहास सम्मिलित नहीं किया होगा); (vi) रूग्ण औद्योगिक कंपनी के लाभों की राशि जब तक उनकी कुल कीमत (जो कि ऋणात्मक हो) शून्य या सकारात्मक न हो; (vii) आस्थगित कर की राशि, यदि पी एवं एल खाते में क्रेडिट की जाती है।
<p>स्पष्टीकरण-3</p>	<p>निर्धारिती के पास नि.व. 2012-13 से पूर्व के लिए, या तो कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग II और III के प्रावधानों के अनुसार या इस प्रकार की कंपनी को शासित करने वाले प्रावधानों के अनुसार लाभ और हानि खाते तैयार करने का विकल्प है।</p>
<p>115 जेबी (4)</p>	<p>प्रत्येक कंपनी जिसमें यह धारा लागू है, एक लेखाकार द्वारा प्रमाणित प्रपत्र सं.-29 बी (आईटी विनियमावली के नियम 40 बी) में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा कि अंकित लाभ धारा 115 जेबी के प्रावधानों के, अनुसार परिकल्पित किया गया है।</p>
<p>115 जेबी (5ए)</p>	<p>धारा 115 जे बी के प्रावधान जीवन बीमा कारोबार में लगी हुई कंपनी के लिए लागू नहीं होंगे जैसा धारा 115 बी में विनिर्दिष्ट किया गया है।</p>
<p>115 जेबी (6)</p>	<p>मैट से संबंधित प्रावधान, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (नि.व. 2011-12 तक लागू) और एक यूनिट में, एक उद्यमी और एक डिवलेपर के द्वारा किसी कारोबार को बढ़ाने पर और सेवाएं प्रदान करने पर उपार्जित और उत्पन्न आय के लिए लागू नहीं किया जायेगा।</p>
<p>115 जेबी (7)⁹⁰</p>	<p>यदि निर्धारिती एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में स्थित एक ईकाई है और वह केवल परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में आय प्राप्त करती है, तो मैट 9 प्रतिशत की दर से उदग्राह्य होगा।</p>
<p>115 वीओ</p>	<p>टनाधारीत कर योजना की गतिविधियों से प्राप्त अंकित लाभ और हानि को मैट उद्देश्य के लिए अंकित लाभ से बाहर रखा जायेगा</p>

⁹⁰ नि.व 2017-18 से प्रभावी

अवधि के दौरान कर की दरें

धारा	अवधि	मानी गई आय	कर ⁹¹
115 जेए	नि.व. 1997-98 से 2000-01	अंकित लाभ का 30 प्रतिशत	35%
115 जेबी	नि.व. 2001-02 से 2006-07	समायोजित अंकित लाभ	7.5%
	नि.व. 2007-08 से 2009-10	समायोजित अंकित लाभ	10%
	नि.व. 2010-11	समायोजित अंकित लाभ	15%
	नि.व. 2011-12	समायोजित अंकित लाभ	18%
	नि.व. 2012-13 तक	समायोजित अंकित लाभ	18.5%

प्रासंगिक न्यायिक निर्णय:

मामले का विवरण	निर्णय का उद्धरण	सार
सीआईटी बनाम अपोलो टायर्स लि.	255 आईटीआर 273 (एससी) [2002]	115 जे में प्रदान की गई कुछ शर्तों के अतिरिक्त वित्तीय विवरणों में आने वाले अंकित लाभों को पुनर्लेखित करने का निर्धारण अधिकारी के पास अधिकार नहीं है। इसका अर्थ है कि इस अधिनियम में परिभाषित समायोजन संपूर्ण है और निर्धारण अधिकारी इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट समायोजन से बाहर कोई भी समायोजन नहीं कर सकता है।
इच्चे फोर्जिंग प्रा. लि. बनाम सीआईटी	116 टैक्समैन 322 (बोम्बे हाई कोर्ट)	बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर ग्रैच्युटी के लिए प्रावधान एक अभिनिश्चित देयता और यह मैट के प्रयोजन के लिए अंकित लाभ की संगणना के लिए एक स्वीकार्य कमी है।
भारत अर्थ मूवर्स बनाम सीआईटी	112 टैक्समैन 61 (एससी)	अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान एक अभिनिश्चित देयता है जो मैट के प्रयोजन के लिए अंकित लाभ की संगणना के लिए एक स्वीकार्य कमी है।
एसीआईटी बनाम बी. सिन्याह एवं कॉ. प्रोजेक्ट्स लि. (आईटीएटी हैदराबाद)	37 टैक्समैन 241/2013	नि.व. 2016-18 से पूर्व एओपी या बीओआई से लाभ का हिस्सा, जिस पर अधिनियम की धारा 86 के तहत कोई आय कर देय नहीं है, उसे अंकित लाभ की संगणना के लिए घटाया नहीं जायेगा।
सीआईटी बनाम वीकेलाल इन्वेस्टमेंट क. (प्रा.) लि.	249 आईटीआर 597 (बोम्बे हाई कोर्ट)	लाभ और हानि खाते के माध्यम से नहीं लिया गया, पूंजीगत लाभ जो मैट के प्रयोजन के लिए अंकित लाभों का अंश नहीं होता
विश्वनाथ फिन कैंप	(2007-टीआई ओएल-241-आईटीएटी-डीईएल),	यदि लेखे अनिवार्य लेखा मानक 13 के साथ पठित कंपनी अधिनियम की अनुसूची VI के भाग II और III के अनुसार तैयार नहीं किये गये हैं; तो निर्धारण अधिकारी लाभ और

⁹¹ मैट पर निर्धारित दरों पर अतिरिक्त एससी,ईसी और एसएचईसी का उदग्रयण

2017 की प्रतिवेदन सं. 30 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

	(दिल्ली आईटीएटी)	हानि खाते को पुनः बनाने के लिए और अधिनियम की धारा 115 जेबी के प्रयोजन के लिए अंकित लाभ की पुनः संगणना करने के लिए सक्षम होगा।
डायनेमिक ऑर्थोपेडिक्स (प्र.) लि. बनाम सीआईटी	190 टैक्समैन 288 (एससी)	सीआईटी बनाम मलयाली मनोरमा कॉ. लि. (2008) 300 आईटीआर 251 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था कि लाभ और हानि खाते में आयकर अधिनियम के अनुसार मूल्यहास का दावा करने के लिए अधिनियम के द्वारा लगाया गया कोई प्रतिबंध नहीं है (अन्य शब्दों में अंकित लाभ के लिए आयकर अधिनियम के अनुसार मूल्यहास की प्रतिपूर्ति) तथापि, सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में अपने उपरोक्त निर्णय से सहमत नहीं है और मामले को उच्च बेंच को भेज दिया।
रोल्टा इंडिया लि. (2011)	330 आईटीआर 470 (एससी)	चूक के मामले में निर्धारित धारा 115 जेए के तहत अंकित लाभ पर संगणित कर पर धारा 234बी के तहत ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।
एसआरआईआई इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाम अपर सीआईटी (अपील सं.)	371. 2012 (दिल्ली उच्च न्यायालय)	डिबेंचर रिडम्प्शन रिजर्व (डीआरआर) के लिए प्रॉवधान एक स्वीकार्य कटौती नहीं है क्योंकि यह लाभों से बना हुआ प्रॉवधान है और इसलिए यह एक रिजर्व है और यह अवनिर्धारित देयता के लिए प्रावधान नहीं है।
रेमन्ड लि. बनाम सीआईटी	21 टैक्समैन कॉम 60 (बोम्बे एचसी) (2012)	डिबेंचर रिडम्प्शन रिजर्व (डीआरआर) के लिए प्रॉवधान अंकित लाभ की संगणना के लिए एक स्वीकार्य कटौती है।

महत्वपूर्ण सीबीडीटी परिपत्र और विनिर्देश

परिपत्र/विनिर्देश सं.	परिपत्र/विनिर्देश की विषय वस्तु
1987 का 496 दिनांक 22-09-1987	अधिनियम के पूर्व खंड 115जे के सन्दर्भ में सीबीडीटी ने कहा कि पिछले निर्धारण वर्ष तक के समेकित अग्रेषित हानियां तथा अनावशेषित मूल्यहास, पर अंकित लाभ की संगणना के समंजन के लिए संचयी आधार पर विचार किया जाएगा।
2001 का 13 दिनांक 9-11-2001	सीबीडीटी ने स्पष्ट किया कि कंपनियों मैट के तहत अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है और इसलिये धारा 234बी और 234सी के तहत ब्याज का प्रॉवधान भी लागू है।
2009 का 5 दिनांक 2-07-2009	जहां एसआईसीए अधिनियम, 1985 के आधार पर बीआईएफआर कंपनियों को राहत/छूट दी जानी थी सीबीडीटी द्वारा उनके लिए प्रत्येक और मामले में प्रक्रिया निर्धारित की गयी थी।
2012 का 3 दिनांक 12-06-2012	सीबीडीटी ने अनुपूरक ज्ञापन में वित्त अधिनियम, 2012 में प्रस्तावित आधिकारिक संशोधन के खंड 48 के अनुसार बताया कि कंपनी अधिनियम की अनुसूची VI के अनुसार बही खाते तैयार नहीं करने वाली कंपनियों के संबंध में मैट निर्धारण वर्ष 2013-14 से पहले भी लागू था।
18/2015	विदेशी कंपनियों के संबंध में लंबित निर्धारणों को पूरा करते समय, दिनांक

2017 की प्रतिवेदन सं. 30 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

<p>[एफ.सं.153/12/2015-टीपीएल], दिनांक 23-12-2015</p>	<p>24.09.2015 की प्रेस विज्ञप्ति में दिये गये सरकार के निर्णय पर यथोचित विचार किया जाना चाहिए। धारा 115 जे बी के प्रावधानों 01 अप्रैल 2015 से पहले विदेशी कंपनियों (एफआईआई/एफपीआई सहित) पर लागू नहीं किये जायेंगे।</p>
<p>2015 का 25 दिनांक 31-12-2015</p>	<p>सीबीडीटी ने स्पष्ट किया कि जहां सामान्य प्रावधानों के तहत परिवर्धन किए गये हैं और मैट के अंतर्गत कर देयताएं हैं तो धारा 271 (1) (सी) के तहत सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत किए गए परिवर्धन पर दंड नहीं लगाया जाएगा।</p>

परिशिष्ट - 2
(पैरा सं 1.5 देखें)
नमूना आकार

राज्य का नाम	सीआईटी प्रभार की संख्या	निर्धारण इकाईयों की कुल संख्या	चयनित इकाई
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	12	248	64
बिहार	4	50	22
छत्तीसगढ़	4	56	20
दिल्ली	12	179	89
गुजरात	12	236	48
हरियाणा	5	78	30
हिमाचल प्रदेश	1	21	8
जम्मू और कश्मीर	1	18	6
झारखंड	5	76	28
कर्नाटक और गोवा	13	133	64
केरल	6	98	37
मध्य प्रदेश	5	77	29
महाराष्ट्र	12	179	89
पूर्वोत्तर क्षेत्र	5	76	30
ओडिशा	4	58	23
पंजाब	5	79	31
राजस्थान	5	82	34
तमिलनाडू	13	120	56
उत्तर प्रदेश	12	186	72
उत्तराखंड	2	42	14
पश्चिम बंगाल	12	168	83
कुल	150	2260	877

परिशिष्ट 3
(पैरा सं. 1.7 देखें)

उपलब्ध नहीं कराए गए रिकॉर्ड

राज्य	अपेक्षित मामलों की संख्या	उपलब्ध कराए गए मामलों की संख्या	उपलब्ध नहीं कराए गए मामलों की संख्या	उपलब्ध नहीं कराए गए मामलों का प्रतिशत
गुजरात	1196	862	334	27.93
राजस्थान	794	755	39	4.91
कर्नाटक और गोवा	1207	726	481	39.85
तमिलनाडू	1178	1176	2	0.00
केरल	1050	1039	11	1.05
दिल्ली	1192	453	739	62.00
छत्तीसगढ़	298	298	0	0.00
मध्य प्रदेश	330	328	2	0.60
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	863	722	141	16.34
ओडिशा	308	247	61	19.81
पश्चिम बंगाल	550	550	0	0.00
उत्तर पूर्व क्षेत्र	170	170	0	0.00
बिहार	156	128	28	17.95
झारखंड	105	105	0	0.00
उत्तराखंड	169	169	0	0.00
उत्तर प्रदेश	394	394	0	0.00
महाराष्ट्र	4336	2032	2304	53.14
हिमाचल प्रदेश	601	359	242	40.00
जम्मू और कश्मीर	206	206	0	0.00
हरियाणा	181	181	0	0.00
पंजाब	393	393	0	0.00
कुल	15677	11293	4384	27.96

परिशिष्ट 4

(सं. पैरा: 2.4.1 देखें)

सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत, किंतु मेट के अंतर्गत नहीं,
कराधान हेतु प्रस्तुत आय

क्रम सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारिती का नाम /पैन/ नि.व	कर प्रभाव (लाख रुपये में)
1	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	प्र. सीआईटी II, हैदराबाद	ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ एपी लिमिटेड / AABCT0088P / नि.व 2010-11	1098.51
2	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	प्र. सीआईटी II, हैदराबाद	ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ एपी लिमिटेड / AABCT0088P /नि.व 2011-12	1040.12
3	असम	सीआईटी 2, गुवाहाटी	श्री संयीजी इस्पात (पी) लिमिटेड / AAECs1798N / नि.व 2011-12	43.80
4	असम	सीआईटी शिलांग	हिल्स सीमेंट कं लिमिटेड/ AABCH4787P / नि.व 2012-13	450.14
5	असम	सीआईटी 2, गुवाहाटी	असम पावर जनरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड / AAFC4891F /नि.व 2013-14	526.36
6	गुजरात	सीआईटी गांधीनगर	गुजरात राज्य भूमि विकास कार्पोरेशन लिमिटेड / AACCG2870P /नि.व 2012-13	48.03
7	हरियाणा	सीआईटी गुड़गांव	वाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड / AAACV5195J/नि.व 2011-12 और 2013-14	60.74
8	कर्नाटक	प्र. सीआईटी (सी) बेंगलोर	राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड/ AAACR8642N / नि.व 2013-14	1189.66
9	कर्नाटक	प्र. सीआईटी (सी) बेंगलोर	राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड/ AAACR8642N / नि.व 2014-15	626.13
10	कर्नाटक	प्र. सीआईटी मंगलोर	सीपीसी लॉजिस्टिक्स लिमिटेड [पूर्व में सीपीसी (इंडिया) लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) / AAACR6579J /नि.व 2006-07	80.91
11	मध्य प्रदेश	प्र. सीआईटी I, इंदौर	निंबस स्टॉक इन्वेस्ट लिमिटेड/ AACDR4275J / नि.व 2011-12	41.52
12	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी एलटीयू, मुंबई	न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड / AAACN3154F /नि.व 2010-11 से 2013-14	1081.91
13	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 8, मुंबई	रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लिमिटेड / AACBR8519H /नि.व 2013-14	87.63
14	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 2, मुंबई	टाटा रियल्टी एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड / AACCT6242L /नि.व 2012-13	198.18

2017 की प्रतिवेदन सं. 30 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

15	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 2, मुंबई	टाटा रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड / AACCT6242L /नि.व 2013-14	254.74
16	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी 1 कोलकाता	पश्चिम बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड / AAACW6953H/ नि.व 2012-13	429.83
17	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी 1 कोलकाता	डब्ल्यू बी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड / AAACW6952G /नि.व 2010-11	126.81
18	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी 2 कोलकाता	लॉरेल सिक्योरिटीज (प्रा.) लिमिटेड / AAACL4545J / नि.व 2011-12	24.83
	कुल			7409.85

परिशिष्ट 5

(पैरा सं. : 2.4.2 देखें)

मैट के अंतर्गत कराधान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए असाधारण/अपवादात्मक मदें

क्रम. सं.	राज्य	प्र. सीआईटी प्रभार	निर्धारिती का नाम /पैन/ नि.व	कर प्रभाव (लाख रुपये में)
1	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	प्र. सीआईटी III, हैदराबाद	साई रायलसीमा पेपर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड / AADCS2203F / नि.व 2010-11	419.93
2	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	प्र. सीआईटी III, हैदराबाद	स्वर्ण टोलवे प्राइवेट लिमिटेड / AAFCS5282E / नि.व 2013-14	114.96
3	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	प्र. सीआईटी V, हैदराबाद	धरती ड्रेजिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड / AABCD6612M/नि.व 2007-08	129.47
4	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	प्र. सीआईटी (C), हैदराबाद	जीवीके गौतमी पावर लिमिटेड / AAACG7612D / नि.व 2011-12	37.04
5	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	प्र. सीआईटी (C), हैदराबाद	मुम्बई वेस्ट प्रबंधन लिमिटेड / AADCM0026A / नि.व 2007-08	70.61
6	छत्तीसगढ़	प्र. सीआईटी 1, रायपुर	प्राइम इस्पात लिमिटेड/AADCP3179M/नि.व 2012-13	43.82
7	गुजरात	प्र. सीआईटी 3, बड़ौदा	नर्मदा क्लीन टेक लिमिटेड/AABCB4070D/नि.व 2013-14	48.24
8	गुजरात	प्र. सीआईटी 3, बड़ौदरा	नर्मदा क्लीन टेक लिमिटेड / AABCB4070D /नि.व 2013-14	326.48
9	गुजरात	प्र. सीआईटी गांधीनगर	गुजरात राज्य जल संसाधन कार्पोरेशन/ AAACG5588J/नि.व 2013-14	37.39
10	केरल	प्र. सीआईटी तिरुवनंतपुरम	मुरालय प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड /AAFCM2710H/नि.व 2013-14	117.27
11	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 10, मुम्बई	पारले एगो प्राइवेट लिमिटेड/AABCP8416G/नि.व 2010-11	56.69

12	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 7, मुम्बई	गैंड फ़ाउन्री लिमिटेड/ AAACG2372E/नि.व 2013-14	188.38
13	तमिलनाडू	प्र. सीआईटी 1, कोयंबटूर	सीमा टेक्सटाइल प्रोसेसिंग सेंटर लिमिटेड / AAJCS5062N /नि.व 2013-14	322.18
14	तमिलनाडू	प्र. सीआईटी 2, चैन्नई	आईटी एक्सप्रेसवे लिमिटेड/ AABC12550H/ नि.व 2012-13	124.24
15	तमिलनाडू	प्र. सीआईटी 1, कोयंबटूर	तुलिया अलॉय कास्टिंग लिमिटेड /AAACT7841B/नि.व 2012-13	86.73
16	उत्तर प्रदेश	प्र. सीआईटी I, लखनऊ	जय प्रकाश एसोसिएट्स/ AABCB1562A /नि.व 2013-14	189.47
		कुल		2312.9

परिशिष्ट 6

(पैरा सं. : 2.4.3 देखें)

समामेलित कंपनियों के दीर्घावधि निवेश की बिक्री पर हुए लाभ/हानि का समाधान

क्रम. सं.	राज्य	प्र. सीआईटी प्रभार	निर्धारिती का नाम /पैन/ नि.व	कर प्रभाव (लाख रुपये में)
1	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	प्र. सीआईटी II, हैदराबाद	गति लिमिटेड/ AABCG3709Q/नि.व 2013-14	0
2	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 2, मुम्बई	केबल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड /AAACC2936J/नि.व 2009-10	1015.82
3	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 3, मुम्बई	दलजीता वित्तीय और तकनीकी सेवा प्रा.लि. /AABCD1297L/नि.व 2013-14	520.56
		कुल		1536.38

परिशिष्ट 7

(पैरा सं. : 2.5 देखें)

“आरक्षित” और “अवनिर्धारित देयता के लिए प्रावधान” दोनों घटकों वाली मदों का समाधान

क्रम. सं.	राज्य	प्र. सीआईटी प्रभार	निर्धारिती का नाम /पैन / नि.व	कर प्रभाव (लाख रुपये में)
1	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 2, मुम्बई	इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड/ AAAC3957G /नि.व 2011-12	2258.13
2	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी (C) 3 मुम्बई	हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड / AAACH5443F/ नि.व 2008-09	7939.25
3	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी (C) 3 मुम्बई	हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड / AAACH5443F / नि.व 2009-10	2898.75
4	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी (C) 3 मुम्बई	हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड /AAACH5443F / नि.व 2010-11 & 2012-13	17725.41

2017 की प्रतिवेदन सं. 30 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

5	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी (C) 3 मुम्बई	आवास डेवलपर्स एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड / AADCA0702D / नि.व 2010-11	489.46
6	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी 2 कोलकाता	केशोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड/ AABCK2417P/नि.व 2010-11	1720.74
7	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी 2 कोलकाता	एलएमजे लोजिस्टिक्स लिमिटेड /AABCP8494K/नि.व 2012-13	82.23
		कुल		33113.97

परिशिष्ट 8

(पैरा सं. : 2.6 देखें)

अंकित लाभ के उद्देश्य हेतु मूल्यहास की विधि में परिवर्तन के प्रभाव का भिन्नता से समाधान

क्रम सं.	राज्य	प्र. सीआईटी प्रभार	निर्धारिती का नाम /पैन/ नि.व	कर प्रभाव (लाख रुपये में)
1	कर्नाटक	सीआईटी एलटीयू, बेंगलोर	माइंडट्री वायरलेस (प्रा.) लिमिटेड (इससे पहले क्योसेरा वायरलेस (आई) (पी) लिमिटेड/ AACCK1293L / नि.व 2010-11	17.61
2	कर्नाटक	प्र. सीआईटी 2, बेंगलोर	सिट्रिक्स आर एंड डी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड / AABCN3639C / नि.व 2011-12	0.00
3	कर्नाटक	प्र. सीआईटी 2, बेंगलोर	कॉग्निजेंट ग्लोबल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड /AAACD7204L/ नि.व 2008-09	56.08
4	कर्नाटक	प्र. सीआईटी 2, बेंगलोर	कॉग्निजेंट ग्लोबल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड /AAACD7204L/ नि.व 2009-10	31.26
5	कर्नाटक	प्र. सीआईटी (सी), बेंगलोर	मुख्तार मिन्नरलस (प्रा.) लिमिटेड/ AAECM0510E / नि.व 2012-13	87.18
6	केरल	प्र. सीआईटी 1, कोची	पेट्रोनेट सीसीके लिमिटेड/ AABCP9197R / नि.व 2013-14	0.00
7	मध्य प्रदेश	प्र. सीआईटी 1, इंदौर	एवीआई एग्री बिज़नेस प्राइवेट लिमिटेड/ AAHCA6168M/ नि.व 2011-12	0.00
8	मध्य प्रदेश	प्र. सीआईटी 1, इंदौर	एच डी. वायर्स प्राइवेट लिमिटेड / AAACH4288C / नि.व 2011-12	0.00
9	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 1, मुम्बई	जीनिथ इंडस्ट्रियल रबर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड / AAACA3874D / नि.व 2013-14	110.75
12	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 1, मुम्बई	वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड/ AAAC4179N/ नि.व 2010-11	0.00
11	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 3, मुम्बई	सौराष्ट्र कंटेनर्स प्राइवेट लिमिटेड/ AAJCS0161N / नि.व 2012-13	0.00

10	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 8, मुम्बई	रिधम सिंथेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड/ AAACR2823H / नि.व 2013-14	37.33
13	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 14, मुम्बई	फेयर एक्सपोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड/ AAACF3799A / नि.व 2011-12	175.71
14	तमिल नाडू	प्र. सीआईटी-1, कोयंबटूर	द लक्ष्मी मिल्स कं. लिमिटेड/ AAACF7564R / नि.व 2013-14	0.00
		कुल		515.92

परिशिष्ट 9

(पैरा सं.: 2.7.1 देखें)

लाभ और हानि लेखे के अनुसार अग्रेषित लाभ और अनावशोषित

मूल्यहास के अनुपात में लाभ प्रभाजन

क्रम सं.	राज्य	प्र. सीआईटी प्रभार	निर्धारिती का नाम /पैन / नि.व	कर प्रभाव (लाख रुपये में)
1	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 8, मुम्बई	वोडाफोन इंडिया लिमिटेड/AAACH5332B / AY 2004-05 से 2005-06	766.26
2	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 1, पुणे	हनीवेल टर्बो टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड / AABCH5035J / नि.व 2012-13	48.82
		कुल		815.08

परिशिष्ट 10

(पैरा सं. : 2.7.2 देखें)

आज तक उनकी संचयी स्थिति के बजाय कटौती के लिए मानी गई पूर्व वर्ष की अग्रेषित

हानि/अनावशोषित मूल्यहास

क्रम सं.	राज्य	प्र. सीआईटी प्रभार	निर्धारिती का नाम /पैन / नि.व	कर प्रभाव (लाख रुपये में)
1	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 2, मुम्बई	नटराज वुड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड/ AAACN6876C / नि.व 2010-11	8.98
2	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 10, मुम्बई	जेसनस इंडस्ट्रीज लिमिटेड/ AAACJ7659P / नि.व 2010-11	37.06
3	तमिलनाडू	प्र. सीआईटी 1, चैन्नई	एकेसीटी चिदंबरम कॉटन मिल्स प्रा. लिमिटेड / AAACA2962B /नि.व 2013-14	20.43
4	तमिलनाडू	प्र. सीआईटी 2, चैन्नई	ईआईएच एसोसिएटेड होटल्स लिमिटेड / AAACE2125M / नि.व 2012-13	365.87
5	तमिलनाडू	प्र. सीआईटी 6, चैन्नई	श्री इंदिरा कॉटन मिल्स प्रा। लिमिटेड/ AAACI0899J / नि.व 2013-14	10.57
		कुल		442.91

परिशिष्ट 11

(पैरा सं. : 2.7.3 देखें)

बहियों के अनुसार व्यवसाय हानि/अनावशोषित मूल्यहास की समान राशि वर्तमान वर्ष सहित आगामी वर्षों में दावा की गई थी।

क्रम.सं.	राज्य	प्र. सीआईटी प्रभार	निर्धारिती का नाम /पैन / नि.व	कर प्रभाव (लाख रुपये में)
1	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 2, मुम्बई	डीसीबी बैंक लिमिटेड/ AAACD1461F / नि.व 2013-14	817.30
2	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 2, मुम्बई	डीसीबी बैंक लिमिटेड / AAACD1461F / नि.व 2012-13	738.84
		कुल		1556.14

परिशिष्ट 12

(पैरा सं. : 2.8.1 देखें)

अंकित लाभ की संगणना में वास्तव में बड़े खाते में डाले गए अशोध्य ऋण कम करने के प्रावधानों का अभाव

क्रम. सं.	राज्य	प्र. सीआईटी प्रभार	पैन / नि.व/निर्धारिती का नाम
1	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	प्र. सीआईटी II, हैदराबाद	गल्फ ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड/ AABCG8433B/ नि.व 2011-12
2	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	प्र. सीआईटी IV, हैदराबाद	न्यूलैंड लेबोरेटरीज लिमिटेड/AAACN9531E/नि.व 2013-14
3	दिल्ली	सीआईटी 7, दिल्ली	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स/AAACO0191M/नि.व 2011-12
4	दिल्ली	सीआईटी 7, दिल्ली	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स/AAACO0191M/नि.व 2013-14
5	दिल्ली	सीआईटी 7, दिल्ली	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स/AAACO0191M/नि.व 2014-15
6	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 2, मुम्बई	डीसीबी बैंक लिमिटेड / AAACD1461F / नि.व 2012-13
7	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 2, मुम्बई	डीसीबी बैंक लिमिटेड / AAACD1461F / नि.व 2013-14
8	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 2, मुम्बई	बैंक ऑफ इंडिया / AAACB0472C / नि.व 2007-08
9	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 2, मुम्बई	बैंक ऑफ इंडिया / AAACB0472C / नि.व 2014-15

परिशिष्ट 13

(पैरा सं. : 2.8.2 देखें)

सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत कराधान हेतु फर्जी खरीद/अघोषित आय/ अलेखांकित आय के कारण किए गए सर्वधन जिन पर अंकित लाभ की संगणना हेतु विचार नहीं किया गया

क्रम सं.	राज्य	प्र. सीआईटी प्रभार	पैन / नि.व/निर्धारिती का नाम	कर प्रभाव (लाख रुपये में)
1	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	प्र. सीआईटी III, हैदराबाद	सोमा एंटरप्राइजेज लिमिटेड/ AACCS8242F/ नि.व 2012-13	1083.23
2	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	प्र. सीआईटी III, हैदराबाद	सोमा एंटरप्राइजेज लिमिटेड/ AACCS8242F/ नि.व 2011-12	921.86
3	बिहार	प्र. सीआईटी 1, पटना	गैल्फा लैबोरेटरीज लिमिटेड / AABCG2175Q / नि.व 2011-12	4.62
4	बिहार	प्र. सीआईटी 1, पटना	मगध इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड/ AABCM8648L/ नि.व 2012-13	39.27
5	बिहार	प्र. सीआईटी 1, पटना	मैक्स एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड /AADCM9054A / नि.व 2005-06 से 2007-08 एवं 2009-10	3.04
6	गुजरात	सीआईटी गांधीनगर	जीएसपीसी गैस कंपनी लिमिटेड/ AABCG1813F / नि.व 2010-11	426.99
7	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी एलटीयू, मुम्बई	ल्यूपिन लिमिटेड/ AAACL1069K / नि.व 2009-10 से 2012-13	1366.01
8	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी एलटीयू, मुम्बई	भारती शिपयार्ड लिमिटेड / AAACB1688E / नि.व 2010-11	241.05
9	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 1, मुम्बई	आरआरसी इंटरनेशनल फ्रेट सर्विसेज लिमिटेड /AACCR3533J/ नि.व 2010-11	10.12
10	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 1, मुम्बई	सर्को बीपीओ प्राइवेट लिमिटेड/ AAACI7387P/नि.व 2009-10	0.00
11	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 9, मुम्बई	इफियोन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड / AAACD1668G /नि.व 2010-11 से 2011-12	14.00
12	तमिलनाडू	प्र. सीआईटी 1, कोयंबटूर	श्री थंगम स्पिनर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड / AANCS7116H / नि.व 2012-13	23.54
		कुल		4133.73

परिशिष्ट 14

(पैरा सं. : 2.8.3 देखें)

मैट के अतर्गत लाभ और हानि लेखाओं पर प्रत्यक्ष प्रभाव वाली मदों की अंतरण दर के
समायोजन पर विचार न करना

क्रम सं.	राज्य	प्र. सीआईटी प्रभार	पैन / नि.व/निर्धारिती का नाम	कर प्रभाव (लाख रुपये में)
1	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	प्र. सीआईटी 1, हैदराबाद	बार्ट्रोनिक्स इंडिया पी. लि. /AAACB8231F/नि.व 2011-12	1051.71
2	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	प्र. सीआईटी 1, हैदराबाद	एयर लिक्विड इंजीनियरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड / AABCA7383G/ नि.व 2011-12	212.74
3	कर्नाटक	प्र. सीआईटी 1, बैंगलोर	एल्टिसोर्स बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड / AAACO9467A / नि.व 2010-11	189.03
4	कर्नाटक	प्र. सीआईटी 1, बैंगलोर	एक्सा ग्रुप सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड / AAFCA2750H/ नि.व 2011-12	35.46
5	कर्नाटक	प्र. सीआईटी 1, बैंगलोर	एएसएम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड/AABCA4362P/नि.व 2011-12	34.69
6	कर्नाटक	प्र. सीआईटी 2, बैंगलोर	कॉग्निजेंट ग्लोबल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड / AAACD7204L / नि.व 2008-09	135.52
7	कर्नाटक	प्र. सीआईटी 2, बैंगलोर	कॉग्निजेंट ग्लोबल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड / AAACD7204L / नि.व 2009-10	126.74
8	कर्नाटक	प्र. सीआईटी 3, बैंगलोर	फेयर इसाक इंडिया सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड /AAACF7670G/ नि.व 2011-12	152.51
9	कर्नाटक	प्र. सीआईटी 4, बैंगलोर	मोलेक्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड/ AACCM6091N / नि.व 2011-12	123.85
10	कर्नाटक	प्र. सीआईटी 4, बैंगलोर	एमफसिस लिमिटेड / AAACB6820C/ नि.व 2011-12	2058.44
11	कर्नाटक	प्र. सीआईटी 4, बैंगलोर	मूग इंडिया टेक्नोलॉजी सेंटर प्राइवेट लिमिटेड / AAGCM3566Q / नि.व 2011-12	68.36
12	कर्नाटक	प्र. सीआईटी 6, बैंगलोर	स्टीयर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड / AABCS8840E /नि.व 2010-11	8.70
13	केरल	प्र. सीआईटी तिरुवनंतपुरम	सनटेक बिजनेस सॉल्यूशंस / AAICS8020K/ नि.व 2008-09	9.81
14	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी एलटीयू, मुम्बई	ल्यूपिन लिमिटेड /AAACL1069K/ नि.व 2009-10 से 2012-13	196.71
15	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी एलटीयू, मुम्बई	टाटा ऑटोकॉम्प सिस्टम लिमिटेड/ AAAC11848E/ नि.व 2010-11	55.83
16	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 1, पुणे	आईगेट ग्लोबल सॉल्यूशंस लिमिटेड / AABCM4573E/ नि.व 2010-11	89.77
17	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 1, पुणे	गुपो एंटोलिन पुणे प्राइवेट लिमिटेड/ AAACA6730G / नि.व 2010-11 to 2011-12	165.19

2017 की प्रतिवेदन सं. 30 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

18	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 10, मुम्बई	जे पी मॉर्गन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड / AABCD0503B / नि.व 2010-11	342.75
19	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 14, मुम्बई	गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड / AABCG3365J / नि.व 2010-11 एवं 2011-12	816.15
20	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 14, मुम्बई	एक्सचर सर्विसेज प्रा. लिमिटेड /AACCA8997K/नि.व 2009-10	1430.79
21	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी 2, कोलकाता	हिंदुस्तान नैशनल ग्लास एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड / AAACH7557G / नि.व 2012-13	120.97
22	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी 2, कोलकाता	इमामी लिमिटेड / AAACH7412G / नि.व 2011-12	52.49
23	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी 2, कोलकाता	इमामी लिमिटेड/AAACH7412G/ नि.व 2009-10	15.72
24	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी 3, कोलकाता	अपोलो ग्लेनडगल्स हॉस्पिटल्स लिमिटेड/ AAECA5407E / नि.व 2013-14	154.97
25	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी 4, कोलकाता	एमसीसी पीटीए इंडिया कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड / AAACM9169K / नि.व 2011-12	50.28
26	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी 4, कोलकाता	एवेरेडी इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड/ AAACH7412G / नि.व 2011-12	29.74
27	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी 4, कोलकाता	गुजरात एनआरई कोक प्राइवेट लिमिटेड / AABCG6225H / नि.व 2011-12	661.49
28	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी (C) 1, कोलकाता	हिमाद्री केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड/ AAACH7475G / नि.व 2012-13	81.61
29	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी (C) 1, कोलकाता	पहाड़पुर क्लिंग टॉवर लिमिटेड/AABPC8017C/ नि.व 2011-12	46.67
30	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी (C) 1, कोलकाता	हिमाद्री केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड / AAACH7475G / नि.व 2011-12	34.29
31	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी (C) 2, कोलकाता	हिमतसिंगका सीड लिमिटेड / AAACH3507N / नि.व 2012-13	752.07
		कुल		9305.05

परिशिष्ट 15

(पैरा सं. : 2.8.4 देखें)

मैट के अंतर्गत अस्वीकरण हेतु विचार नहीं की गई आय की रिटर्न फाईल करने की नियत तिथि में भुगतान नहीं की गई सांविधिक देयताएँ

क्रम सं	राज्य	प्र. सीआईटी प्रभार	पैन / नि.व /निर्धारिती का नाम	कर प्रभाव (लाख रुपये में)
1	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	प्र. सीआईटी राजमुंदरी	एपी पेपर मिल्स लिमिटेड/ AAAC8849D/ नि.व 2011-12	8.71
2	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	प्र. सीआईटी II, विशाखापत्तनम	श्रीसरवार्य शुगर्स लिमिटेड/ AAEC6554N / नि.व 2012-13	7.74
3	असम	सीआईटी शिलांग	सीमेंट मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड/ AACCC1465A/ नि.व 2013-14	169.44
4	गुजरात	सीआईटी 1, अहमदाबाद	कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड और धोराजी इंजीनियरिंग कं. प्राइवेट लिमिटेड / AAACC6253G एवं AAACD5484A / नि.व 2010-11, 2011-12 एवं 2013-14	328.42
5	गुजरात	सीआईटी 1, बड़ौदा	ज्योति लिमिटेड और जिंदल एल्युमिनियम / AAACJ4909N एवं AABCH6867G / नि.व 2012-13	154.25
6	गुजरात	सीआईटी 1, राजकोट	ज्योति पावर कार्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड /AABCJ6662R/ नि.व 2013-14	15.32
7	गुजरात	सीआईटी गांधीनगर	गांधीनगर एंटरप्राइज़ / AAACG5611J / नि.व 2013-14	2.35
8	हरियाणा	सीआईटी गुड़गांव	ई-बिजनेसवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड/ AABCE6740M / नि.व 2011-12	16.40
9	हरियाणा	सीआईटी करनाल	पिकाडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड / AABCP7343R / नि.व 2010-11	2.46
10	कर्नाटक	प्र. सीआईटी 1, बेंगलोर	बेंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड / AABCB8973D/ नि.व 2012-13	535.79
11	कर्नाटक	प्र. सीआईटी 7, बेंगलोर	विज़मार्इस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड / AABCW0126B / नि.व 2013-14	5.57
12	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी एलटीयू, मुम्बई	रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, AAACR5055K	3562.23
13	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी एलटीयू, मुम्बई	न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, AAACN3154F,	351.55
14	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी एलटीयू, मुम्बई	ल्यूपिन लिमिटेड AACL1069K	228.54

2017 की प्रतिवेदन सं. 30 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

15	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 2, मुम्बई	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड/ AAACB2902M /नि.व 2012-13	820.23
16	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 3, मुम्बई	एम विश्वेश्वरैया औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास केंद्र/ AABCM0996K/ नि.व 2013-14	106.11
17	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 10, मुम्बई	केएलटी ऑटोमोटिव ट्यूबलर प्रोडक्ट्स लिमिटेड / AAACG1395D / नि.व 2012-13	74.91
18	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 10, मुम्बई	केएलटी ऑटोमोटिव ट्यूबलर प्रोडक्ट्स लिमिटेड / AAACG1395D / नि.व 2013-14	188.73
19	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 14, मुम्बई	गोदरेज एंड बॉयस मैनुफैक्चरिंग सह लिमिटेड / AAACG1395D / नि.व 2012-13	318.93
20	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 1, पुणे	गुपो एंटोलिन पुणे प्राइवेट लिमिटेड / AAACA6730G / नि.व 2010-11 से 2011-12	53.29
21	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 1, पुणे	बारामती एगो लिमिटेड/ AAACB7067M / नि.व 2011-12 to 2012-13	73.42
22	पंजाब	सीआईटी 1, चंडीगढ़	ए बी शुगर्स लिमिटेड/ AABCG3045M /नि.व 2012-13	65.71
23	पंजाब	सीआईटी 1, चंडीगढ़	राना शुगर्स लिमिटेड / AABCR6744C / नि.व 2010-11	235.79
24	पंजाब	सीआईटी (सी) लुधियाना	ओएसिस डिस्टीलियरीज लिमिटेड / AAACO3509R/ नि.व 2012-13	1.75
25	राजस्थान	सीआईटी 1, जयपुर	फतेहपुरिया ट्रांसफॉर्मर्स एंड स्विचगियर्स प्राइवेट लिमिटेड/ AAACF3456E / नि.व 2011-12	1.10
26	उत्तर प्रदेश	प्र. सीआईटी बरेली	एल एच. शुगर फैक्टरी प्राइवेट लिमिटेड / AAACL4597L / नि.व 2013-14	231.18
27	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी 3, कोलकाता	अपोलो ग्लेनईगल्स हॉस्पिटल लिमिटेड/ AAECA5407E / नि.व 2013-14	29.41
		कुल		7589.33

परिशिष्ट 16

(पैरा सं. : 2.8.5 देखें)

मैट के अतंगत अस्वीकरण हेतु विचार नहीं किए गए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) पर व्यय

क्रम सं.	राज्य	प्र. सीआईटी प्रभार	पैन / नि.व/निर्धारिती का नाम	कर प्रभाव (लाख रुपये में)
1	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	प्र. सीआईटी 1, हैदराबाद	आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रीयल इन्फ्रास्ट्रक्चर कारपोरेशन लिमिटेड / AABCA9029K/ नि.व 2013-14	65.06
2	छत्तीसगढ़	प्र. सीआईटी, बिलासपुर	जिंदल पावर लिमिटेड /AABCJ4683J / नि.व 2012-13	116.58

2017 की प्रतिवेदन सं. 30 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

3	छत्तीसगढ़	प्र सीआईटी, बिलासपुर	जिंदल पावर लिमिटेड / AABCJ4683J/ नि.व 2011-12	129.60
4	छत्तीसगढ़	प्र. सीआईटी, बिलासपुर	जिंदल पावर लिमिटेड / AABCJ4683J / नि.व 2010-11	91.73
5	छत्तीसगढ़	प्र. सीआईटी 2, रायपुर	सी.जी. स्टेट पावर ट्रांसमिशन कं. लिमिटेड / AADCCS5773E/ नि.व 2013-14	55.63
6	छत्तीसगढ़	प्र. सीआईटी 1, रायपुर	हाई टेक पावर एंज स्टील लिमिटेड / AACCM8028R / नि.व 2013-14	1.77
7	दिल्ली	सीआईटी एलटीयू, दिल्ली	भारतीय रेलवे वित्तीय निगम लिमिटेड / AAACI0681C/ नि.व 2012-13	81.95
8	हिमाचल प्रदेश	सीआईटी शिमला	सतलुजल विद्युत निगम लि. /AAICS1307F/नि.व. 2013-14	320.73
9	कर्नाटक	प्र. सीआईटी गोवा	गोवा शिपयार्ड लि. /AAACG7569F/नि.व. 2013-14	29.41
10	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी एलटीयू, मुम्बई	न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. /AAACN3154F/नि.व. 2012-13	434.53
11	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 1, मुम्बई	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि. /AAACH1118B/नि.व. 2013-14	221.63
12	राजस्थान	सीआईटी 2, जयपुर	कोम्प्यूकोम सॉफ्टवेयर लि. /AAACG5818P/नि.व. 2013-14	0.00
		कुल		1548.62

परिशिष्ट 17

(पैरा सं. 2.8.6 देखें)

समामेलन के बाद समामेलित कम्पनी द्वारा कारोबार को बंद करने पर समामेलित कम्पनी के
मैट क्रेडिट की अस्वीकृति की आवश्यकता

क्र. सं.	राज्य	प्र. सीआईटी प्रभार	निर्धारिती का नाम/पैन /नि.व.
1	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 10, मुम्बई	पार्ले एग्री प्रा. लि. /AABCP8416G/ नि.व. 2010-11

परिशिष्ट 18

(पैरा सं. 2.9 देखें)

सारांश मामलों में मेट क्रेडिट के समंजन में आयकर विभाग द्वारा एक समान आधार नहीं
अपनाया गया

(₹ लाख में)

क्र. सं.	राज्य	प्र. सीआईटी प्रभार	निर्धारिती का नाम/ पैन/नि.व.	सामान्य और विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत कर का अन्तर (एससी एवं उपकर सहित)	सामान्य और विशेष प्रावधानों के तहत कर का अन्तर (एससी एवं उपकर को छोड़कर)	अनुमत मेट क्रेडिट का समंजन	क्या समंजन के लिए 'कर' पर एससी और उपकर सहित या छोड़कर विचार किया गया था
1	आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना	प्र. सीआईटी II, हैदराबाद	निशिता पेकेजिस प्रा. लि. /AADCN0003G/नि.व. 2013-14	0.26	0.25	0.25	छोड़कर
2	आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना	प्र. सीआईटी III, हैदराबाद	श्री मालानी केमिकल्स प्रा. लि. /AAGCS9411A /नि.व. 2012-13	0.60	0.58	0.58	छोड़कर
3	आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना	प्र. सीआईटी III, हैदराबाद	श्रवन फाइनेस एंड एस्टेट्स प्रा. लि. /AAECS5481H/नि.व. 2014-15	7.48	7.26	7.26	छोड़कर
4	आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना	प्र. सीआईटी III, हैदराबाद	सतकरनी एस्टेट्स प्रा. लि. /AAOCS5904L/नि.व. 2015-16	3.22	2.97	2.97	छोड़कर
5	आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना	प्र. सीआईटी III, हैदराबाद	श्रवण फाइनेस एंड एस्टेट्स प्रा. लि. /AAECS5481H /नि.व. 2015-16	6.54	6.35	6.35	छोड़कर
6	आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना	प्र. सीआईटी III, हैदराबाद	श्रुति एगो फार्मस प्रा. लि. /AAECS5501P/नि.व. 2010-11	0.30	0.29	0.30	सहित

परिशिष्ट 19
(पैरा सं. 3.2.1 देखें)

दत्त या देय आयकर और उसके प्रावधान जिन पर अंकित लाभ के लिए विचार नहीं किया गया

क्र. सं.	राज्य	प्र. सीआईटी प्रभार	निर्धारिती का नाम /पैन/नि.व.	कर प्रभाव (₹ लाख में)
1	आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना	प्र. सीआईटी (सी), हैदराबाद	कृष्णपट्टनम पोर्ट कम्पनी लि. /AAACK8657J/नि.व. 2013-14	47.81
2	आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना	प्र. सीआईटी (सी), हैदराबाद	मेधा ईज एंव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. /AAECM7627A/नि.व. 2012-13	36.46
3	आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना	प्र. सीआईटी III, हैदराबाद	रक सेरामिक्स इंडिया प्रा. लि. /AACCR6424N/नि.व. 2010-11	10.67
4	छत्तीसगढ़	प्र. सीआईटी 1, रायपुर	ईश्वर इस्पात इंडस्ट्रीज़ प्रा. लि. /AABCI4258C/नि.व. 2012-13	4.96
5	हरियाणा	सीआईटी फरीदाबाद	बायोमेड हेल्थकेयर प्रोडक्ट्स प्रा. लि. /AABCB9214H/नि.व. 2013-14	1.43
6	कर्नाटक	प्र. सीआईटी बेलगांव	विश्वनाथ शुगर एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ लि. /AABCV1727H/नि.व. 2011-12	15.54
7	कर्नाटक	प्र. सीआईटी बेलगांव	दियनयोगी श्री शिवकुमार स्वामीजी शुगर लि. /AABCD4465E/नि.व. 2012-13	52.86
8	मध्य प्रदेश	प्र. सीआईटी ग्वालियर	जेनेक्स ग्रेनाइट इंडस्ट्रीज़ प्रा. लि. /AABCG5013C/नि.व. 2012-13	2.67
9	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी एलटीयू, मुम्बई	टाटा मोटर्स लि. /AAACT2727Q /नि.व. 2011-12	33.78
10	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी एलटीयू, मुम्बई	न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. /AAACN3154F/नि.व. 2011-12 to 2012-13	261.61
11	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 1, मुम्बई	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. /AAACH1118B/नि.व. 2010-11 से 2011-12	197.09
12	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 1, मुम्बई	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. /AAACH1118B/नि.व. 2012-13	99.43
13	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 1, मुम्बई	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. /AAACH1118B/नि.व. 2013-14	108.09
14	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 1, मुम्बई	एएमआई इंडस्ट्रीज़ इंडिया प्रा. लि. /AABCA4593L/नि.व. 2011-12	39.86
15	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 2, मुम्बई	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. /AAACB2902M/नि.व. 2012-13	46.75
16	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 10, मुम्बई	नगासे इंडिया प्रा. लि. /AACCN4051B/नि.व. 2013-14	5.80
17	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 10, मुम्बई	जेपी मोरगन सर्विसेस इंडिया प्रा. लि. /AABCD0503B/नि.व. 2010-11	34.97

2017 की प्रतिवेदन सं. 30 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

18	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 1 पुणे	एचएसबीसी साफ्टवेयर डेवलेपमेंट (इं) प्रा. लि. /AABCH0517M/नि.व.2012-13	33.65
19	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी एलटीयू, मुम्बई	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टीलाइजर्स लि. /AAACR2831H/नि.व.2012-13	238.37
20	ओडिशा	सीआईटी (सी), विशाखापट्टनम	प्रगति मिल्क प्रोडक्ट्स प्रा. लि. /AAECP6353J/नि.व. 2013-14	1.19
21	ओडिशा	सीआईटी (सी), विशाखापट्टनम	प्रगति मिल्क प्रोडक्ट्स प्रा. लि. /AAECP6353J/नि.व. 2012-13	1.04
22	राजस्थान	सीआईटी 2, जयपुर	राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन /AACCR2385J/नि.व. 2012-13	10.09
23	तमिलनाडू	प्र. सीआईटी 1, कोयम्बटूर	मार्टिन बिल्डर्स प्रा. लि. /AAFCEM1331G/नि.व. 2013-14	26.09
24	तमिलनाडू	प्र. सीआईटी 1, कोयम्बटूर	अगस्तन टेक्सटाइल्स कलर्स प्रा. लि. /AAECA8870D/नि.व. 2013-14	6.59
25	उत्तर प्रदेश	प्र. सीआईटी II, कानपुर	कमर्शियल इंजीनियरिंग एंड बाडी बिल्डर्स कॉ. लि. /AAACC5823E/नि.व. 2011-12	5.87
26	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी 2, कोलकाता	कॉप रिसोर्सस प्रा. लि. /AABCK3204C/नि.व. 2012-13	5.52
		जोड़		1328.19

परिशिष्ट 20

(पैरा सं. 3.2.2 देखें)

अंकित लाभ के लिए विचार न की गई किसी छूट प्राप्त आय से संबंधित व्यय

क्र. सं.	राज्य	प्र. सीआईटी प्रकार	निर्धारित का नाम/पैन/नि.व.	कर प्रभाव (₹ लाख में)
1	आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना	प्र. सीआईटी I, हैदराबाद	चिंतालपती होल्डिंग्स प्रा. लि. /AABCC5085D/नि.व. 2013-14	35.84
2	आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना	प्र. सीआईटी II, हैदराबाद	ताज जीवके होटल्स एवं रिसार्ट्स लि. /AABCT2223L/नि.व. 2013-14	51.04
3	आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना	प्र. सीआईटी II, हैदराबाद	जी 2 कारपोरेट सर्विसेस प्रा. लि. /AABCD2471J/नि.व. 2012-13	43.52
4	आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना	प्र. सीआईटी IV, हैदराबाद	लाइकोस इंटरनेट लि. /AAACL5827B/नि.व. 2012-13	115.36
5	आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना	प्र. सीआईटी II, विशाखापट्टनम	राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. /AABCR0435L/नि.व. 2013-14	42.80
6	आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना	प्र. सीआईटी II, विशाखापट्टनम	एसवीएस प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. /AAFCS2704M/नि.व. 2011-12	7.55
7	असम	सीआईटी 2, गुवाहटी	विलियमसन फाइनेंशियल सर्विसेस लि. /AAACW4504A/नि.व.2013-14	60.62
8	छत्तीसगढ़	प्र. सीआईटी 1, रायपुर	अविनाश डेवलेपर्स प्रा. लि. /AADCA4060E/नि.व. 2013-14	16.09
9	छत्तीसगढ़	प्र. सीआईटी 1, रायपुर	एस.आर इनगोट प्रा. लि. /AAICS5559D/नि.व. 2013-14	4.8
10	छत्तीसगढ़	प्र. सीआईटी 1, रायपुर	श्री नकोडा इस्पात लि. /AAHCS2143Q/नि.व. 2012-13	2.65
11	छत्तीसगढ़	प्र. सीआईटी 1, रायपुर	एस.आर इनगोट प्रा. लि. /AAICS5559D/नि.व. 2012-13	1.95
12	छत्तीसगढ़	प्र. सीआईटी 1, रायपुर	भगवती पावर एंड स्टील लि. /AACCB4646A/नि.व. 2013-14	1.75
13	दिल्ली	सीआईटी 3, दिल्ली	दिल्ली ब्रास एंड मेटल वर्क्स प्रा. लि. /AAACD1002G/नि.व. 2013-14	0.00
14	दिल्ली	सीआईटी 3, दिल्ली	डीबीएच इंटरनेशनल प्रा. लि. /AAACD0085D/नि.व. 2013-14	31.96
15	दिल्ली	सीआईटी 4, दिल्ली	हिन्दुस्तान अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. /AAACT2345J/नि.व. 2011-12	19.2
16	दिल्ली	सीआईटी 8, दिल्ली	सारा इंटरनेशनल लि. /AAACS1878B/नि.व. 2012-13	31.41
17	गुजरात	सीआईटी गांधीनगर	गुजरात पावर कोर्प लि. /AAACG5596J/नि.व. 2013-14	142.10

2017 की प्रतिवेदन सं. 30 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

18	गुजरात	सीआईटी 1, अहमदाबाद	केडिला फार्मास्यूटिकल्स लि. /AAACC6251E/नि.व. 2011-12	45.3
19	गुजरात	सीआईटी 1, अहमदाबाद	केडिला हेल्थकेयर लि. /AAACC6253G/नि.व. 2011-12	125.01
20	गुजरात	सीआईटी 1, अहमदाबाद	एमेज़न टेक्सटाइलस प्रा. लि. /AABCB6914E/ नि.व. 2013-14	17.76
21	गुजरात	सीआईटी 1, सूरत	मोहित इन्डस्ट्रीज़ लि. /AABCM5903E/नि.व. 2012-13	5.07
22	हरियाणा	सीआईटी फरीदाबाद	स्टेरीप्लेट प्राइवेट लि. /AAACS8953M/नि.व. 2010-11	2.72
23	हरियाणा	सीआईटी करनाल	लिबर्टी शूज़ लि. /AAACL3146K/नि.व. 2010-11	14.50
24	हरियाणा	सीआईटी करनाल	लिबर्टी शूज़ लि. /AAACL3146K/नि.व. 2013-14	16.66
25	हरियाणा	सीआईटी पंचकुला	लेबोरेट फार्मास्यूटिकल्स इंडिया लि. /AAACL2998K/नि.व. 2011-12	1.10
26	हरियाणा	सीआईटी (सी) गुडगाँव	मैगपाई इंटरनेशनल लि. /AACCM4988Q/नि.व. 2011-12	1.72
27	हरियाणा	सीआईटी (सी) गुडगाँव	मैगपाई इंटरनेशनल लि. /AACCM4988Q/नि.व. 2010-11	1.19
28	कर्नाटक	सीआईटी एलटीयू, बैंगलोर	रोबर्ट बोश इंजीनियरिंग एंड बिज़नेस सोल्यूशन्स लि. /AAACR7108R/नि.व. 2010-11	8.16
29	कर्नाटक	सीआईटी एलटीयू, बैंगलोर	संसेरा इंजीनियरिंग (प्रा.) लि. /AAECS2440M/नि.व. 2012-13	26.54
30	कर्नाटक	सीआईटी एलटीयू, बैंगलोर	प्राक्सेयर इंडिया (प्रा.) लि. /AAACP9993J/नि.व. 2011-12	179.91
31	कर्नाटक	सीआईटी एलटीयू, बैंगलोर	तेजस नेटवर्क्स लि. /AABCT1670M/नि.व. 2011-12	20.70
32	कर्नाटक	प्र. सीआईटी 1, बैंगलोर	एक्सिस एरोस्पेस एंव टेक्नोलॉजिस लि. /AACCB1728K/नि.व. 2012-13	62.00
33	कर्नाटक	प्र. सीआईटी 1, बैंगलोर	बैंगलोर फार्मास्यूटिकल्स एंड रिसर्च लेबोरेटरीज (प्रा.) लि. /AAACB5712H/नि.व. 2013-14	9.94
34	कर्नाटक	प्र. सीआईटी 1, बैंगलोर	ब्रिगेड एंटरप्राइसेस लि. /AAACB7459F/नि.व. 2013-14	47.74
35	कर्नाटक	प्र. सीआईटी 4, बैंगलोर	जेपी डिस्टीलरीज़ प्रा. लि. /AAACJ3609H/नि.व. 2012-13	6.03

2017 की प्रतिवेदन सं. 30 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

36	कर्नाटक	प्र. सीआईटी 4, बेंगलोर	कर्नाटक स्टेट इंडस्ट्रीयल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि. /AAACK5531H/नि.व. 2012-13	11.22
37	कर्नाटक	प्र. सीआईटी 4, बेंगलोर	कर्नाटक स्टेट इंडस्ट्रीयल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट कारपोरेशन लि./AAACK5531H/नि.व. 2013-14	20.37
38	कर्नाटक	प्र. सीआईटी 4, बेंगलोर	कर्नाटक स्टेट इंडस्ट्रीयल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट कारपोरेशन लि. /AAACK5531H/नि.व. 2010-11	32.47
39	कर्नाटक	प्र. सीआईटी 4, बेंगलोर	मंत्री डेवलेपर्स (प्रा.) लि. /AAACG4009N/नि.व. 2012-13	10.41
40	कर्नाटक	प्र. सीआईटी 5, बेंगलोर	एनएसएल शुगर्स लि. /AAGCS0938Q/नि.व. 2010-11	13.70
41	कर्नाटक	प्र. सीआईटी 5, बेंगलोर	एनएसएल शुगर्स लि. /AAGCS0938Q/नि.व. 2011-12	65.33
42	कर्नाटक	प्र. सीआईटी 5, बेंगलोर	नेपीयन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट कॉ. प्रा. लि. /AAACN2710M/नि.व. 2012-13	40.48
43	कर्नाटक	प्र. सीआईटी 5, बेंगलोर	ओपटो सर्किट इंडिया लि. /AAACO2165P/नि.व. 2012-13	141.06
44	कर्नाटक	प्र. सीआईटी 6, बेंगलोर	स्कोट गारमेंट्स लि. /AAFCS9703C/नि.व. 2013-14	5.02
45	कर्नाटक	प्र. सीआईटी 6, बेंगलोर	स्टीर इंजीनियरिंग प्रा. लि. /AABCS8840E/नि.व. 2010-11	9.71
46	कर्नाटक	प्र. सीआईटी 7, बेंगलोर	यूनाइटेड टेलिकाम लिमिटेड /AAACU2228H/नि.व. 2013-14	17.03
47	कर्नाटक	प्र. सीआईटी (सी), बेंगलोर	शोभा डेवलपर्स लि. /AABCS7723E/नि.व. 2010-11	15.24
48	कर्नाटक	प्र. सीआईटी, मंगलोर	कर्नाटक बैंक लि. /AABCT5589K/नि.व. 2011-12	59.62
49	कर्नाटक	प्र. सीआईटी गोवा	द मद्रास अल्यूमिनियम कॉ. लि. /AAACT7665D/नि.व. 2010-11	62.88
50	केरल	सीआईटी त्रिशूर	साउथ मालाबार स्टील एंड एलाय प्रा. लि. /AAFCS8265F/नि.व. 2012-13	1.14
51	मध्य प्रदेश	प्र. सीआईटी I, इन्दौर	ब्रिलियेंट एस्टेट्स लि. /AAACB7115L/नि.व. 2013-14	72.07
52	मध्य प्रदेश	प्र. सीआईटी I, इन्दौर	आदिकेम ट्रेड प्रा. लि. /AAECA8383R/नि.व. 2013-14	4.22
53	मध्य प्रदेश	प्र. सीआईटी I, इन्दौर	मेडिलक्स लेबोरेट्रीज प्रा. लि. /AABCM1739L/नि.व. 2013-14	2.90

2017 की प्रतिवेदन सं. 30 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

54	मध्य प्रदेश	प्र. सीआईटी (सी) भोपाल	सिगनेट इंडस्ट्रीज लि. /AABCS3489F/नि.व. 2013-14	6.16
55	मध्य प्रदेश	प्र. सीआईटी(सी) भोपाल	कटारिया वायर्स प्रा. लि. /AABCK6250A/नि.व. 2008-09 से 2010-11	1.25
56	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 1, मुम्बई	एसमार्ट एनर्जी सोल्यूशन्स प्रा. लि. /AACCS0489G/नि.व. 2013-14	5.53
57	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 2, मुम्बई	बैंक ऑफ इंडिया /AAACB0472C/नि.व. 2014-15	3466.17
58	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 2, मुम्बई	बैंक ऑफ इंडिया /AAACB0472C/नि.व. 2007-08	284.06
59	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 2, मुम्बई	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. /AAACB2902M/नि.व. 2012-13	14.85
60	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 2, मुम्बई	टाटा सन्स /AAACT4060A/नि.व. 2012-13	3170.41
61	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 2, मुम्बई	इंडियन होटल्स क. लि. /AAACT3957G/नि.व. 2011-12	170.60
62	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 3, मुम्बई	इवान्स फ्रेजर एंड कम्पनी (इंडिया) लि. /AAACE1621J/नि.व. 2013-14	113.35
63	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 7, मुम्बई	लोधा प्रानिक डेवलेपर्स प्रा. लि. /AACCL0427B/नि.व. 2013-14	25.01
64	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 7, मुम्बई	हिन्दुस्तान केंडल मैनुफेक्चरिंग क. प्रा. लि. /AAACH1534R/नि.व. 2013-14	10.82
65	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 7, मुम्बई	हिन्दुजा ग्रुप लि. /AAACI3370C/नि.व. 2013-14	73.48
66	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी (सी) 3, मुम्बई	एक्सेल इंडस्ट्रीज लि. /AAACE2488F/नि.व. 2007-08	8.37
67	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी (सी) 3, मुम्बई	आकृति सिटी लि. /AAACA1601D/नि.व. 2011-12	283.51
68	राजस्थान	सीआईटी 2, जयपुर	निखिल टाऊनशिप प्रा. लि. /AACCN0482A/नि.व. 2012-13	4.68
69	राजस्थान	सीआईटी 2, जयपुर	तिजारिया पोली पाइपस लि. /AACCT4796M/नि.व. 2013-14	1.16
70	तमिलनाडू	प्र. सीआईटी 1, (सी), चेन्नई	ट्राइमेक्स इंडस्ट्रीज लि. /AABCT0212F/नि.व. 2012-13	23.42
71	तमिलनाडू	प्र. सीआईटी 1, चेन्नई	कोन्टीनम विंड एनर्जी इंडिया प्रा. लि. /AAKCS8353F/नि.व. 2013-14	196.08
72	तमिलनाडू	प्र. सीआईटी 5, चेन्नई	आरके पावरजेन प्रा. लि. /AABCR8680H/नि.व. 2013-14	15.13
73	तमिलनाडू	प्र. सीआईटी 5, चेन्नई	पीडीआर इन्वेस्टमेंट्स प्रा. लि. /AACCP1177A/नि.व. 2013-14	10.70

2017 की प्रतिवेदन सं. 30 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

74	तमिलनाडू	प्र. सीआईटी 6, चेन्नई	श्री इंदिरा काटन मिल्स प्रा. लि. /AAACI0899J/नि.व. 2013-14	6.15
75	तमिलनाडू	प्र. सीआईटी 1, मदुराई	राजपलयम मिल्स लि. /AAACR8897F/नि.व. 2013-14	66.43
76	तमिलनाडू	प्र. सीआईटी 1, मदुराई	टीवीएस श्रीचक्र लि. /AAACT5557G/नि.व. 2013-14	40.4
77	तमिलनाडू	प्र. सीआईटी 1, मदुराई	श्री रामलिंग मिल्स लि. /AADCS8769A/नि.व. 2013-14	29.44
78	तमिलनाडू	प्र. सीआईटी, सलेम	एस.पी स्पिनिंग मिल्स प्रा. लि. /AACCS9500J/नि.व. 2012-13	5.44
79	उत्तर प्रदेश	प्र. सीआईटी (सी), लखनऊ	गेलेंट मेटल लि. /AACCG2934J/नि.व. 2013-14	5.8
80	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी (सी) 2, कोलकाता	एलप्रो इंटरनेशनल लि. /AAACE2506L/नि.व. 2013-14	125.94
81	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी 1, कोलकाता	उमंग कमर्शियल कम्पनी लि. /AAACU3731B/नि.व. 2011-12	226.57
82	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी 3, कोलकाता	गणेश ज्यूलरी हाऊस प्रा. लि. /AAGCS7343P/नि.व. 2012-13	26.58
			जोड़	10203.05

परिशिष्ट 21

(पैरा सं. 3.2.3 देखें)

अंकित लाभ में संगणना के लिए विचार न की गई किसी परिसम्पत्ति के मूल्य में कमी के कारण प्रावधान के रूप में अलग रखी गई राशि

क्र. सं.	राज्य	प्र. सीआईटी प्रभार	निर्धारिती का नाम/पैन/नि.व.	कर प्रभाव (₹ लाख में)
1	आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना	प्र. सीआईटी (सी), हैदराबाद	कृष्णापट्टनम पोर्ट कम्पनी लि. /AAACK8657J/नि.व. 2012-13	528.64
2	आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना	प्र. सीआईटी II, हैदराबाद	भारती सीमेंट कारपोरेशन प्रा. लि. /AADCR3079G/नि.व. 2013-14	40.63
3	आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना	प्र. सीआईटी II, हैदराबाद	इंडियन इम्यूनोलोजिकल लि. /AAACI6620F/नि.व. 2012-13	38.27
4	आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना	प्र. सीआईटी II, हैदराबाद	हेला सिस्टम्स प्रा. लि. /AABCH4924L/नि.व. 2011-12	8.77
5	आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना	प्र. सीआईटी V, हैदराबाद	डा. रेड्डीज़ लेबोरेटरीज लि. /AAACD7999Q/नि.व. 2011-12	2031.48
6	आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना	प्र. सीआईटी V, हैदराबाद	इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. /AAACE4809L/नि.व. 2013-14	93.86

2017 की प्रतिवेदन सं. 30 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

7	आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना	प्र. सीआईटी V, हैदराबाद	इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. /AAACE4809L/नि.व. 2012-13	50.20
8	बिहार	प्र. सीआईटी 1, पटना	अल्केम लेबोरेट्रीज /AABCA9521E/नि.व. 2010-11 से 2012-13	172.63
9	दिल्ली	सीआईटी एलटीयू, दिल्ली	हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइट प्रा. लि. /AAACH0905Q/नि.व. 2013-14	5.51
10	दिल्ली	सीआईटी 2, दिल्ली	सेन्ट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लि. /AAACC1261G/नि.व. 2013-14	55.49
11	दिल्ली	सीआईटी 3, दिल्ली	दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रीयल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन लि. /AAACD1257F/नि.व. 2011-12	82.16
12	दिल्ली	सीआईटी 4, दिल्ली	एचटी मीडिया लि. /AABCH3165P/नि.व. 2013-14	340.66
13	दिल्ली	सीआईटी 7, दिल्ली	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स /AAACO0191M/ नि.व. 2013-14	9742.78
14	दिल्ली	सीआईटी 7, दिल्ली	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स /AAACO0191M/ नि.व. 2011-12	9143.48
15	दिल्ली	सीआईटी 7, दिल्ली	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स /AAACO0191M/ नि.व. 2014-15	10503.82
16	दिल्ली	सीआईटी 4, दिल्ली	ह्यूस नेटवर्क सिस्टम इंडिया प्रा. लि. /AAACH3025R/नि.व. 2013-14	66.51
17	गुजरात	सीआईटी 1, बडोदरा	गुलब्रांदसेन टेक्नालाजिस (इंडिया) प्रा. लि. /AABCG9006E/नि.व. 2011-12	5.6
18	गुजरात	सीआईटी 1, अहमदाबाद	कोरटेक एनर्जी लि. /AAACI8838F/नि.व. 2013-14	6.85
19	गुजरात	सीआईटी 2, बडोदरा	ओप्टिमा डायमंड टूल्स प्रा. लि. /AAACO0863E/नि.व. 2012-13	5.06
20	हरियाणा	सीआईटी पंचकुला	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लि. /AAACH9216J/नि.व. 2008-09 और 2010-11 से 2012-13	1254.00
21	हरियाणा	सीआईटी गुडगाँव	बजाज मोटर्स (प्रा.) लि. /AAACB7413P/नि.व. 2012-13 से 2013-14	3.02
22	हरियाणा	सीआईटी गुडगाँव	बीकमन हेलिक्स इंडिया कंसल्टिंग (प्रा.) लि. /AACCB8655R/नि.व. 2012-13	1.59
23	कर्नाटक	सीआईटी एलटीयू, बेंगलूर	माइंडट्री लि. /AABCM8839K/नि.व. 2011-12	98.36
24	कर्नाटक	सीआईटी एलटीयू, बेंगलूर	टाटा हिताची कंस्ट्रक्शन मशीनरी कॉ लि. /AAACT9077B/नि.व. 2011-12	172.52

2017 की प्रतिवेदन सं. 30 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

25	कर्नाटक	प्र. सीआईटी 4, बैंगलोर	जुरीमैट्रिक्स सर्विसस इंडिया (प्रा.) लि. /AABCJ6157D/नि.व. 2013-14	4.12
26	कर्नाटक	प्र. सीआईटी 5, बैंगलोर	नेचुरल रेमेडीज़ प्रा. लि. /AAACN6990M/नि.व. 2011-12	14.78
27	कर्नाटक	प्र. सीआईटी गोवा	गोवा शिपयार्ड लि. /AAACG7569F/नि.व. 2013-14	16.49
28	केरल	सीआईटी I, कोच्ची	कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. /AAACC9658B/नि.व. 2012-13	32.55
29	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 2, मुम्बई	बैंक ऑफ इंडिया /AAACB0472C/नि.व. 2007-08	21505.64
30	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 2, मुम्बई	बैंक ऑफ इंडिया /AAACB0472C/नि.व. 2014-15	110566.94
31	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 2, मुम्बई	बैंक ऑफ बडोदा /AAACB1534F/नि.व. 2014-15	10228.55
32	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 2, मुम्बई	भारत एग्री फर्ट एंड रिप्लटी लि. /AAACB2485R/नि.व. 2013-14	7.53
33	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 3, मुम्बई	सीकोम लि. /AAACS5524J/नि.व. 2003-04	71.76
34	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 3, मुम्बई	एडेलवेस इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र प्रा. लि. /AABCE9811H/नि.व. 2012-13	137.68
35	ओडिशा	प्र. सीआईटी I, भुवनेश्वर	ग्रिड कारपोरेशन ऑफ ओडिशा लि. /AABCG5398P/नि.व. 2014-15	5606.82
36	तमिलनाडू	प्र. सीआईटी 2, चेन्नई	इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसस लि. /AAACI2107B/नि.व. 2012-13	70.46
37	तमिलनाडू	प्र. सीआईटी 6, चेन्नई	श्रीराम प्रोपर्टीज प्रा. लि. /AAFCS5801D/नि.व. 2013-14	42.46
38	तमिलनाडू	प्र. सीआईटी 1, कोयम्बटूर	सीजी वीएके सॉफ्टवेयर एंड एक्पोर्टस लि. /AAACC8797M/नि.व. 2013-14	10.88
39	उत्तर प्रदेश	प्र. सीआईटी II, कानपुर	गणेश इकोस्फीयर लि. /AAACG6334N/नि.व. 2012-13	2.81
40	उत्तर प्रदेश	प्र. सीआईटी II, कानपुर	गणेश इकोस्फीयर लि. /AAACG6334N/नि.व. 2013-14	10
41	उत्तर प्रदेश	प्र. सीआईटी II, कानपुर	टेस्टी डेयरी स्पेशियल्टीज़ (प्रा.) लि. /AAACT6936H/नि.व. 2013-14	4.75
			जोड़	182786.11

परिशिष्ट 22

(पैरा सं. 3.2.4 देखें)

अनिश्चित देयता जिसे पुनः नहीं जोड़ा गया के लिए प्रावधान के रूप राशि अलग रखना

क्र. सं.	राज्य	प्र. सीआईटी प्रभार	निर्धारिती का नाम/ पैना/ नि.व.	कर प्रभाव (₹ लाख में)
1	आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना	प्र. सीआईटी I, हैदराबाद	साईबराबाद कंवेशन सेंटर प्रा. लि. /AACCC2725K/नि.व. 2012-13	15.55
2	आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना	प्र. सीआईटी IV, हैदराबाद	लैंको सोलर प्रा. लि. /AABCL4930G/नि.व. 2012-13	187.22
3	आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना	प्र. सीआईटी IV, हैदराबाद	नागर्जुन एग्रीकेम लि. /AAACN6932H/नि.व.2012-13	35.87
4	असम	सीआईटी 1, गुवाहटी	असम पावर जेनरेशन कोप प्रा. लि. /AAFCA4891F/नि.व. 2010-11	195
5	असम	सीआईटी शिलोंग	त्रिपुरा स्टेट इलैक्ट्रिसिटी कोप. लि. /AACCT2964M/नि.व. 2008-09 से 2009 -10	98.07
6	बिहार	प्र. सीआईटी 1, पटना	सेचे फार्मास्यूटिकल्स प्रा. लि. /AAACC9312J/नि.व. 2010-11 से 2011-12	9.20
7	छत्तीसगढ़	प्र. सीआईटी 2, रायपुर	एसएमएस शिवनाथ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. /AADCS2258Q/नि.व. 2013-14	35.39
8	दिल्ली	सीआईटी एलटीयू, दिल्ली	हेवल्स इंडिया लि. /AAACH0351E/नि.व. 2012-13	114.49
9	दिल्ली	सीआईटी-7, दिल्ली	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स /AAACO0191M/2013-14	360.13
10	दिल्ली	सीआईटी 1, दिल्ली	अल्काटेल लूसैट इंडिया लि. /AACCA8667N/नि.व. 2010-11	2614.82
11	दिल्ली	सीआईटी 6, दिल्ली	मलाना पावर कम्पनी /AABCM1108R/नि.व.2011-12	717.04
12	गुजरात	1, बडोदरा	इनोक्स लेज़र लि. /AAACI6063J/2013-14	37.63
13	कर्नाटक	सीआईटी एलटीयू बेंगलोर	कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि. /AABCK7281M/नि.व. 2012-13	146.28
14	कर्नाटक	सीआईटी एलटीयू बेंगलोर	शनिडर इलैक्ट्रिक आईटी बिज़नेस इंडिया प्रा. लि. /AACCA6398Q/नि.व.2010-11	170.21
15	कर्नाटक	प्र. सीआईटी 4, बेंगलोर	मैनी प्रीसीज़ियन प्रोडक्ट्स प्रा. लि. /AABCM8269R/नि.व. 2010-11	11.69
16	कर्नाटक	प्र. सीआईटी 6, बेंगलोर	स्टीर इंजीनियरिंग प्रा. लि. /AABCS8840E/नि.व. 2010-11	13.70
17	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 6, मुम्बई	आईडिया सैल्यूलर लि. /AAACB2100P/2009-10	163.98

2017 की प्रतिवेदन सं. 30 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

18	ओडिशा	प्र. सीआईटी I, भुवनेश्वर	इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ ओडिशा लि. /AAACI4821L/नि.व. 2010-11	33.93
19	उत्तर प्रदेश	प्र. सीआईटी नोयडा	नोएडा टोल ब्रिज कम्पनी लि. /AAACN3498A/नि.व. 2010-11	19.08
20	उत्तर प्रदेश	प्र. सीआईटी नोयडा	नोएडा टोल ब्रिज कम्पनी लि. /AAACN3498A/नि.व.2011-12	22.38
		जोड़		5001.66

परिशिष्ट 23

(पैरा सं. 3.3.1 देखें)

गलत तरीके से कम किए गए अनुवर्ती संशोधन के कारण छूट प्राप्त आय या छूट न दी गई आय

क्र. सं.	राज्य	प्र. सीआईटी प्रकार	निर्धारिती का नाम	कर प्रभाव (₹ लाख में)
1	आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना	प्र. सीआईटी I, हैदराबाद	सीएनसी टेक्निक्स प्रा. लि. /AABCC2258G/नि.व. 2012-13	36.11
2	बिहार	प्र. सीआईटी-1, पटना	अल्केम लेबोरेट्रीज लि. /AABCA9521E/नि.व. 2007-08	34.02
3	झारखंड	प्र. सीआईटी जमशेदपुर	इंडो आस्ट्रेलियन हाऊस मैनुफेक्चरिंग प्रा. लि. /AABCI3809F/नि.व. 2010-11	3.35
4	कर्नाटक	प्र. सीआईटी 5, बैंगलोर	ओप्टो सर्किटस इंडिया लि. /AAACO2165P/नि.व. 2013-14	1511.02
5	कर्नाटक	प्र. सीआईटी गोवा	डेम्पो ब्रदर्स (प्रा.) लि. /AAACD2588D/नि.व. 2010-11	105.74
6	केरल	सीआईटी तिरुअन्तपुरम	विद्युत पावर (प्रा.) लि. /AACCV2267M/नि.व. 2013-14	11.66
7	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 14, मुम्बई	हिन्दुस्तान कन्सट्रक्शन कम्पनी लि. /AAACH0968B/नि.व. 2011-12	167.91
8	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 14, मुम्बई	डब्ल्यूएनएस ग्लोबल सर्विसेस प्रा. लि. /AAACW2598L/नि.व. 2006-07	106.93
9	राजस्थान	सीआईटी (सी) जयपुर	रिशभ ग्रीन मार्बल्स प्रा. लि. /AADCR4119H/नि.व. 2010-11	35.32
10	तमिलनाडू	प्र. सीआईटी 1, मदुराई	हाइटेक फ्लाइएश इंडिया प्रा. लि. /AABCH7093J/नि.व. 2010-11	110.55
11	तमिलनाडू	प्र. सीआईटी 1, मदुराई	हाइटेक फ्लाइएश इंडिया प्रा. लि. /AABCH7093J/नि.व. 2011-12	34.48
12	तमिलनाडू	प्र. सीआईटी 2, चेन्नई	ईश्वरी इलैक्ट्रीकल्स प्रा. लि. /AAACE8247L/नि.व. 2013-14	20.20
13	तमिलनाडू	प्र. सीआईटी 1, कोयम्बटूर	टी एस्टेट प्रा. लि. /AABCT0265C/नि.व. 2013-14	19.89

2017 की प्रतिवेदन सं. 30 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

14	तमिलनाडू	प्र. सीआईटी 1, कोयम्बटूर	बन्नारी अम्मान स्पिनिंग मिल्स लि. /AAACB8513A/नि.व. 2011-12	30.70
15	उत्तर प्रदेश	प्र. सीआईटी II, Agra	केआईई इंजीनियरिंग प्रा. लि. /AAACK4841Q /नि.व. 2013-14	78.07
16	उत्तर प्रदेश	प्र. सीआईटी II, आगरा	केआईई इंजीनियरिंग प्रा. लि. /AAACK4841Q/नि.व. 2011-12	61.03
17	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी (सी) 3, कोलकाता	दामोदर वैली कारपोरेशन /AABCD0541M/2013-14	1177.32
18	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी (सी) 1, कोलकाता	साई इंडस्ट्रीज़ लि. /AAHCS5276L/नि.व. 2009-10	43.16
		जोड़		3587.46

परिशिष्ट 24

(पैरा सं. 3.3.2 देखें)

लाभ और हानि लेखे में क्रेडिट राशि की कटौती का गलत दावा

क्र. सं.	राज्य	प्र. सीआईटी प्रकार	निर्धारिती का नाम/ पैर / नि.व.	कर प्रभाव (₹ लाख में)
1	आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना	प्र. सीआईटी III, हैदराबाद	सोमा एंटरप्राइसेस लि. /AACCS8242F/नि.व. 2010-11	179.03
2	आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना	प्र. सीआईटी III, हैदराबाद	सोमा एंटरप्राइसेस लि. /ACCS8242F/नि.व. 2011-12	68.39
3	आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना	प्र. सीआईटी III, हैदराबाद	सोमा एंटरप्राइसेस लि. /ACCS8242F/नि.व. 2012-13	40.63
4	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 2, मुम्बई	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. /AAACB2902M/नि.व. 2012-13	14.95
5	राजस्थान	सीआईटी 1, जयपुर	ओम मेटल्स इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लि. /AAACO8245J/नि.व. 2011-12	133.05
6	राजस्थान	सीआईटी 1, जयपुर	ओम मेटल्स इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लि. /AAACO8245J/नि.व. 2012-13	89.87
7	राजस्थान	सीआईटी 1, जयपुर	ओम मेटल्स इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लि. /AAACO8245J/नि.व. 2013-14	68.57
8	राजस्थान	सीआईटी 1, जयपुर	ओम मेटल्स इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लि. /AAACO8245J/नि.व. 2010-11	9.05
9	तमिलनाडू	प्र. सीआईटी (सी) 1, चेन्नई	एसएस होटल्स एंड एंटरप्राइसेस लि. /AAECS1194C/नि.व. 2012-13	546.77
10	तमिलनाडू	प्र. सीआईटी (सी) 1, चेन्नई	एसएस रियल्टर लि. /AAFCS7524M/नि.व. 2012-13	122.24
		जोड़		1272.55

परिशिष्ट 25

(पैरा सं. 3.4.1 देखें)

मैट क्रेडिट का गलत अग्रेषण

क्र. सं.	राज्य	प्र. सीआईटी/ सीआईटी प्रकार	निर्धारित का नाम/ पैना/एवाई	कर प्रभाव (₹ लाख में)
1	आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना	प्र. सीआईटी तिरुपति	मदुरै पावर कारपोरेशन लि. /AACCM7661C/नि.व. 2012-13	2549.29
2	आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना	प्र. सीआईटी V, हैदराबाद	वेदवाग सिस्टमस लि. /AAECS8039E/नि.व. 2013-14	60.06
3	आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना	प्र. सीआईटी I, विशाखापट्टनम	आरडी टेक्नालाजिज प्रा. लि. /AABCA4800A/नि.व. 2012-13	13.48
4	असम	सीआईटी शिलोंग	नार्थ इस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कॉरप. लि. /AAACN9991J/नि.व. 2012-13	1100.23
5	असम	सीआईटी 1, गुवाहटी	टोरसा मशीन टूल्स /AABCT4889Q/नि.व. 2010-11 से 2011-12	6.52
6	बिहार	प्र. सीआईटी 1, पटना	श्रीनिवास (गुजरात) लेबोरेट्रीज प्रा. लि. /AAECS8612D/AY 2013-14	184.77
7	बिहार	प्र. सीआईटी 1, पटना	बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन /AADCB7567M/AY 2013-14	1072.40
8	बिहार	प्र. सीआईटी (सी) पटना	सुजाता होटल प्रा. लि. /AAECS0953P/AY 2012-13	891.22
9	दिल्ली	सीआईटी 3, दिल्ली	डीएलएफ एम्पोरियो लिमिटेड /AACCR0093B/AY 2012-13	161.13
10	दिल्ली	सीआईटी 3, दिल्ली	फेडरल मुगल गोएटजी इंडिया प्रा. लि. /AAACG3769M/AY 2011-12	277.23
11	दिल्ली	सीआईटी 3, दिल्ली	डीएलएफ न्यू गुडगाँव रिटेल डवलपर्स प्रा. लि. /AACCD6836G/AY 2013-14	58.61
12	दिल्ली	सीआईटी 3, दिल्ली	डीएलएफ सदरन होम्स प्रा. लि. /AACCC8270B/AY 2013-14	275.34
13	दिल्ली	सीआईटी 6, दिल्ली	मारुती इन्सयोरेंस बिजनेस एजेंसी लि. /AABCM3496N/AY 2013-14	21.18
14	दिल्ली	सीआईटी 6, दिल्ली	मोदी रबबर लि. /AAACM2062R/AY 2012-13	499.55
15	दिल्ली	सीआईटी 9, दिल्ली	वेल्यु फर्स्ट डीजिटल मीडिया प्रा. लि. /AABCV8400B/AY 2013-14	270.24
16	गुजरात	सीआईटी 1, अहमदाबाद	कोरटेक एनर्जी लि. /AAACI8839F/AY 2013-14	24.3
17	गुजरात	सीआईटी 1, अहमदाबाद	अदानी गैस लि. /AAFCA3788D/AY 2013-14	94.72

2017 की प्रतिवेदन सं. 30 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

18	गुजरात	सीआईटी 1, राजकोट	ज्योती सीएनसी आटोमेशन /AABCJ1947R/AY 2011-12	95.74
19	गुजरात	सीआईटी 1, सूरत	जीवराज टी लि. /AAACJ5895P/AY 2013-14	9.29
20	गुजरात	सीआईटी 1, बडोदरा	ज्योती लि. /AAACJ4909N/AY 2012-13	19.79
21	गुजरात	सीआईटी 1, बडोदरा	सयाजी होटल लि. /AADCS2086A/AY 2013-14	85.57
22	गुजरात	सीआईटी 2, अहमदाबाद	गणेश हाऊसिंग कोर्प. /AAACG5590Q/AY 2013-14	546.33
23	गुजरात	सीआईटी 2, बडोदरा	परसंग एलाइ इंडिया प्रा. लि. /AAECP1424P/AY 2013-14	13.11
24	गुजरात	सीआईटी 3, बडोदरा	इंविरो टेक्नोलॉजी लि. /AAACE4126G/AY 2013-14	84.71
25	गुजरात	सीआईटी 3, बडोदरा	गुजरात बोरोसिल लि. /AAACG8440M/AY 2006-07	23.43
26	गुजरात	सीआईटी 4, अहमदाबाद	ट्रोईको फार्मास्युटीकल्स लि. /AABCT0228K/AY 2010-11	95.64
27	गुजरात	सीआईटी गांधीनगर	जीएसपीसी गैस कंपनी लि. /AABCG1813F/AY 2012-13	566.44
28	गुजरात	सीआईटी गांधीनगर	विशाल कंटेनर्स लि. /AABCV8510E/AY 2013-14	5.49
29	गुजरात	सीआईटी गांधीनगर	आई सर्व सिस्टम प्रा. लि. /AAACI9567M/AY 2013-14	10.71
30	गुजरात	सीआईटी वलसाद	एचएलई इंजीनियर्स प्रा. लि. /AABCH4724N/AY 2012-13	21.66
31	हरियाणा	सीआईटी गुडगाँव	मन्सा प्रिंट एंड पब्लिशर्स लि. /AADCM9521E / AY 2010-11	47.73
32	हरियाणा	सीआईटी फरीदाबाद	पीआर पैकेजिंग लि. /AAACP9735G /AY 2010-11	4.46
33	हरियाणा	सीआईटी गुडगाँव	स्टील स्ट्रीप्स व्हीलस लि. /AACCS3003L/AY 2007-08	21.62
34	हरियाणा	सीआईटी गुडगाँव	स्टील स्ट्रीप्स व्हीलस लि. /AACCS3003L/AY 2009-10	6.40
35	हरियाणा	सीआईटी गुडगाँव	स्टील स्ट्रीप्स व्हीलस लि. /AACCS3003L/AY 2011-12	36.32
36	हरियाणा	सीआईटी गुडगाँव	स्टील स्ट्रीप्स व्हीलस लि. /AACCS3003L/AY 2012-13	143.71
37	हरियाणा	सीआईटी करनाल	जैस फार्मास्युटिकल्स (प्रा.) लि. / AAACZ2089F/AY 2010-11	3.13

2017 की प्रतिवेदन सं. 30 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

38	हरियाणा	सीआईटी करनाल	पिकैडीली एगो इंडस्ट्रीज लि. / AABCP7343R/AY 2013-14	45.92
39	हरियाणा	सीआईटी करनाल	रैटचैट लेबोरेट्रीस लि. /AACCR8581L /AY 2012-13	36.66
40	हरियाणा	सीआईटी करनाल	जैस फार्मास्यूटीकल्स प्रा. लि. /AAACZ2089F/AY 2012-13	256.27
41	हिमाचल प्रदेश	सीआईटी शिमला	रुचिरा पैकेजिंग प्रोडक्ट प्रा. लि. /AABCR9711R/AY 2010-11	19.73
42	हिमाचल प्रदेश	सीआईटी शिमला	एम्ब्रोस ओक्टोकोम्प लि. /AAACE3489Q/AY 2010-11	14.55
43	केरल	सीआईटी तिरुवन्तपुरम	रिहेबिलिटेशन प्लांटेशन लि. /AAACT8105A/AY 2013-14	401.05
44	मध्य प्रदेश	प्र. सीआईटी 1, भोपाल	एण्डरिटज हार्ड्डो प्रा. लि. /AABCV2466R/AY 2007-08	109.07
45	मध्य प्रदेश	प्र. सीआईटी 1, इन्दौर	अर्नेजा कैरियर्स प्रा. लि. /AADCA6460E/AY 2013-14	4.23
46	मध्य प्रदेश	प्र. सीआईटी ग्वालियर	कौक्स इंडिया लि. /AABCC9079M/AY 2012-13	3.14
47	मध्य प्रदेश	प्र. सीआईटी 1, भोपाल	पीजीएच इन्टनेशनल प्रा. लि. /AACCN0067D/AY 2013-14	21.00
48	मध्य प्रदेश	प्र. सीआईटी (सी) भोपाल	बंसल कंस्ट्रक्शन वर्क्स प्रा. लि. /AAECB1762H/AY 2013-14	108.16
49	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी एलटीयू, मुम्बई	रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. /AAACR5055K/AY 2009-10	1488.08
50	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी एलटीयू, मुम्बई	रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. /AAACR5055K/AY 2010-11	1200.52
51	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी एलटीयू, मुम्बई	ग्लैनमार्क फार्मास्यूटीकल्स लि. /AAACG2207L/AY 2012-13	888.84
52	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी एलटीयू, मुम्बई	ग्लैनमार्क फार्मास्यूटीकल्स लि. /AAACG2207L/AY 2011-12	1164.65
53	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 1, मुम्बई	एचडीएफसी ऐगो जनरल इन्सोरन्स कंपनी लि. /AABCH0738E/AY 2013-14	508.08
54	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 1, मुम्बई	नौसिल लि. /AAACN4412E/AY 2009-10	742.38
55	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 1, मुम्बई	ऐरो टैक्सटाईल लि. /AAGCA8907P/AY 2011-12	17.97
56	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 1, मुम्बई	स्मार्ट वैल्यू होम्स लि. /AANCS3558H/AY 2012-13	2099.13
57	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 2, मुम्बई	बैंक ऑफ इंडिया /AAACB0472C/AY 2014-15	61850.79

2017 की प्रतिवेदन सं. 30 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

58	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 2, मुम्बई	सेठ इन्डस्ट्रीज प्रा. लि. /AAECS9189D/AY 2012-13	8.37
59	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 3, मुम्बई	जबील सर्कट प्रा. लि. /AACCP7114K/AY 2011-12	101.28
60	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 3, मुम्बई	एलकेपी फार्मैन्स लि. /AAACL2401P/AY 2012-13	130.59
61	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 4, मुम्बई	हरिनगर सुगर मिल्स लि. /AAACH2831H/AY 2013-14	93.77
62	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 7, मुम्बई	लोधा प्राणिक डिवेलपर्स प्रा. लि. /AACCL0427B/AY 2013-14	735.47
63	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 8, मुम्बई	श्री सिद्धिविनायक कोटस्पीन प्रा. लि. /AAICS9963R/AY 2013-14	189.13
64	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 8, मुम्बई	शैली इन्जीनियरिंग प्लास्टिक लि. /AACCA6600R/AY 2012-13	174.17
65	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 8, मुम्बई	सोल्वे स्पेशिएलिटीज इंडिया प्रा. लि. /AAJCS0613F/AY 2012-13	273.16
66	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 10, मुम्बई	प्रभा इन्जीनियरिंग लि. /AAACP7472Q/AY 2011-12	15.82
67	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 10, मुम्बई	केएलटी आटोमेटिव ट्यूबलर प्रोडक्टस लि. /AAACT3859R/AY 2012-13	133.14
68	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 14, मुम्बई	गोदरेज कंसंयूमर प्रोडक्टस लि. /AABCG3365J/AY 2011-12	560.20
69	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 14, मुम्बई	टाईटन लेबोरेट्रीज प्रा. लि. /AACCT0509Q/AY 2013-14	101.36
70	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी (सी) 3, मुम्बई	अर्थ इस्टेट डिवेलपर्स प्रा. लि. /AAACE1843C/AY 2011-12	9.19
71	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 1, पुणे	चैम्प ऐनर्जी वेन्चर प्रा. लि. /AACCC7802R/AY 2013-14	61.53
72	तमिलनाडू	प्र. सीआईटी 1, कोयम्बटूर	बन्नारी अम्मान शिपिंग मिल्स प्रा. लि. /AAACB8513A/AY 2013-14	814.8
73	तमिलनाडू	प्र. सीआईटी 1, कोयम्बटूर	सुपर सेल्स इंडिया लि. /AADCS0650A/AY 2011-12	56.26
74	उत्तर प्रदेश	प्र. सीआईटी नोयडा	न्यू ऐरा डेयरी इन्जिनियर्स इंडिया प्रा. लि. /AACCN2890C/AY 2012-13	30.08
75	उत्तर प्रदेश	प्र. सीआईटी नोयडा	देव फार्मसी प्रा. लि. /AABDD6274F/AY 2013-14	15.05
76	उत्तराखंड	प्र. सीआईटी देहरादुन	टीएचडीसी इंडिया लि. /AAACT7905Q/AY 2010-11 to 2013-14	1680.18
77	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी 2, कोलकाता	आर डी बी रियल्टी एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. /AADCR8845C /AY 2010-11	149.29

2017 की प्रतिवेदन सं. 30 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

78	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी 2, कोलकाता	विलियमसन मैगर एण्ड कॉ. लि. /AAACW2369P /AY 2012-13	93.22
79	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी 2, कोलकाता	ईमामी लि. /AAACH7412G /AY 2009-10	41.62
80	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी 2, कोलकाता	हिन्दुस्तान नेशनल ग्लास एण्ड इन्डस्ट्रीज लि. /AAACH7557G /AY 2012-13	196.17
81	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी 3, कोलकाता	ईआईएच लि. /AAACE6898B /AY 2011-12	206.66
82	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी 4, कोलकाता	जेड ए सी फूड्स प्रा. लि. /AAACZ3437D /AY 2013-14	23.53
83	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी 4, कोलकाता	इन्टरनेशनल सीपोर्ट्स (हल्दिया) प्रा. लि. /AAACI9468D /नि.व. 2013-14	158.78
84	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी (सी) 2, कोलकाता	एमएसपी स्टील एण्ड पावर लि. /AACCA2756N /AY 2007-08	385.93
		कुल		86820.52

परिशिष्ट 26

(पैरा सं. : 3.4.2 देखें)

मैट क्रेडिट का अनियमित समंजन

क्र. सं.	राज्य	प्र. सीआईटी/ सीआईटी प्रभार	निर्धारिती का नाम/पैन/नि.व.	कर प्रभाव (₹ लाख में)
1	आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना	प्र. सीआईटी I, हैदराबाद	एडीपी इंडिया लि. /AAACN2655C/AY 2010-11	421.74
2	आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना	प्र. सीआईटी I, हैदराबाद	एडीपी इंडिया लि. / AAACN2655C/AY 2010-11	234.90
3	आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना	प्र. सीआईटी I, हैदराबाद	एवीआरए लेबोरेट्रीज प्रा. लि. /AABCA7317G/AY 2013-14	52.76
4	आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना	प्र. सीआईटी II, हैदराबाद	ट्रान्समिशन कोरपोरेशन ऑफ एपी लि. /AABCT0088P/AY 2013-14	3723.41
5	आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना	प्र. सीआईटी III, हैदराबाद	सतवाहन इस्पात लि. /AACCS8982L/AY 2011-12	30.62
6	आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना	प्र. सीआईटी IV, हैदराबाद	मैट्रिक्स लैबोरेट्रीज लि. /AADCM3491M/AY 2009-10	1132.24
7	आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना	प्र. सीआईटी IV, हैदराबाद	माईलन लेबोरेट्रीज लि. (फार्मरली मैट्रिक्स लैब्स) /AADCM3491M/AY 2010-11	990.88
8	आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना	प्र. सीआईटी IV, हैदराबाद	माईलन लेबोरेट्रीज लि. (फार्मरली मैट्रिक्स लैब्स) /AADCM3491M/AY 2012-13	671.25
9	आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना	प्र. सीआईटी IV, हैदराबाद	नवभारत वैचर्स लि. /AAACN7327C/AY 2008-09	664.99

2017 की प्रतिवेदन सं. 30 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

10	आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना	प्र. सीआईटी IV, हैदराबाद	मंजीरा कन्स्ट्रक्शन लि. /AABCM4763G/AY 2012-13	85.04
11	आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना	प्र. सीआईटी IV, हैदराबाद	पृथ्वी इंफोर्मेशन सोल्यूशन प्रा. लि. /AACCP5281E/AY 2010-11	63.23
12	आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना	प्र. सीआईटी V, हैदराबाद	डा. रेड्डी लेबोरेट्रीज लि. /AAACD7999Q/AY 2007-08	1202.80
13	आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना	प्र. सीआईटी V, हैदराबाद	डेलोएटी कन्सल्टिंग इंडिया प्रा. लि. /AABCD0476H/AY 2012-13	1136.48
14	आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना	प्र. सीआईटी V, हैदराबाद	डेलोएटी कन्सल्टिंग इंडिया प्रा. लि. /AABCD0476H/AY 2011-12	798.98
15	आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना	प्र. सीआईटी V, हैदराबाद	धरती ड्रेजिंग एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. /AABCB6612N/AY 2013-14	113.13
16	आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना	प्र. सीआईटी (सी), हैदराबाद	मधुकोन प्रोजेक्टस लि. / AABCM4757A/AY 2009-10	273.11
17	आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना	प्र. सीआईटी (सी), हैदराबाद	एक्सिस क्लिनिकल्स लि. /AAHCA9013B/AY 2012-13	67.33
18	आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना	प्र. सीआईटी गुंटूर	विश्वातेजा स्पिनिंग मिल्स लि. /AABCV8759M/AY 2013-14	82.52
19	आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना	प्र. सीआईटी I, विशाखापट्टनम	फकोरलोयस लि. /AAACG8101C/AY 2010-11	114.30
20	आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना	प्र. सीआईटी II, विशाखापट्टनम	वेंकटरामा आईल इन्डस्ट्रीज लि. /AADCS1673D/AY 2013-14	14.92
21	असम	सीआईटी 1, गुवाहटी	जीबी चौधरी होल्डिंग्स (पी) लि. /AABCG7865R/AY 2013-14	3.85
22	बिहार	प्र. सीआईटी 1, पटना	श्रीनिवास (गुजरात) लेबोरेट्रीज प्रा. लि. /AAECS8612D/AY 2012-13	46.03
23	बिहार	प्र. सीआईटी 1, पटना	रेनोविजन ऐक्सपोर्ट प्रा. लि., पटना /AABCR7100A/AY 2012-13	11.17
24	बिहार	प्र. सीआईटी 1, पटना	स्कोर्पिअन कंटेनर्स प्रा. लि. /AAICS4086K/AY 2013-14	7.49
25	बिहार	प्र. सीआईटी (सी), पटना	पूजा एग्रो फूड्स लि., /AACCP8655M/AY 2006-07 से 2008-09	1.11
26	छत्तीसगढ़	प्र. सीआईटी 2, रायपुर	पिलानिआ स्टील प्रा. लि. /AABCP3690H/AY 2010-11	4.49
27	दिल्ली	सीआईटी (सी) II, दिल्ली	मिन्डा इन्डस्ट्रीज लि. /AAACM1152C/AY 2012-13	171.92
28	दिल्ली	सीआईटी VIII, दिल्ली	श्री लाल महल लि. /AAECS5326C/AY 2013-14	388.08
29	दिल्ली	सीआईटी एलटीयू, दिल्ली	एक्सल सर्विस कोम इन्डिया प्रा. लि. /AAACE5174C/AY 2012-13	313.33

2017 की प्रतिवेदन सं. 30 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

30	दिल्ली	सीआईटी 7, दिल्ली	राठी सुपर स्टील लि. /AAACR0182M/AY 2012-13	329.62
31	दिल्ली	सीआईटी 6, दिल्ली	मोएट हेन्नेसी प्रा. लि. /AACCM4079L/AY 2013-14	205.72
32	गुजरात	सीआईटी (सी) 1, अहमदाबाद	जेएमसी प्रोजेक्ट (इंडिया) लि. /AAACJ3814E/AY 2008-09	83.90
33	गुजरात	सीआईटी (सी) 1, अहमदाबाद	जेएमसी प्रोजेक्ट (इंडिया) लि. /AAACJ3814E/AY 2013-14	309.55
34	गुजरात	सीआईटी 1, अहमदाबाद	सीगनैक्स डाटामैटिक्स टेक्नोलोजी लि. /AACCC8372M/AY 2012-13	25.26
35	गुजरात	सीआईटी 1, बरोदा	गुजरात स्टेट इलेक्ट्रीसिटी कोरपोरेशन / AAACG6864F/AY 2010-11	331.48
36	गुजरात	सीआईटी 2, अहमदाबाद	ई-इंफोचिप लि. /AACCS1310E/AY 2012-13	296.53
37	गुजरात	सीआईटी 2, अहमदाबाद	ई-इंफोचिप लि. /AACCS1310E/AY 2013-14	399.52
38	गुजरात	सीआईटी 2, अहमदाबाद	गणेश हाऊसिंग कार्न लि. /AAACG5590Q/AY 2013-14	63.75
39	गुजरात	सीआईटी 2, बडोदरा	सोडियम मेटल प्रा. लि. /AACCS5499J/AY 2012-13	18.75
40	गुजरात	सीआईटी 2, बडोदरा	पैनासोनिक एनर्जी इंडिया कॉ. लि. /AAACL3332R/AY 2012-13	8.11
41	गुजरात	सीआईटी 3, अहमदाबाद	निरमा लि. / AAACN5350K/AY 2011-12	708.61
42	गुजरात	सीआईटी 4, अहमदाबाद	सिंपोल प्रोडक्ट्स प्रा. लि. /AADCS9255P/AY 2013-14	20.33
43	गुजरात	सीआईटी गांधीनगर	आर वर्ल्ड लैजर लि. /AAABCR4778A/AY 2013-14	5.23
44	गुजरात	सीआईटी गांधीनगर	ओसवाल इन्डस्ट्रीज लि. /AAACO3443L/AY 2013-14	8.51
45	गुजरात	प्र. सीआईटी, अहमदाबाद	नीसा टेक्नोलोजिज प्रा. लि. /AABCG5430A/AY 2013-14	5.04
46	हरियाणा	सीआईटी गुडगाँव	गेरसन लेहरमैन ग्रुप इंडिया (प्रा.) लि. /AY 2012-13	31.77
47	झारखंड	प्र. सीआईटी, रांची	बासुदेव आटो लि. /AABCB7074K/AY 2012-13	3.34
48	झारखंड	प्र. सीआईटी, रांची	बिहार फाउन्ड्री एण्ड कास्टिंग लि. /ABCB1852D/AY 2011-12	1.64
49	कर्नाटक	सीआईटी एलटीयू, बैंगलोर	रिट्रल इन्डिया (प्रा.) लि. /AAACR7927A/AY 2011-12	11.43

2017 की प्रतिवेदन सं. 30 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

50	कर्नाटक	सीआईटी एलटीयू, बैंगलोर	रोबर्ट बोस इंजिनियरिंग एण्ड बिजनेस सोल्यूशन लि. /AAACR7108R/AY 2011-12	286.55
51	कर्नाटक	सीआईटी एलटीयू, बैंगलोर	टोयटा किरलोस्कर आटो पार्टस (प्रा.) लि. /AABCT5590Q/AY 2009-10	846.44
52	कर्नाटक	सीआईटी एलटीयू, बैंगलोर	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर /AACCS0155P/AY 2012-13	1348.08
53	कर्नाटक	प्र. सीआईटी (सी) बैंगलोर	चैतन्या प्रोपर्टीज प्रा. लि. /AAACC5900A/AY 2013-14	342.98
54	कर्नाटक	प्र. सीआईटी 1, बैंगलोर	आर्मस्ट्रान्ग डिजाइन प्रा. लि. /AAECA7775K/AY 2012-13	30.64
55	कर्नाटक	प्र. सीआईटी 1, बैंगलोर	अमेजोन डिवेलपमेन्ट सेन्टर इन्डिया प्रा. लि. /AAECA7705P/AY 2012-13	104.61
56	कर्नाटक	प्र. सीआईटी 1, बैंगलोर	ब्रिलियो टेक्नोलोजीज प्रा. लि. (पूर्व में कोलोबेरा सोल्यूशन लि.) /AABCP2354A/AY 2011-12	149.54
57	कर्नाटक	प्र. सीआईटी 1, बैंगलोर	अल्टी सोर्स बिजनेस सोल्यूशन प्रा. लि. /AAACO9467A/AY 2012-13	291.12
58	कर्नाटक	प्र. सीआईटी 2, बैंगलोर	डीसीएस इन्टरनैशनल प्रा. लि. /AABCD9549F/ AY 2012-13	8.48
59	कर्नाटक	प्र. सीआईटी 2, बैंगलोर	केबल एण्ड वायरलेस नेटवर्कस इंडिया प्रा. लि. /AADCC1079M/AY 2011-12	50.81
60	कर्नाटक	प्र. सीआईटी 2, बैंगलोर	इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर इमेजिंग इंडिया प्रा. लि., /AAACG6053E/AY 2012-13	68.10
61	कर्नाटक	प्र. सीआईटी 3, बैंगलोर	इंटरनेशनल स्टोन्स इन्डिया प्रा. लि. /AABCI1821R/AY 2013-14	121.48
62	कर्नाटक	प्र. सीआईटी 3, बैंगलोर	इंटरनेशनल स्टोन्स इन्डिया प्रा. लि. / AABCI1821R/AY 2012-13	131.68
63	कर्नाटक	प्र. सीआईटी 3, बैंगलोर	हेवलेट पैकर्ड ग्लोबलसॉफ्ट प्रा. लि. /AAACD4078L/AY 2010-11	840.89
64	कर्नाटक	प्र. सीआईटी 3, बैंगलोर	हेवलेट पैकर्ड ग्लोबलसॉफ्ट प्रा. लि. /AAACD4078L/AY 2011-12	4758.99
65	कर्नाटक	प्र. सीआईटी 3, बैंगलोर	हेवलेट पैकर्ड (इंडिया) सॉफ्टवेयर ऑपरेशन प्रा. लि. /AAACH7164B/AY 2012-13	218.08
66	कर्नाटक	प्र. सीआईटी 3, बैंगलोर	गैलेक्स ई सोल्यूशन्स इन्डिया (प्रा.) लि. / AABCG9007F/AY 2012-13	32.62
67	कर्नाटक	प्र. सीआईटी 3, बैंगलोर	फर्स्ट एडवांटेज ऑफशोर सर्विस प्रा. लि. /AAACZ1029M/AY 2011-12	56.08
68	कर्नाटक	प्र. सीआईटी 4, बैंगलोर	माइंडटेक (इंडिया) लि. /AAACH1072Q/AY 2011-12	44.56

2017 की प्रतिवेदन सं. 30 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

69	कर्नाटक	प्र. सीआईटी 4, बैंगलोर	जींस निट प्रा. लि. /AABCJ4513B/AY 2012-13	1281.90
70	कर्नाटक	प्र. सीआईटी 4, बैंगलोर	मूग इन्डिया टेक्नोलोजी सेन्टर प्रा. लि. /AAGCM3566Q/AY 2012-13	73.90
71	कर्नाटक	प्र. सीआईटी 4, बैंगलोर	मारलैब्स साफ्टवेयर प्रा. लि. /AACCM6627Q/AY 2011-12	97.61
72	कर्नाटक	प्र. सीआईटी 5, बैंगलोर	रॉयल आर्चिड होटल्स लि. /AABCR0111M/AY 2011-12	43.18
73	कर्नाटक	प्र. सीआईटी 5, बैंगलोर	ओपटो सर्किटस इन्डिया लि. /AAACO2165P/AY 2010-11	55.53
74	कर्नाटक	प्र. सीआईटी 5, बैंगलोर	नोएन्स ट्रान्सक्रिपशन सर्विस इन्डिया प्रा. लि. /AAACF3465F/AY 2011-12	100.50
75	कर्नाटक	प्र. सीआईटी 6, बैंगलोर	एसएपी लैब्स इन्डिया प्रा. लि. /AAFCS3649P/AY 2012-13	1578.63
76	कर्नाटक	प्र. सीआईटी 6, बैंगलोर	एसएपी इन्डिया प्रा. लि. /AACCS7483E/AY 2012-13	5262.48
77	कर्नाटक	प्र. सीआईटी 6, बैंगलोर	सुतुरेस इंडिया प्रा. लि. /AACCS6580N/AY 2012-13	9.57
78	कर्नाटक	प्र. सीआईटी 6, बैंगलोर	सॉफ्टवेयर ऐजी बैंगलोर टेक्नोलोजी प्रा. लि. /AAACW5438M/AY 2013-14	170.27
79	कर्नाटक	प्र. सीआईटी 7, बैंगलोर	एक्साल्टेड इंफोर्मेशन सिस्टम्स प्रा. लि. /AAFCS5024G/AY 2012-13	4.11
80	कर्नाटक	प्र. सीआईटी 7, बैंगलोर	एक्साल्टेड इंफोर्मेशन सिस्टम्स प्रा. लि. /AAFCS5024G/AY 2013-14	19.52
81	कर्नाटक	प्र. सीआईटी 7, बैंगलोर	विप्रो टेक्नोलोजी सर्विज लि. /AACCC4700G/AY 2013-14	99.32
82	कर्नाटक	प्र. सीआईटी 7, बैंगलोर	थोट वर्क्स टेक्नोलोजी प्रा. लि. /AABCT3936G/AY 2012-13	870.32
83	कर्नाटक	प्र. सीआईटी बेलगांव	जमखंडी शुगर लि. /AAACJ8575C/AY 2011-12	30.47
84	कर्नाटक	प्र. सीआईटी गोवा	बेट्टस इन्डिया प्रा. लि. /AACCB8811F/AY 2011-12	213.68
85	कर्नाटक	प्र. सीआईटी गोवा	श्रद्धा इस्पात प्रा. लि. /AAHCS4567J/AY 2010-11	23.24
86	कर्नाटक	प्र. सीआईटी गोवा	कामत कन्स्ट्रक्शन (प्रा.) लि. / AAACK8135H/AY 2013-14	41.31
87	कर्नाटक	प्र. सीआईटी गोवा	कामत कन्स्ट्रक्शन (प्रा.) लि. /AAACK8135H/AY 2012-13	86.08
88	कर्नाटक	प्र. सीआईटी मंगलोर	योजाका इन्डिया प्रा. लि. /AAACY1852D/AY 2013-14	100.58

2017 की प्रतिवेदन सं. 30 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

89	कर्नाटक	प्र. सीआईटी मंगलोर	मैंगलोर मिनरल्स प्रा. लि. /AABCM3953G/AY 2013-14	10.99
90	केरल	सीआईटी I, कोच्ची	एसएफओ टेक्नोलोजी प्रा. लि. /AADCS3318K/AY 2009-10	97.53
91	केरल	सीआईटी I, कोच्ची	ट्रीनिटी आरकेड प्रा. लि. /AACCT2098L/AY 2009-10	82.82
92	केरल	सीआईटी I, कोच्ची	ऐरोमेटिक इंग्रीडेंट्स प्रा. लि. /AAFCA3007M/AY 2012-13	8.54
93	केरल	सीआईटी कोट्टयाम	एनसी जोन एण्ड सन्स प्रा. लि. /AABCN0264H/AY 2011-12	13.71
94	केरल	सीआईटी कोट्टयाम	एनसी जोन एण्ड सन्स प्रा. लि. /AABCN0264H/AY 2012-13	5
95	केरल	सीआईटी कोझी कोडे	इन्डस मोटर कंपनी प्रा. लि. /AAACI4904J/AY 2013-14	78.07
96	केरल	सीआईटी कोझी कोडे	स्वर्णकमल ज्वैल्स इण्डिया प्रा. लि. /AAMCS0682H/AY 2012-13	9.23
97	केरल	सीआईटी कोझी कोडे	ट्रावनकोर गोल्ड इन्डिया प्रा. लि. /AACCT9547Q/AY 2012-13	10.85
98	केरल	सीआईटी तिरुअन्तपुरम	आईबीएस साफ्टवेयर सर्विस प्रा. लि. /AAACI6825N/AY 2010-11	130.26
99	केरल	सीआईटी तिरुअन्तपुरम	आईबीएस साफ्टवेयर सर्विस प्रा. लि. /AAACI6825N/AY 2011-12	465.88
100	केरल	सीआईटी तिरुअन्तपुरम	सन्टेक बिजनेस सोल्यूशन (प्रा.) लि. /AAICS8020K/AY 2011-12	58.21
101	केरल	सीआईटी त्रिशूर	द साऊथ इन्डियन बैंक लि. /AABCT0022F/AY 2008-09	3572.48
102	केरल	सीआईटी त्रिशूर	इम्पीरियल स्पिरिट लि. /AACCP1055F/AY 2011-12	53.74
103	मध्य प्रदेश	प्र. सीआईटी ग्वालियर	एगो सालेवेन्ट प्रोडक्ट्स प्रा. लि. /AACCA7855L/AY 2011-12	52.06
104	मध्य प्रदेश	प्र. सीआईटी I, इन्दौर	नवरत्न टेकबिल्ड प्रा. लि. /AACCN0937A/AY 2012-13	55.97
105	मध्य प्रदेश	प्र. सीआईटी I, इन्दौर	एगो फोस (इन्डिया) लि. /AAECA3241N/AY 2013-14	1.45
106	मध्य प्रदेश	प्र. सीआईटी I, इन्दौर	धरओटो-मोटिवस प्रा. लि. /AABCD4418K/AY 2013-14	4.00
107	मध्य प्रदेश	प्र. सीआईटी I, इन्दौर	मालेकुले (इन्डिया) प्रा. लि. /AAECM6967F/AY 2012-13	3.98
108	मध्य प्रदेश	प्र. सीआईटी I, इन्दौर	नैनोफिल टेक्नोलोजीज प्रा. लि. /AADCN1673Q/AY 2013-14	2.71

2017 की प्रतिवेदन सं. 30 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

109	मध्य प्रदेश	प्र. सीआईटी ग्वालियर	जीएलआर रियल एस्टेट प्रा. लि. /AACCG4572A/AY 2013-14	49.16
110	मध्य प्रदेश	प्र. सीआईटी ग्वालियर	सुर्याश शेयर ट्रेडर्स एंड डिवेलपर्स प्रा. लि. /AAICS5976L/AY 2012-13	1.12
111	मध्य प्रदेश	प्र. सीआईटी (सी) , भोपाल	मोर्या स्टील लि. /AABCM2051K/AY 2010-11	5.52
112	मध्य प्रदेश	प्र. सीआईटी II, जबलपुर	चरक डाग्नोस्टिक एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा. लि. /AADCC1051H/AY 2011-12	1.37
113	मध्य प्रदेश	प्र. सीआईटी II, जबलपुर	वैधान इन्जिनियरिंग एण्ड इन्डस्ट्री प्रा. लि. /AAACW4013A/AY 2012-13	1.66
114	मध्य प्रदेश	प्र. सीआईटी I, भोपाल	असनानी बिल्डर्स एण्ड डिवेलपर्स लि. /AAFCA5950K/AY 2011-12	15.61
115	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी एलटीयू, मुम्बई	आदित्य बिरला नूवो लि. /AAACI1747H/AY 2006-07	92.87
116	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी एलटीयू, मुम्बई	रूबी मैकोन्स लि. (अब एमडब्ल्यू बी इण्डिया पेपरबोर्ड पैकेजिंग प्रा. लि.) /AAACR1939A/AY 2010-11	5.06
117	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी एलटीयू, मुम्बई	राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टीलाइजर्स लि. /AAACR2831H/AY 2013-14	144.49
118	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 1, मुम्बई	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कोरपोरेशन लि. /AAACH1118B/AY 2012-13	5893.07
119	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 2, मुम्बई	टाटा सन्स /AAACT4060A/AY 2011-12	6148.25
120	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 2, मुम्बई	एल एण्ड टी पावर डिवेलपमेंट लि. /AABCL3867C/AY 2013-14	28.51
121	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 2, मुम्बई	ब्रिस्टलकॉन इंडिया लि. /AAACM5186E/AY 2012-13	82.55
122	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 2, मुम्बई	ब्रिस्टलकॉन इंडिया लि. /AAACM5186E/AY 2013-14	50.05
123	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 2, मुम्बई	नावा शेवा सेवा इन्टरनेशनल कंटेनर टर्मिनल प्रा. लि. /AABCN0185H/AY 2013-14	756.38
124	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 3 , मुम्बई	पोजीटिव पैकेजिंग इंडस्ट्रीज लि. /AAACP2836Q/AY 2012-13	137.57
125	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 3, मुम्बई	कूओनी ट्रेवल्स प्रा. लि. /AAACS0170L/AY 2011-12	88.87
126	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 3, मुम्बई	जबील सर्किट प्रा. लि. /AACCP7114K/AY 2012-13	740.41
127	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 4, मुम्बई	क्रेडिट सूसी सक्चोरिटी इन्डिया प्रा. लि. /AAACC4388G/AY 2009-10 to 2010-11	517.65

2017 की प्रतिवेदन सं. 30 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

128	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 7, मुम्बई	हिन्दुजा ग्लोबल सोल्यूशन लि. /AAACT1763A/AY 2011-12 to 2012-13	1329.62
129	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 14, मुम्बई	नीलकंठ मैनशन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. /AAACN1245R/AY 2013-14	19.90
130	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी (सी) 3, मुम्बई	हाऊसिंग डवलपमेंट एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. /AAACH5443F/AY 2009-10	589.69
131	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 1 पुणे	क्लीयर पोइंट लर्निंग सिस्टम इन्डिया प्रा. लि. /AACCC7242F/AY 2013-14	18.45
132	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 1 पुणे	ब्रिन्टन कारपेट एशिया प्रा. लि. /AAACB7059H/AY 2011-12	41.16
133	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 1 पुणे	आईगेट कम्प्यूटर सिस्टम लि. /AABCP6219N/AY 2012-13	3680.27
134	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 10, मुम्बई	अंबुजा सीमेन्टस (आई) प्रा. लि. /AACCA3390A/	117.51
135	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 10, मुम्बई	इन्डिया मेडिट्रोनिक्स प्रा. लि. /AAACI4227Q/2010-11	214.02
136	ओडिशा	प्र. सीआईटी 1, भुवनेश्वर	इंडियन मेटालेन्ड फेरोएल्लोयस लि. /AAACI4818F/AY 2010-11	1285.93
137	ओडिशा	प्र. सीआईटी 1, भुवनेश्वर	तरुणश्री काटेन (प्रा.) लि. /AABCT9558J /AY 2013-14	5.10
138	ओडिशा	प्र. सीआईटी कटक	स्वापना मोटर्स प्रा. लि. /AAFCS1450A/AY 2013-14	6.72
139	ओडिशा	प्र. सीआईटी कटक	राजलक्ष्मी कंस्ट्रक्शनस लि. /AAACR8437P/AY 2012-13	2.70
140	पंजाब	सीआईटी 2, चंदीगढ़	अजेयलीस्ट कंस्लटींग (पी) लि. /AAHCA0105A/AY 2012-13	96.02
141	राजस्थान	सीआईटी 1, जयपुर	पी आर रोलिंग मिल्स प्रा. लि. /AABCP4072F/AY 2012-13	2.51
142	राजस्थान	सीआईटी 2, जयपुर	एग्रीबायोटेक इन्डस्ट्रीज लि. /AAFCA1695R/AY 2013-14	35.90
143	राजस्थान	सीआईटी 2, जयपुर	आई सीस सोफटेक प्रा. लि. /AAACI7859J/AY 2013-14	7.82
144	राजस्थान	सीआईटी 2, जयपुर	बजरंग बली पल्सेस प्रा. लि. /AABCB5271C/AYs 2012-13 to 2013-14	2.27
145	राजस्थान	सीआईटी 3, जयपुर	पैरिस ऐलीसीज इन्डिया प्रा. लि. /AABCP4088P/AY 2013-14	11.22
146	राजस्थान	सीआईटी 3, जयपुर	इंजुनू बालाजी मोटर्स प्रा. लि. /AABCJ9791P/AY 2012-13	1.88
147	राजस्थान	सीआईटी 3, जयपुर	ल्यूपीन फोरजिंग प्रा. लि. /AABCL6672M/AY 2013-14	1.35

2017 की प्रतिवेदन सं. 30 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

148	राजस्थान	सीआईटी (सी) जयपुर	रघुवीर मेटल इन्डस्ट्रीज लि. /AABCR7496R/AY 2011-12	1.82
149	राजस्थान	सीआईटी उदयपुर	तिरुपति माईक्रोटेक प्रा. लि. /AAACT5483D/AY 2013-14	24.45
150	राजस्थान	सीआईटी उदयपुर	ई-कनेक्ट सोल्यूशन प्रा. लि. /AAACE5120G/AY 2013-14	1.81
151	तमिलनाडू	प्र. सीआईटी सलेम	अवर स्वर्णा महल ज्वैलरी प्रा. लि. /AAHCA9042L/AY 2012-13	206.97
152	तमिलनाडू	प्र. सीआईटी सलेम	अरुणाचल गोंडर टेक्सटाईल मिल्स प्रा. लि. /AABCA7821M /AY 2013-14	18.85
153	तमिलनाडू	प्र. सीआईटी 1, चेन्नई	एसेन्डस आईटी सेज (चेन्नई) प्रा. लि. /AAFCA5329L /AY 2012-13	13.52
154	तमिलनाडू	प्र. सीआईटी 1, चेन्नई	एसेन्डस आईटी सेज (चेन्नई) प्रा. लि. /AAFCA5329L / AY 2013-14	22.08
155	तमिलनाडू	प्र. सीआईटी 1, कोयम्बटूर	एबीटी लि. /AABCA8398K/AY 2012-13	25.95
156	तमिलनाडू	प्र. सीआईटी 1, कोयम्बटूर	एबीटी लि. /AABCA8398K / AY 2013-14	270.94
157	तमिलनाडू	प्र. सीआईटी 1, कोयम्बटूर	टी स्टेनसेन्ड कंपनी लि. /AAACT7126P/AY 2012-13	45.10
158	तमिलनाडू	प्र. सीआईटी 2, चेन्नई	ईगल प्रैस प्रा. लि. /AAACE1442P/AY 2013-14	160.47
159	तमिलनाडू	प्र. सीआईटी 2, चेन्नई	फैबर सिन्दूरी मैनेजमेंट सर्विस प्रा. लि. /AABCF1460B/AY 2013-14	19.38
160	तमिलनाडू	प्र. सीआईटी 2, चेन्नई	जीबी इन्टरनेशनल प्रा. लि. /AABCP3453G/AY 2013-14	16.24
161	तमिलनाडू	प्र. सीआईटी 2, चेन्नई	जीया कूलिग टॉवर टेक्नोलोजिज इंडिया प्रा. लि. /AAACG7891G/AY 2013-14	186.38
162	तमिलनाडू	प्र. सीआईटी 2, कोयम्बटूर	एसएमपी टेक्सटाईल्स मिल्स प्रा. लि. /AACCS9447A/AY 2013-14	49.22
163	तमिलनाडू	प्र. सीआईटी 4, चेन्नई	काल्स डिस्टीलरीज प्रा. लि. /AADCK3803F/AY 2013-14	109.49
164	तमिलनाडू	प्र. सीआईटी 4, चेन्नई	कीलबर्न कैमिकलस लि. /AAACK1427A/AY 2011-12	49.27
165	तमिलनाडू	प्र. सीआईटी 5, चेन्नई	आर-आर कन्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. /AADCR6735R/AY 2013-14	192.55
166	उत्तर प्रदेश	प्र. सीआईटी नोयडा	ऐल्कंपोनिक्स सेल्स प्रा. लि. /AABCE6120F/AY 2013-14	558.43
167	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी (सी) 1, कोलकाता	बंगाल एनर्जी लि. /AADCB1581F/AY 2011-12	166.31

2017 की प्रतिवेदन सं. 30 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

168	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी (सी) 2, कोलकाता	बराक वैली सीमेन्टस लि. /AABCB5691A /AY 2009-10	16.23
169	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी (सी) 2, कोलकाता	मेघालय सीमेन्टस लि. /AADCM8079P /AY 2011-12	26.41
170	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी 2, कोलकाता	आरडीबी रियल्टी एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. /AADCR8845C/AY 2012-13	22.44
171	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी 2, कोलकाता	आरडीबी रियल्टी एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. /AADCR8845C/AY 2013-14	109.48
172	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी 2, कोलकाता	मधुशाला ड्रिक्स प्रा. लि. /AACCM1152E/AY 2012-13	7.64
173	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी 2, कोलकाता	स्काई सकेर्प्स स्टील लि. /AABCG2845F/AY 2010-11	23.83
174	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी 3, कोलकाता	एसपीएमएल इन्फ्रा प्रा. लि. /AADCS2469K /AY 2007-08	47.24
175	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी 4, कोलकाता	सर्वोत्तम कैप्स प्रा. लि. /AADCS8806J /AY 2013-14	21.07
176	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी 4, कोलकाता	स्टारट्रेक विनिमय प्रा. लि. /AAECS8982J /AY 2013-14	20.19
177	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी 4, कोलकाता	हिन्दुस्तान गम एण्ड कैमिकल्स लि. /AAACH7214E/AY 2012-13	41.72
			कुल	65007.29

परिशिष्ट 26.1

(पैरा सं. 3.4.2 देखें)

मैट क्रेडिट के समंजन की अस्वीकृति

क्र. सं.	राज्य	प्र.सीआईटी/सीआईटी प्रभार	निर्धारिती का नाम/पैन/नि.व.	कर प्रभाव (₹ लाख में)
1	गुजरात	सीआईटी (सी) 1, अहमदाबाद	सूरज लि. /AAGCS6939N/AY 2010-11 से 2014-15	119.97
2	गुजरात	सीआईटी 1, बरोदा	ज्वेल कंस्यूमर केयर प्रा. लि. /AAACB8634Q/AY 2013-14	90.63
3	गुजरात	सीआईटी 1, बरोदा	जीयूवीएनएल /AACCG2861L / AY 2012-13	3882.09
			कुल	4092.69

परिशिष्ट 27

(पैरा सं. : 3.5 देखें)

लेखा बही के अनुसार व्यवसाय हानि/अनावशोषित मूल्यहास की अगणित गलत स्वीकृति

क्र. सं.	राज्य	प्र. सीआईटी प्रभार	निर्धारिती का नाम/पैन/नि.व.	कर प्रभाव (₹ लाख में)
1	आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना	प्र. सीआईटी II, हैदराबाद	हेटरोमेड सोल्यूशन प्रा. लि. /AABCH9248M / AY 2013-14	20.59
2	असम	सीआईटी 2, गुवाहटी	कारनक डिस्टीलरी (प्रा.) लि. /AABCK5679H / AY 2010-11	7.74
3	बिहार	प्र. सीआईटी 1, पटना	गोदरेज फार्मास्यूटीकल्स प्रा. लि. /AADCG6434C / AY 2012-13	8.46
4	बिहार	प्र. सीआईटी 1, पटना	अशोक ऑटो एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड / AACCA9482D / नि.व. 2011-12	1.64
5	दिल्ली	सीआईटी 2, दिल्ली	सेपको इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड / AAACC1194N / नि.व. 2012-13	142.95
6	गुजरात	सीआईटी 3, अहमदाबाद	नागौर जल आपूर्ति कं. प्राइवेट लिमिटेड / AACCN7403R / नि.व. 2013-14	9.68
7	हरियाणा	सीआईटी गुडगाँव	सिनीवर्स टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड (इंडिया)/ AAMCS2284H / नि.व. 2012-13	193.00
8	हिमाचल प्रदेश	सीआईटी शिमला	सिद्धार्थ सुपर स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड / AAACS4904J / नि.व. 2012-13	13.46
9	कर्नाटक	प्र. सीआईटी 1, बेंगलोर	ब्रेड बास्केट प्राइवेट लिमिटेड /AACCB5438N / नि.व. 2012-13	0.00
10	कर्नाटक	प्र. सीआईटी 1, बेंगलोर	ब्रेडी कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड / AACCB8163A / नि.व. 2010-11	0.00
11	कर्नाटक	प्र. सीआईटी 1, बेंगलोर	बेंगलोर फार्मास्यूटिकल्स एंड रिसर्च लैबोरेटरी (प्रा.) लिमिटेड/ AAACB5712H / नि.व. 2012-13	0.00
12	कर्नाटक	प्र. सीआईटी 2, बेंगलोर	सेस्ना गार्डन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड / AAACC8539R / नि.व. 2013-14	0.00
13	कर्नाटक	प्र. सीआईटी 2, बेंगलोर	ईकॉम गिल कॉफी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड / AAACE7863N / नि.व. 2010-11	0.00
14	कर्नाटक	प्र. सीआईटी 3, बेंगलोर	गोकक टेक्सटाइल्स लिमिटेड / AACCG8244P / नि.व. 2013-14	610.46
15	कर्नाटक	प्र. सीआईटी 3, बेंगलोर	इंफोकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड / AAACI3319P / नि.व. 2013-14	57.03
16	कर्नाटक	प्र. सीआईटी 4, बेंगलोर	माइक्रोलैंड लिमिटेड / AABCM2704P / नि.व. 2013-14	0.00
17	कर्नाटक	प्र. सीआईटी 4, बेंगलोर	जे.के. फेब्रिक्स (बेंगलोर) प्राइवेट लिमिटेड / AABCJ6118Q / नि.व. 2013-14	0.00

2017 की प्रतिवेदन सं. 30 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

18	कर्नाटक	प्र. सीआईटी 6, बेंगलोर	सुधीर पेपर्स लिमिटेड / AABCS9250L / नि.व. 2012-13	21.25
19	कर्नाटक	प्र. सीआईटी मंगलौर	लामिना फाउंड्रीज लिमिटेड / AAACL3059P/ नि.व. 2012-13	0.00
20	कर्नाटक	प्र. सीआईटी मंगलौर	सीक्वेंट रिसर्च लिमिटेड / AAACL3059P/ नि.व. 2012-13	6.07
21	कर्नाटक	प्र. सीआईटी मंगलौर	होटल पुंजा इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड / AABCH1125P / नि.व. 2011-12	0.00
22	केरल	सीआईटी I, कोच्ची	सिमिगा सेवॉरी टेक्नोलॉजी लिमिटेड / AAKCS0062P / नि.व. 2013-14	34.15
23	केरल	सीआईटी कोट्टायम	स्पेसिफाइड रबर प्राइवेट लिमिटेड / AACCS9257N / नि.व. 2013-14	4.51
24	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 1, मुंबई	एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड / AABCH0738E / नि.व. 2013-14	304.15
25	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 2, मुंबई	बॉबकार्स लिमिटेड / AAACB1989L / नि.व. 2012-13	126.67
26	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 3, मुंबई	रॉकवुड होटल एंड रिसॉर्ट्स लिमिटेड / AAACH8611F / नि.व. 2011-12	30.35
27	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 8, मुंबई	विजाग सीपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड / AABCG4141J/2010-11	177.75
28	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 8, मुंबई	राम रत्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड / AAACH9248N / नि.व. 2013-14	5.89
29	राजस्थान	सीआईटी उदयपुर	अमेरिकन इंटरनेशनल हेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड / AADCA5692C / नि.व. 2012-13 to 2013-14	116.81
30	राजस्थान	सीआईटी 3, जयपुर	अनिल स्पेशल स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड / AACCA2038F / नि.व. 2011-12	82.00
31	तमिलनाडु	प्र. सीआईटी 1, मदुरै	राजपलायम मिल्स लिमिटेड / AAACR8897F / नि.व. 2013-14	141.67
32	तमिलनाडु	प्र. सीआईटी 3, चेन्नई	टीवीएस-ई सर्विस टेक लिमिटेड / AACCT6970F / नि.व. 2012-13	38.1
33	तमिलनाडु	प्र. सीआईटी 3, कोयंबटूर	रीनेर्जी इक्विपमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड / AADCR7729P / नि.व. 2012-13	30.07
34	उत्तर प्रदेश	प्र. सीआईटी II, आगरा	एसीपीएल प्रोडक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड / AADCA3621R / नि.व. 2012-13	28.8
35	उत्तर प्रदेश	प्र. सीआईटी (सी) कानपुर	एनएसडी निर्माण (प्रा.) लिमिटेड / AACCN1612L / नि.व. 2010-11	6.53
36	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी (सी) 2, कोलकाता	ऑक्टल सप्लायर्स प्राइवेट लिमिटेड / AAAC03505D / नि.व. 2012-13	77.69
			कुल	2297.47

परिशिष्ट 28

(पैरा सं. : 3.6)

आरक्षित निधि से निकाली गई राशि की गलत छूट

क्र. सं.	राज्य	प्र. सीआईटी प्रभार	निर्धारित का नाम/पैन/नि.व.	कर प्रभाव (₹ लाख में)
1	हरियाणा	सीआईटी गुडगाँव	सेप्टू इंडिया (प्रा.) लिमिटेड / AAFCS0224A / नि.व. 2012-13	5.83
2	कर्नाटक	सीआईटी एलटीयू बेंगलोर	तेजस नेटवर्क लिमिटेड / AABCT1670M / नि.व. 2011-12	45.67
3	कर्नाटक	सीआईटी एलटीयू बेंगलोर	शनाइडर इलेक्ट्रिक आईटी बिजनेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड / AACCA6398Q / नि.व. 2011-12	153.73
4	कर्नाटक	प्र. सीआईटी 4, बेंगलोर	मैनी प्रेसिजन प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड /AABCM8269R/नि.व. 2011-12	71.43
5	कर्नाटक	प्र. सीआईटी 4, बेंगलोर	कर्नाटक स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड/AAACK5531H/नि.व. 2013-14	547.89
6	कर्नाटक	प्र. सीआईटी 5, बेंगलोर	नेपियन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट कं. प्राइवेट लिमिटेड / AAACN2710M / नि.व. 2012-13	46.24
7	कर्नाटक	प्र. सीआईटी 5, बेंगलोर	नेपीयन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट कं. प्राइवेट लिमिटेड / AAACN2710M / नि.व. 2013-14	26.42
8	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 3, मुंबई	भारत सीरम्स एंड वैक्सीन लिमिटेड / AAACB2431M / नि.व. 2013-14	8.37
9	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 3, मुंबई	जाबिल सर्किट प्राइवेट लिमिटेड / AACCP7114K / नि.व. 2011-12	85.67
10	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 10, मुंबई	केएमसी ऑयल टूल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड / AACCK6165D / नि.व. 2013-14	23.00
11	तमिलनाडु	प्र. सीआईटी 1, चेन्नई	सीमा इलेक्ट्रिक लाइटिंग प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड / AACCC9663Q / नि.व. 2013-14	301.9
12	तमिलनाडु	प्र. सीआईटी 3, चेन्नई	टीवीएस-ई सर्विस टेक लिमिटेड / AACCT6970F / नि.व. 2012-13	89.44
13	तमिलनाडु	प्र. सीआईटी 1, मदुरै	गोल्डन वीविंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड / AAACG6671L / नि.व. 2012-13	102.77
			कुल	1508.36

परिशिष्ट 29

(पैरा सं. 3.7)

अंकित लाभ की गणना से रूग्ण औद्योगिक कम्पनियों को छूट की अनुमति हेतु निर्धारित प्रक्रिया का अननुपालन न करना

क्र. सं.	राज्य	प्र. सीआईटी प्रभार	निर्धारिती का नाम/पैन/नि.व.	कर प्रभाव (₹ लाख में)
1	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 1, मुंबई	गणेश बेंजोप्लास्ट लिमिटेड / AAACG1259J/ नि.व. 2011-12 से 2013-14	0.00
2	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 3, मुंबई	टीपीआई इंडिया लिमिटेड / AACCT7772P / नि.व. 2009-10	0.00
3	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 3, मुंबई	टीपीआई इंडिया लिमिटेड / AACCT7772P / नि.व. 2010-11 से 2013-14	0.00
4	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 8, मुंबई	सिंगर इंडिया लिमिटेड / AAACS8418H / नि.व. 2012-13	0.00
			कुल	0

परिशिष्ट 30

(पैरा सं. : 3.8)

संवीक्षा के लिए मामलों का चयन न करना

क्र. सं.	राज्य	प्र. सीआईटी प्रभार	निर्धारिती का नाम/पैन/नि.व.	कर प्रभाव (₹ लाख में)
1	दिल्ली	सीआईटी 4, दिल्ली	इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड / AABCI2726B / नि.व. 2011-12	7551.00
			कुल	7551.00

परिशिष्ट 31

(पैरा सं. : 3.9)

ब्याज के अन्य विषय

क्र. सं.	राज्य	प्र. सीआईटी प्रभार	निर्धारिती का नाम/पैन/नि.व.	कर प्रभाव (₹ लाख में)
1	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	प्र. सीआईटी II, हैदराबाद	गल्फ ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड / AABCG8433B / नि.व. 2011-12	514.12
2	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	प्र. सीआईटी II, हैदराबाद	एचएसबीसी इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड / AAACH8235M / नि.व. 2010-11	45.46
3	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	प्र. सीआईटी IV, हैदराबाद	लाइकोस इंटरनेट लिमिटेड / AAACL5827B / नि.व. 2012-13	847.40
4	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	प्र. सीआईटी IV, हैदराबाद	न्यूलैंड लैबोरेटरीज लिमिटेड / AAACN9531E / नि.व. 2013-14	142.42
5	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	प्र. सीआईटी V, हैदराबाद	डा. रेड्डीज लैबोरेटरीज लिमिटेड / AAACD7999Q / नि.व. 2011-12	684.27
6	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	प्र. सीआईटी VII, हैदराबाद	मधुकॉन शुगर एंड पावर इंडस्ट्रीज लिमिटेड / AADCM3426A / नि.व. 2013-14	21.74
7	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	प्र. सीआईटी VII, हैदराबाद	मुदुकॉन शुगर एंड पावर इंडस्ट्रीज लिमिटेड / AADCM3426A / नि.व. 2012-13	19.47
8	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	प्र. सीआईटी II, विशाखापत्तनम	विशाखा कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड / AABCB4834B / नि.व. 2013-14	83.10
9	असम	सीआईटी शिलांग	नलारी फेरो अलॉयज (प्रा.) लिमिटेड / AACCN2195A / नि.व. 2012-13	3.07
10	असम	सीआईटी 2, गुवहाटी	न्यू टेक स्टील एंड अलॉयज (प्रा.) लिमिटेड / AACCN8196K/नि.व. 2013-14	3.38
11	दिल्ली	सीआईटी 3, दिल्ली	डीएलके डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड / AACCD7292C / नि.व. 2013-14	6.27
12	दिल्ली	सीआईटी 6, दिल्ली	मालाना पावर कंपनी / AABCN1108R / नि.व. 2012-13	66.57

2017 की प्रतिवेदन सं. 30 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

13	दिल्ली	सीआईटी 9, दिल्ली	टेलीकॉम कंसल्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड /AACT0061H/नि.व. 2012-13	10.54
14	गुजरात	सीआईटी 1, अहमदाबाद	आशिमा लिमिटेड / AACCA2750L / नि.व. 2011-12	111.17
15	गुजरात	सीआईटी 4, अहमदाबाद	टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड / AAACCT5459R / नि.व. 2005-06	113.97
16	गुजरात	सीआईटी 1, वडोदरा	एलेम्बिक लिमिटेड / AABCA7950P / नि.व. 2010-11	92.44
17	हरियाणा	सीआईटी गुडगाँव	आईजीएच आईटी सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड / AAHCS8349E/नि.व. 2011-12	4.32
18	कर्नाटक	प्र. सीआईटी मैसूर	ग्लोबल टेक पार्क प्राइवेट लिमिटेड / AABCG5707C / नि.व. 2013-14	36.46
19	कर्नाटक	प्र. सीआईटी 4, बैंगलोर	कर्नाटक राज्य भंडारण निगम / AAACK8505H / नि.व. 2013-14	55.76
20	कर्नाटक	प्र. सीआईटी 7, बैंगलोर	टेनैक्स इंडिया स्टोन प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड / AACCT2406Q / नि.व. 2012- 13	13.33
21	केरल	सीआईटी तिरुवनंतपुरम	किनेस्को पावर एंड यूटिलिटी प्राइवेट लिमिटेड / AADCK6512B / नि.व. 2012-13	4.35
22	केरल	सीआईटी तिरुवनंतपुरम	क्यूबर्स्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड / AAACQ1171B / नि.व. 2013-14	6.19
23	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी एलटीयू, मुंबई	लुपिन लिमिटेड / AAACL1069K / नि.व. 2010-11 & 2011-12	1435.64
24	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी एलटीयू, मुंबई	रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड / AAACR5055K / नि.व. 1997-98	12.91
25	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी एलटीयू, मुंबई	रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड / AAACR5055K/2011-12	1317.42
26	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 1, मुंबई	द वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड /AAACT4179N / नि.व. 2010-11	44.85
27	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 2, मुंबई	डीसीबी बैंक लिमिटेड / AAACD1461F / नि.व. 2012-13	726.05
28	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 2, मुंबई	डीसीबी बैंक लिमिटेड / AAACD1461F / नि.व. 2013-14	1705.75
29	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी एलटीयू, मुंबई	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड /AAACT1524F/नि.व. 2011-12	224.59
30	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 7, मुंबई	हिंदुस्तान कंपोजिट्स लिमिटेड / AAACH0973N / नि.व. 2013-14	12.64
31	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 8, मुंबई	सहयाद्री स्टार्च एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड /AAFCS8884C/नि.व. 2013-14	13.93

2017 की प्रतिवेदन सं. 30 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

32	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 10, मुंबई	कामत होटल्स (इंडिया) लिमिटेड / AAACK2912L / नि.व. 2012-13	5.45
33	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 10, मुंबई	न्यूफ्यूचर डिजिटल (इंडिया) लिमिटेड / AACCE0402H / नि.व. 2012-13	44.52
34	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी (सी) 3, मुंबई	आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड / AAACA0201C / नि.व. 2011-12	122.07
35	राजस्थान	सीआईटी 1, जयपुर	कमल ऑटो इंडस्ट्रीज कोचवर्क्स लिमिटेड / AAACK7046D/ नि.व. 2012-13	1.01
36	राजस्थान	सीआईटी 2, जयपुर	राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन / AACCR2385J / नि.व. 2013-14	55.73
37	तमिलनाडु	प्र. सीआईटी 6, चेन्नई	स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड / AAJCS4517L/ नि.व. 2010-11	121.75
38	तमिलनाडु	प्र. सीआईटी 3, कोयंबटूर	एस.पी. अपेरल्स लिमिटेड / AAJCS4031P / नि.व. 2011-12	18.26
39	उत्तर प्रदेश	प्र. सीआईटी (सी) लखनऊ	सुभाष स्टोन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड / AABCR0021Q / नि.व. 2009-10	36.9
40	उत्तर प्रदेश	प्र. सीआईटी (सी) कानपुर	महा लक्ष्मी बिल्डटेक लिमिटेड / AADCM7320H / नि.व. 2013-14	16.03
41	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी 4, कोलकाता	टांटिया कंस्ट्रक्शन लिमिटेड / AABCT0811E / नि.व. 2012-13	60.54
42	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी (सी) 2, कोलकाता	संचुरी एल्युमिनियम मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड / AABCC2200Q/ नि.व. 2013-14	28.75
			कुल	8890.59

परिशिष्ट 32

(पैरा सं. : 4.3)

2015-16 की अवधि के दौरान संवीक्षा निपटान के विवरण में असंगति

क्र. सं.	राज्य का नाम	नि.अ. प्रभार की संख्या	डीजीआईटी (प्रणाली) द्वारा उपलब्ध डाटा के अनुसार संवीक्षा निपटान की संख्या	एलएपी द्वारा यथा अभिज्ञात डी एंड सीआर (कंपनी) के अनुसार संवीक्षा निपटान
1	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	64	22187	671
2	बिहार	22	367	414
3	गुजरात	48	2731	886
4	झारखंड	28	369	263
5	कर्नाटक	48	3001	3906
6	केरल	29	1265	1183

7	महाराष्ट्र	83	6002	8166
8	पूर्वोत्तर क्षेत्र	30	514	574
9	राजस्थान	34	1033	154
10	तमिलनाडु	56	4133	5016
11	उत्तर प्रदेश	71	1115	2028
12	उत्तराखंड	14	164	169
13	पश्चिम बंगाल	83	5071	7739
	कुल	610	47952	31169

परिशिष्ट 33

(पैरा सं.: 5.3 देखें)

मैट के तहत कर भुगतान के लिए दायी कम्पनियां किंतु मैट के उद्ग्रहण से बची

(₹ लाख में)

क्रम सं.	राज्य	प्र. सीआईटी/ सीआईटी प्रकार	निर्धारिती का नाम	मैट के तहत उगाही योग्य कर	सामान्य प्रावधानों के तहत उद्ग्रहीत कर	अंतर
1	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	प्र.सीआईटी I, हैदराबाद	केलेस्टियल बायो लैब्स प्रा. लि. / AABCC4698Q / AY 2008-09	174.73	0	174.73
2	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	प्र.सीआईटी I, हैदराबाद	केलेस्टियल बायो लैब्स प्रा. लि. / AABCC4698Q / AY 2007-08	86.51	0	86.51
3	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	प्र.सीआईटी I, हैदराबाद	केलेस्टियल बायो लैब्स प्रा. लि. / AABCC4698Q / AY 2012-13	18.59	0	18.59
4	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	प्र.सीआईटी II, हैदराबाद	ट्रान्सजीन बायोटेक लि. / AABCT3840P / AY 2012-13	345.17	7.96	461.47
5	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	प्र.सीआईटी III, हैदराबाद	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद/ AADCS4009H/AY 2006-07	6916.61	1978.78	7431.55
6	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	प्र. सीआईटी (सी) हैदराबाद	मधुकॉन प्रोजेक्टस लि. /AABCM4757A / AY 2008-09	787.78	698.89	152.01
7	असम	सीआईटी शिलांग	द रानीबारी टी क. लि. / AACT7704K / AY 2010-11	3.31	0	3.31
8	बिहार	प्र.सीआईटी -1, पटना	लॉलीज़ एंटरप्राइसेस /AAACL7987J / AYs 2011-12 to 2012-13	2.32	0	2.32
9	दिल्ली	सीआईटी 1, दिल्ली	एफिनिटी ब्यूटी सलून प्रा. लि. / AADCA3351L / AY 2013-14	75.1	19.62	55.47

2017 की प्रतिवेदन सं. 30 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

10	हिमाचल प्रदेश	सीआईटी शिमला	साईउर्जा हाइडेल प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. / AAKCS3547F / AY 2012-13	95.55	90.75	4.80
11	हिमाचल प्रदेश	सीआईटी शिमला	साईउर्जा हाइडेल प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. / AAKCS3547F / AY 2013-14	151.11	139.5	11.61
12	हिमाचल प्रदेश	सीआईटी शिमला	राम हरी मोटर्स प्रा. लि. / AACCR8482Q / AY 2012-13	5.28	1.09	4.19
13	कर्नाटक	सीआईटी एलटीयू, बेंगलुरु	कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लि./ AABCK7281M/AY 2010-11	101.48	0	101.48
14	कर्नाटक	प्र.सीआईटी 1, बेंगलुरु	बेहल सॉफ्टवेयर लि. / AAACB8603R / AY 2013-14	42.2	0	42.20
15	कर्नाटक	प्र.सीआईटी 1, बेंगलुरु	अरका इट्सर्वर प्रा.लि. / AAHCA3289P / AY 2013-14	114.72	99.36	15.36
16	कर्नाटक	प्र.सीआईटी 2, बेंगलुरु	कन्ट्रोल इनफोटेक प्रा. लि. / AAACC5972G / AY 2013-14	15.58	0	15.58
17	केरल	सीआईटी त्रिशूर	कैथोलिक सीरियन बैंक लि. / AABCT0024D / AY 2011-12	583.76	0	583.76
18	केरल	सीआईटी त्रिशूर	धनलक्ष्मी बैंक लि. / AABCT0019J / AY 2013-14	404.82	0	404.82
19	केरल	सीआईटी तिरुअंतपुरम	श्रीपदमनाभा प्रापर्टी डेवलपर्स प्रा. लि. / AAICS7036H / AY 2013-14	75.7	66.7	12.06
20	मध्य प्रदेश	प्र.सीआईटी -II, जबलपुर	एम.पी. पावर जनरेटिंग क. लि. / AADCM4472A / AY 2008-09	102.58	0	102.58
21	मध्य प्रदेश	प्र.सीआईटी (सी), भोपाल	रेवा कृपा सुगर्स प्रा. लि. / AABCR3102L / AY 2012-13	29	0	29.00
22	मध्य प्रदेश	प्र.सीआईटी (C), भोपाल	राय सुगर मिल प्रा. लि. / AACCR2334K/AY 2012-13	2.28	0	2.28
23	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी 1, मुम्बई	फामी एनर्जी प्रा. लि. / AABCF3176G / AY 2013-14	38.74	29.57	9.17
24	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी 2, मुम्बई	डीसीबी बैंक लि. / AAACD1461F / AY 1999-00	194.96	75.56	119.40
25	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी 4, मुम्बई	मल्टीप्लायर शेयर एण्ड स्टॉक एडवाइजर्स प्रा. लि. / AADCM6646A/ AY 2010-11	92.73	25.39	67.34
26	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी 8, मुम्बई	आर के क्रिएटिव डिजाइनर्स प्रा. लि. / AADCR2372Q / AY 2013-14	30.63	23.81	6.82
27	पंजाब	सीआईटी 2 चंडीगढ़	वीनस रेमेडीज़ (पी) लि./ AAACV6524H / AY 2013-14	एनए	एनए	1217.47
28	पंजाब	सीआईटी 1, चंडीगढ़	अन्ब्रोस मोटर्स प्रा; लि. / AABCA4174H / AY 2010-11	2.21	0	2.21

2017 की प्रतिवेदन सं. 30 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

29	तमिलनाडु	प्र.सीआईटी 1, कोयम्बूटर	सुगुना होल्डिंग प्रा. लि. /AANCS3811P / AY 2012-13	1528.46	65.04	1463.42
30	तमिलनाडु	प्र.सीआईटी 1, मदुराई	आरती स्कैन्स प्रा. लि. / AAGCA9491C / AY 2012-13	133.43	59.81	73.62
31	तमिलनाडु	प्र.सीआईटी 1, मदुराई	आरती स्कैन्स प्रा. लि. /AAGCA9491C / AY 2013-14	117.45	85.25	32.2
32	उत्तर प्रदेश	प्र.सीआईटी -II, आगरा	सी टीवी नेटवर्क लि. /AAICS9898P / AY 2012-13	33.16	25.68	9.7
33	पश्चिम बंगाल	प्र.सीआईटी 3, कोलकाता	श्री गोपाल कॉन्क्रीट प्रा. लि. /AAJCS2118P / AY 2012-13	5.86	0	5.86
34	पश्चिम बंगाल	प्र.सीआईटी 3, कोलकाता	सीताराम एनर्जी एण्ड लॉजिस्टिक्स लि. /AAKCS8696K/AY 2012-13	63.01	0	63.01
			कुल			12785.9

